

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. III, First Session, 2019/1941 (Saka)
No. 25, Friday, July 19, 2019 /Ashadha 28, 1941 (Saka)**

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 385, 388 and 393	9-61
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 386, 387, 389 to 392 and 394 to 400	62-122
Unstarred Question Nos. 4332 to 4561	123-742

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	743-746
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	747
BUSINESS OF THE HOUSE	748-751
GOVERNMENT BILLS - Introduced	753-778
(i) Transgender Persons (Protection of Rights) Bill , 2019	753-754
(ii) Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019	754
(iii) Right to Information (Amendment) Bill, 2019	755-778
 STATEMENT RE: BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ORDINANCE, 2019	 754
 PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (AMENDMENT) BILL, 2019	 779-833
Motion to Consider	779
Shri Nityanand Rai	779, 825-830
Dr. Shashi Tharoor	780-784
Dr. Satyapal Singh	785-793
Shrimati Kanimozhi	794-797
Prof. Sougata Ray	798-800
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	801-802

Shri Vinayak Bhaurao Raut	803-804
Shri Pinaki Misra	805-807
Shrimati Supriya Sadanand Sule	808-809
Shri Sushil Kumar Singh	810-812
Shri P.R. Natarajan	813
Shri Jayadev Galla	814-815
Shri E.T. Mohammed Basheer	816-817
Shri Asaduddin Owaisi	818-821
Shri N.K. Premachandran	822-823
Dr. K. Jayakumar	824
Clauses 2 to 6 and 1	831-833
Motion to Pass	833

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Construction of canals through Ken-Betwa River linking project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region	844-874
Shri Jagdambika Pal	844-849
Shri Anurag Sharma	850-855
Shri Vinod Kumar Sonkar	857-862
Shri R.K. Singh Patel	863-869

Shri Rajendra Agrawal 870-873

Shri Nayab Singh Saini 874

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 874

Member-wise Index to Unstarred Questions 875-880

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 881

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 882

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 19, 2019/Ashadha 28, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर, प्रश्न संख्या-381, श्रीमती रेखा वर्मा ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, हमारी बात सुन ली जाए। कर्नाटक में ...(व्यवधान)
लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ...(व्यवधान)

11.01 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****HON. SPEAKER:** Question No. 381.**(Q. 381)**

श्रीमती रेखा वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और देश के 16 राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में 8 अक्टूबर, 2017 को इन्द्रधनुष मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत की थी।...(व्यवधान) इसका उद्देश्य छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण कराना था। ...(व्यवधान) सही उम्र में सभी आवश्यक टीके लगने से शिशुओं को कई घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है।...(व्यवधान) टीकाकरण नहीं होने से कभी-कभी बच्चे खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए छूटे हुए बच्चों के लिए मिशन इन्द्रधनुष चलाकर टीकाकरण किया जाना था। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्द्रधनुष मिशन कितने राज्यों में लागू किया गया है और इसके तहत कितने छूटे हुए बच्चे, पलायन कर चुके बच्चों का अभी तक टीकाकरण किया गया है? ...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि दिसम्बर, 2014 में यह मिशन इन्द्रधनुष योजना लागू की गई थी। ...(व्यवधान) 2015 से इस पर वर्किंग शुरू हुई।...(व्यवधान) उसके पहले जहां इम्यूनाइजेशन में नॉर्मली एक प्रतिशत की वृद्धि होती थी, ...(व्यवधान) मिशन इन्द्रधनुष लागू होने के बाद यह वृद्धि लगभग 6 प्रतिशत होने लगी।...(व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore, Shri V.K. Sreekandan, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

उसके बाद अक्टूबर, 2017 में, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है, देश के उन जिलों के बारे में अध्ययन किया गया, जहां हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज अपेक्षा के मुकाबले बहुत कम था और इसकी पहल स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक मीटिंग लेकर की। इस सन्दर्भ में, लगभग 12 मंत्रालयों ने मिशन इन्द्रधनुष में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसमें एक ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत, जिसमें देश के लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्यों के लेवल पर चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनीटर करते थे। 12 मंत्रालयों ने इसमें सहयोग किया और लगभग 190 जिलों में इन्टेंसीफाईड मिशन इन्द्रधनुष को लागू किया गया। उसके बाद जब इसका अध्ययन किया गया तो बहुत सारे जिलों में करीब 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। अभी जो हमारा स्टेटवाइज इम्यूनाइजेशन कवरेज का डेटा है, उसे प्रश्न के उत्तर के साथ उपलब्ध कराया है। ग्राम स्वराज्य योजना, जिसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को लेकर फोकस किया गया था, उस योजना में भी और उसके बाद एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज्य योजना, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती थी, में प्रयास करके लगभग 100 प्रतिशत बच्चों को यह टीका दिया गया।

हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोग 'मिशन इन्द्रधनुष' को आगे ले कर चल रहे हैं और सरकार एवं विशेष कर प्रधान मंत्री जी की भी प्राथमिकता इम्यूनाइजेशन है। देश में एक भी बच्चा किसी भी कारण से रूटीन इम्यूनाइजेशन से छूटना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने 12 वैक्सिन्स निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं और हर एक बच्चे को वह वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए...(व्यवधान) बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ राज्यों में कमी है, वहां पर भी हमारे विशेष

प्रयास चल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के एक भी बच्चे को प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ के कारण तकलीफ में नहीं आने देंगे। ... (व्यवधान)

श्रीमती रेखा वर्मा: सर, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे लिख कर जवाब देने की कृपा की है। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में 'मिशन इन्द्रधनुष' के तहत दो वर्ष की आयु के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने का उद्देश्य रखा गया है। ... (व्यवधान) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हर महीने एक बार टीकाकरण किया जाता है। ... (व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन एक दशक की तुलना में अधिक भारतीय बच्चों को सभी बुनियादी टीकाकरण हो रहे हैं। ... (व्यवधान) यह बेहतर शिक्षित माताओं और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का संकेत है, लेकिन गांव अभी भी इससे दूर हैं। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि खास कर ग्रामीण क्षेत्रों, तहसील और ब्लॉक्स में 100 प्रतिशत महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार जागरूकता हेतु क्या कदम उठा रही है? ... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है, मैं पहले यह बताना चाहता हूँ कि 'मिशन इन्द्रधनुष' के देश के ऐसे गांव या जो भी ऐसे हिस्से हैं, जहां हम अपेक्षित इम्यूनाजेशन नहीं कर पाए हैं, हम लोगों ने उसकी सूची बनाई है। ... (व्यवधान) जैसा कि बताया गया है कि साधारणतः महीने में एक पार्टिकुलर जगह पर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की सहायता से बच्चों का टीकाकरण किया जाता था। ... (व्यवधान) 'मिशन इन्द्रधनुष' में एक महीने में लगातार सात दिन यह एक्टिविटी चलती है और यह लगातार चार महीने तक चलती है। ... (व्यवधान) इसके लिए बाकायदा बच्चों को

सर्च करके, घर-घर उनकी लिस्टें बना कर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि हम एक-एक बच्चे को उसमें कवर करें और उसी के कारण इम्युनाइजेशन कवरेज में जम्प मिला है...(व्यवधान)

इसके साथ-साथ उन्होंने आई.ई.सी. के बारे में कहा है...(व्यवधान) आज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कॉम्युनिकेशन के लिए भी टूल्स उपलब्ध हैं, चाहे वह सोशल मीडिया, अखबार, रेडियो या अन्य दूसरे प्रकार के संचार के माध्यम हों, सभी माध्यमों से दूर-दराज गांवों तक यह जानकारी लोगों एवं खास कर जो कम शिक्षित हैं, उन तक पहुंचे। ...(व्यवधान) हर जगह, दूर-दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन्स उपलब्ध कराने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हमने इसके लिए 12 मंत्रालयों की सहायता ली है। ...(व्यवधान) हमारी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी पर्सनल, इन्होंने भी दूर-दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद की है। ...(व्यवधान) कभी-कभी दूर-दराज के गांवों में वैक्सीन्स सही समय एवं सही टेम्परेचर पर वैक्सीन कैरियर में नहीं पहुंच पाती थीं, इसलिए उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा कैम्पेन बनाया गया। ...(व्यवधान) पिछले पांच वर्षों में इसमें बहुत ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है।...(व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी इसको मॉनिटर करते हैं, प्रगति के अंदर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ...(व्यवधान) देश के लेवल पर कैबिनेट सेक्रेट्री और स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेट्री की ओवरसाइट में यह सारा काम होता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियमानुसार आप लोग ही सदन में तय करते हैं कि कभी राज्य और राज्य विधान सभा से संबंधित विषय पर इस सदन में चर्चा न हो। आपने कई बार जब वक्तव्य दिया तो सर्वसम्मति से सदन ने कहा कि यहां पर राज्यों के विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, यह राज्य का और संवैधानिक पदों का विषय है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाएं, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। मैंने आपको इसी विषय पर शून्य काल में दो बार बोलने का मौका दिया। आप लोगों ने फैसला किया है कि किसी भी राज्य के घटनाक्रम पर, जैसे पहले संसद में बंगाल के लोग चर्चा करते थे या किसी अन्य राज्य की चर्चा करते थे, तो सभी सदस्यों का आग्रह था कि राज्यों के विषय पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप प्रश्न काल चलने दें, मैं शून्य काल में देखूंगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please don't touch. He is my staff.

...(Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्ट छपी कि क्या सरकार एक ऐसी वैक्सिनेशन तैयार कर रही है, जिससे नए मच्छरों को लाकर उनमें वलबकिया बैक्टेरिया डाला जाए और उसका फील्ड ट्रायल अक्टूबर में होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट है कि इससे डेंगू खत्म हो जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उसका फील्ड ट्रायल यहीं पार्लियामेंट में सारे सांसदों के साथ करवा लीजिए। आप यह काम इसलिए कर रहे हैं, ताकि फार्मास्यूटिकल कम्पनी को फायदा हो।...(व्यवधान) आपने क्यों मोनाश यूनीवर्सिटी ऑफ आस्ट्रेलिया से एमओयू साइन किया? एक फार्मास्यूटिकल कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के फील्ड ट्रायल किए जा रहे हैं। इससे डेंगू खत्म नहीं होगा, बल्कि फार्मास्यूटिकल कम्पनियों का करोड़ों रुपयों का फायदा होगा। ...(व्यवधान) मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के जो पुडुचेरी स्ट्रेन हैं, इन्हें इमिडिएटली बंद किया जाए और हम अपने शहरियों का इस्तेमाल किसी फार्मास्यूटिकल कम्पनी के पैसे बनाने के लिए न करें।...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि माननीय सदस्य एक लर्नेड मैम्बर हैं...(व्यवधान) देश और दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन्स रिसर्च के माध्यम से डेवलप हुई हैं और उन वैक्सीन्स से दुनिया के करोड़ों बच्चों को जीवनदान मिला है। वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेज से हम करोड़ों लोगों, करोड़ों बच्चों के प्राणों की रक्षा कर पाए हैं। डेंगी जैसी बीमारी, जिसके ऊपर इतने लम्बे समय से रिसर्च चल रहा है, उसके लिए वैक्सीन डेवलपमेंट की कोशिश हो रही है और भी अन्य बीमारियों के लिए कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से उसके बारे में ऐसी एप्रिहेंशन रखना बिल्कुल बेबुनियाद है और मुझे बहुत अफसोस है कि एक लर्नेड मैम्बर की तरफ से इस प्रकार की बात आ रही है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 382, श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 388 और 393 को क्लब कर रहे हैं।

प्रश्न 388, डॉ. जयंत कुमार राय – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 393, श्री अच्युतानंद सामंत।

माननीय सदस्य पहले प्रश्न संख्या बोलें।

...(व्यवधान)

(Q. 382, 388 and 393)

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA: Hon. Speaker, Sir, I am fortunately from the Odisha State and also represent tribal dominated parliamentary constituency, Kandhamal. मैं खुश हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। आपको पता है कि ओडिशा में ट्राइबल पापुलेशन सबसे ज्यादा है। Due to huge population, many diseases are prevalent there. These tribal people always suffer from many health problems. They do not have proper road infrastructure and communication facilities. I am pleased to ask the hon. Minister, through you, Sir, this supplementary. Can a few medical well-equipped mobile vans with advanced diagnostic features, even minor OT and specialist doctors, be introduced so that modern and other critical ailments can be addressed safely?

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट्स में सभी प्रकार की सुविधाएँ, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और सभी प्रकार की मेडिसीन्स की उपलब्धता के साथ-साथ सभी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज की स्थापना, को अलग-अलग स्कीम्स के तहत भारत सरकार विशेष रूप से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सपोर्ट करती है। लेकिन जहाँ पर स्पेशिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो स्टेट्स को पीआइपी(प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स...(व्यवधान) के तहत भारत सरकार को प्लान बनाकर देना होता है और हरेक स्टेट के प्लान्स को विस्तार से डिसकस किया जाता है। It is already a major component of the National Health Mission to give the support to the States. इसके अलावा, यदि किसी स्टेट को कमियाँ लगती हैं, तो उसमें भारत सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करती है। माननीय

सदस्य यदि किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्थान के बारे में, किसी पार्टिकुलर सुविधा के बारे में कमी लगती है, तो अपने स्टेट गवर्नमेंट से भारत सरकार को प्लान बनाकर दें। I assure him that I will personally monitor that and get it strengthened.

प्रो. अच्युतानंद सामंत : माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उससे मैं बहुत खुश हूँ। Health is a State subject. हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ट्राइबल एरियाज में हेल्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। For the improvement of the huge campaign of awareness programmes to eradicate malaria, on safe motherhood and adolescent girls, and TB etc. इसके लिए क्या कोई स्पेशल प्लान-प्रोग्राम और इनवेस्टमेंट का विचार है?

डॉ. हर्ष वर्धन: मैंने जैसा कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी प्रकार की बीमारियों के लिए भारत सरकार सभी प्रकार की सपोर्ट देती है, इसमें सभी चीजों का प्रोविजन है। जहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस की बात है, तो इसके लिए भारत सरकार का एक एमबिशियस प्रोग्राम है। वर्ष 2025 तक हम ट्यूबरकुलोसिस को रोकना चाहते हैं, यह प्रधान मंत्री जी का सपना है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए पूरे देश के सभी स्टेट्स में, लोगों के लिए केवल सरकारी सेक्टर में ही नहीं, चाहे वह ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो या ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस हो, उसका सम्पूर्ण इलाज, दवाइयों का टोटल खर्च और अगर मरीज किसी प्राइवेट सेक्टर में भी इलाज करा रहा है, तब भी पूरा-का-पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। उसी तरह से, दूसरी बीमारियों में भी हरेक बीमारी के लिए नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, उनके तहत एक पैकेज है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दिया जाता है, उस के तहत सारे स्टेट्स को पूरी मदद दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल इस संसद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रश्नकाल और पेपर्स-ले के बाद आपके नेता को निश्चित रूप से बोलने का मौका दूँगा।

अनेक माननीय सदस्य: थैंक यू सरा

11.19 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore, Shri V.K. Sreekandan, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other Hon. Members went back to their seats.

डॉ. संजय जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 382 का जवाब बहुत ही संतोषप्रद दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसा कि अभी ओडिशा के सांसद बोल रहे थे, मेरे यहाँ भी बाल्मिकी नगर टाइगर रिज़र्व है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो अस्पताल हैं, उनमें टायर-वन और टायर-टू सिटीज के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। गरीबों को आयुष्मान भारत योजना की ज्यादा जरूरत जिले के सबडिवीजन के इलाके में पड़ती है। छोटे शहरों में अपोलो या फोर्टिस जैसे अस्पताल नहीं होते हैं। वहाँ सिंगल डॉक्टर्स के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स होते हैं, तो जैसे ट्राइबल एरियाज या जो दूर के एरियाज हैं, वहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सबडिवीजनल हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत योजना में लेने की कोई योजना है ताकि गरीबों को उनके ही जिले में इलाज की सुविधा मिल सके? इलाज के लिए उनको पटना या दिल्ली आने की जरूरत न पड़े।

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सभी सरकारी अस्पताल ऑटोमेटिकली आयुष्मान योजना के तहत कवर्ड हैं। इसके अलावा, देश में अभी तक करीब 16 हजार अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत रजिस्टर किया गया है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी है। देश के किसी भी स्थान का कोई भी मरीज, जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से एनटाइटल्ड है, वह देश में किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर जा सकता है। बीमार होकर किसी भी अस्पताल में

वॉक-इन कर सकता है और बिना किसी पेपर की सहायता के, केवल उसके पास नाम और आधार कार्ड का नम्बर हो, तो अस्पताल में जाने पर उसके नाम के आधार पर तुरंत उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। अगर कोई इस योजना के तहत एनटाइटल्ड है, तो उसको कार्ड दे दिया जाता है। अगर अभी तक किसी एनटाइटल्ड पर्सन को कार्ड न मिला हो, जबकि अब तक ऑलरेडी आठ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड्स मिल चुके हैं। जो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत और अस्पतालों को भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए उनकी सहायता करने वाली स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य कोई बेहतर योजना नहीं हो सकती है।

DR. JAYANTA KUMAR ROY : Sir, I am from North Bengal. Will the Minister please tell us whether the Government proposes to set up any Central Government Medical College or All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)-like institute for the development of health facilities in North Bengal and if so, the details thereof? I would also like to know whether the Government has considered any steps to improve the ineffective or insufficient health facilities for more than 1.5 crore people of North Bengal and if so, the details thereof.

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका उत्तर विस्तार से दिया गया है। जैसा कि मैंने उत्तर में भी बताया है कि वैस्ट बंगाल में हमारी सरकार द्वारा कल्याणी में एक एम्स बनवाया जा रहा है। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेज में परिवर्तन करने की जो योजना है, उसके तहत पहली बार में 58 और दूसरी बार में 24 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेज में परिवर्तित करने की योजना है। इस तरह से देश में लगभग 82 मेडिकल कॉलेजेज

की स्थापना की योजना है। जिनमें से वैस्ट बंगाल में पाँच पहले फेज में लिए गए हैं और पाँच दूसरे फेज में लिए गए हैं। यदि आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में और कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन में कोई भी सरकार अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की सुविधा को स्ट्रेनथेन कर सकती है। उसके लिए पब्लिक हेल्थ के नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत अगर किसी लेवल पर कमी है, तो वह उसकी डिमांड कर सकती है, किसी नई मेडिकल फैसिलिटी को डेवलप करने की माँग भी वह कर सकती है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत जब कोई प्लान डिसकस होता है, तो अंदर उसकी स्वीकृति दी जाती है।

मैंने माननीय सदस्य को जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। आप कहें, तो मैं उन चीजों को पढ़कर बता सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं मंत्री जी।

डॉ. हर्ष वर्धन: जो बातें वैस्ट बंगाल से संबंधित हैं, उनकी जानकारी विस्तार से दी गई है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?

डॉ. जयंत कुमार राय : क्या आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बातचीत हुई है?

डॉ. हर्ष वर्धन: आयुष्मान भारत योजना और वैस्ट बंगाल के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि यह योजना वैस्ट बंगाल में लागू हुई थी और वहाँ काफी समय तक चली, लेकिन जनवरी, 2019 में इसको वैस्ट बंगाल सरकार ने बंद कर दिया।

अभी हमारे पास ऐसे मरीजों का भी ब्यौरा है, जिनका कैंसर का इलाज एक स्टेज पर टाटा मैमोरियल में हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन जब यह योजना बंद हुई तो पोर्टेबिलिटी के कारण

उनको जो सविधाएं मिल रहीं थीं, वे उन सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। मैंने जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दायित्व सँभाला था, उस दिन मैंने दोबारा से जो चार स्टेट्स थे, उनमें वैस्ट बंगाल की मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट की थी और उन स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों से रिक्वेस्ट की कि यह योजना सारे देश के लोगों के लार्जर हित में है। इसमें पोर्टेबिलिटी है, जिसमें 5 लाख रुपये तक के गरीब से गरीब आदमी को सब प्रकार की सहायता मिलती है। अगर इसको सारे स्टेट्स लागू करेंगे, इन्क्लूडिंग वैस्ट बंगाल तो वहां के लोगों का हित होगा। मैं समझता हूँ कि इस विषय को किसी भी राजनीतिक चश्मे से न देखकर, इसको जनता के हितों के ऐंगल से देखा जाए तो इससे देश को लाभ होगा। आज की तारीख में वैस्ट बंगाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी जी, मैंने आपको पहले बुलाया था, लेकिन आप यहां पर नारेबाजी में व्यस्त थे। मैं आज आपको स्पेशल परमीशन दे रहा हूँ।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY: Hon. Speaker, Sir, this is an important question regarding Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आप पहले प्रश्न संख्या बताएं।

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी: सर, प्रश्न संख्या 382 है।

डॉ. हर्ष वर्धन: सर, इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछें।

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी : सर, यह गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। This is a very good scheme covering almost 50 crore people. But the implementation of the scheme

is really important I am giving an example. यह बड़ी स्कीम है। इस स्कीम में मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने पैकेज दिया था, In the scheme, an amount of Rs. 19,000 is given for bypass surgery. But all private hospitals charge a minimum of three lakh rupees. मैं ऐसे पैकेज के रेट बढ़ाने के बारे में पूछना चाहता हूँ। कोई हॉस्पिटल पेशेंट को नहीं ले रहा है। मैं देश की बात कर रहा हूँ।

डॉ. हर्ष वर्धन: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इसके बारे में सूचित करना चाहता हूँ कि लगभग 1393 पैकेजेज डिफरेंट टाईप की बीमारियों के इलाज, ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स इत्यादि के हैं। वे पैकेजेज इसके अंदर रखे गए हैं। इन पैकेजेज को फाइनलाइज्ड करने के लिए बहुत हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटी है, जिसमें सभी प्रकार के स्टेक हॉल्डर्स हैं। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एसोसियेशन थी, उसमें इण्डस्ट्री के लोग थे, उसमें ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लोग थे, उसमें हेल्थ के सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल्स थे। उन्होंने इसका बहुत विस्तार से अध्ययन किया और उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स के लिए स्पेशलाइज्ड सब कमेटीज बनीं, फिर उन्होंने इसका अध्ययन किया। आयोग ने भी इसका पीयर रिव्यू किया। उसके बाद 1393 पैकेजेज बने थे। किसी पार्टिकुलर रेट को किसी दूसरे अस्पताल के रेट से ऐसे कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को 60-70 परसेंट तक की ऑक्यूपेंसी होती है और 30 बेड्स जो होते हैं, इसके माध्यम से उनको भरने की, क्योंकि बल्क के अंदर पेशेंट्स मिलते हैं और जो ये रेट्स हैं, ये काफी ज्यादा रेशनलाइज्ड हैं और बहुत ऑथेंटिक तरीके से काफी स्टडी करने के बाद बनाए गए हैं। इसमें जो छोटी-मोटी अनोमलीज हैं, जैसे कोई-कोई प्रोसीजर अलग-अलग जगह पर डिफरेंट रेट के साथ डिस्क्राइब्ड है, उन अनोमलीज के बारे में हमारे पास जो शिकयतें या ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनके ऊपर एक्सपर्ट्स का अध्ययन करा रहे हैं।

हम एनॉमेलीज़ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये रेट्स काफी सोच-समझकर बहुत जिम्मेदार लोगों ने तय किए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको स्पेशल परमिशन दी है।

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी: थैंक्यू सर। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि the proposed cost of the coronary artery bypass grafting is Rs.90,000. The CGHS rate for this in Delhi is above Rs.1.1 lakh and private hospital is charging minimum Rs.3 lakh for this surgery. सर, इसमें बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी के बहुत से केसेज़ आते हैं। आज के समय की ये मेन डिजीज़ेज़ हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट 1.1 लाख रुपये है, आपके यहां 90 हजार रुपये रेट फिक्स कर रहे हैं। यह कैसे एक्सपर्ट कंपनी डिसाइड करती है?

एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि Telangana State is not covered under this scheme. I would request the hon. Minister to include Telangana State also in the Ayushman Bharat Yojana.

डॉ. हर्ष वर्धन: आपका जो दूसरा पार्ट है, जहां तक तेलंगाना सरकार के बारे में मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद तेलंगाना के माननीय मुख्य मंत्री जी को भी राइटिंग में रिक्वेस्ट किया है और हम कन्टीन्यूअसली प्रयास करते रहेंगे, लेकिन किसी भी सरकार के स्टेट में लागू करने के लिए they have to be on board about the whole issue. हमारा यह कहना है कि आप भी अपनी सरकार के मुख्य मंत्री जी को लगातार इसके लिए रिक्वेस्ट करिए। हम तो स्वागत करेंगे क्योंकि दो-तीन स्टेट्स, जो अभी तक इसके अंदर नहीं आए हैं, वे अगर इसके अंदर आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। जहां तक आपने रेट्स का कम्पेरिजन किया है, इस तरह से रेट्स का कम्पेरिजन नहीं हो सकता। अभी आप सीजीएचएस से भी कम्पेयर करें तो सीजीएचएस के अंदर जो बेनीफिशियरीज़ हैं, तो they

pay for the services that they get. It is a different scheme. इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स का अध्ययन करके इसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है। It has not been made arbitrarily.

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? आप यहां सदन में आए थे ना? यह सदन सबको मौका दे रहा है। रात को 162 माननीय सदस्यों ने शून्य काल में अपनी बात रखी है।

(Q. 383)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, Members may be curious as to why I am raising this question in the House. When I was in the Ministry of Human Resource Development, we discovered that one of the most serious challenges that is facing the country is the dropout rate of girls from schools because either the Government schools do not have toilets or if they have toilets, they have no access to menstrual hygiene products. Children of a certain age will go home because they have no choice but to change. Very often, if home is far away, they would not come back.

If you realise, Sir, in the primary levels we have children of both sexes and from class eight onwards there is a massive dropout rate of girls. This is a national crisis because every international agency will tell you that the solution to development is to educate girls. If you educate women, you will solve many of the problems of development in our country.

So, my question is based on the fact that in the last Parliament, I tried to bring a Bill that would have amended the RTI Act to actually oblige schools and Government institutions to provide free menstrual hygiene products in the toilets of girls. Are you prepared to bring such a legal change? My colleague sitting behind me, Hibi Eden, when he was an MLA in Ernakulam, introduced this on experimental basis in 25 schools and he found that it worked very well. They had

to put a one-rupee coin to get the product. Thereafter, there was an incinerator placed in the toilet to get rid of it. The Government can afford this. We have been really, I think, derelict in our duty to save the girl children of this country.

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Speaker, Sir, Dr. Shashi Tharoor will be delighted to know that whatever he had thought of doing when he was the hon. Minister, but probably he could not implement at that time, our Ministry of Human Resource Development has done it. There are four Ministries which are already helping for this cause. Apart from my Ministry, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Drinking Water and Sanitation and also the Department of Pharmaceuticals are helping for this cause. Through the Ministry of Human Resource Development, in a specific programme, schools are being helped. Last year, itself they had started with a modest 500 schools and this time, they have got projects for almost 14,000 schools, where we propose to put the vending machines and incinerators also.

Similarly, this issue is with the Ministry of Drinking Water and Sanitation. The Ministry is working for this cause. Within the first year of our tenure, in 2014, we could construct toilets which were specifically dedicated to the female students in all the schools of this country.

So, we are very much concerned and we appreciate you for raising this issue here. Everything possible is being done and we intend to take it to the level of extreme satisfaction and need of the whole country.

DR. SHASHI THAROOR : I do have a supplementary.

I am sorry to say that the answer is not fully satisfactory. You are saying that everything is being done, but your own answer refers very specifically to a particular scheme. I think it is called Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram.

Now, the fact is this. You are only reaching the rural adolescents through this scheme. If I were to look at the Government figures, female labour-force participation in our country has fallen from 36.7 per cent in 2005 to just 26 per cent in 2018. Fewer and Fewer women are able to work. One of the factors that studies have established is that we do not give them enough facilities to take care of their menstrual hygiene and menstrual health in the workplace as well.

Are you prepared to expand the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram to go beyond just a few selected districts, but to cover the entire country and to go beyond the adolescent girls who are in schools -- which was my first question -- to also reach out to help the women of our country so that they can become more productive members of our society by increasing again their participation in the labour-force as was the case as recently as 2005? Thank you, Sir.

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Speaker, through you, I wish to inform the hon. Member that we are implementing this scheme through the National Health Mission. We have delegated all powers, including funds and everything in the last five years itself. We gave something like Rs. 239 crore exclusively dedicated to this project to various States. Earlier, when you were in Government, all these sanitary napkins, etc., were being manufactured in HLL and then there were issues about quality and their transportation to various parts of the country. So, we have delegated all the powers to the States and now the States can manufacture it. Now, it is no longer a rural issue; we have, in fact, expanded it to the urban base also.

You have suggested expanding it further to women also. In the GST itself, we had imposed no GST on this item. The Department of Pharmaceuticals is even working on providing these disposable and reusable sanitary napkins through their Jan Aushadhi Stores at a very nominal price. We are also strengthening this aspect with research through ICMR to ensure the cost-effectiveness and effectivity of all these newer innovative things that are being supplied to the young girls of the country. So, that is why, we are looking at the whole problem in its totality. We are taking a very comprehensive view of it.

DR. SHASHI THAROOR: Do you have a Budget for it?

DR. HARSH VARDHAN: Yes, of course, we have.

SUSHRI S. JOTHIMANI: Thank you, Sir.

Dr. Shashi Tharoor has rightly said that lack of menstrual management creates a lot of diseases like cervical cancer. I would like to know from the hon. Minister, through you, whether any special department can be created to deal with women's health, especially the menstrual health.

DR. HARSH VARDHAN: The women's issues are being dealt with by the Ministry of Health and Family Welfare. I think the most important focus of this Government is on the women and the child's health issues. All these Janani Suraksha Yojana and Immunization Programme for children and other antenatal programmes are all dedicated to women.

Apart from this, we work very closely with the Department of Women and Child Development. The Government is strongly focussed on the issues relating to women in its totality. I think we are doing our best. Over the years, we have seen that the maternal mortality rate has come down. We are striving to see the day when we do not lose even one pregnant woman. Pregnancy is a boon for a woman and it should not become a curse for her. So, we are very strongly committed and we do not want to lose a child because he did not get a vaccine. We do not want to lose a woman because she got pregnant and got all those issues. So, this is a very focussed programme of the Government.

Everything possible like coordination with other relevant Departments of the Government is being done. On women empowerment issues, you know we have Beti Bachao Beti Pado Programme. They are all very focussed programmes. In the last five years, the Prime Minister has taken to these programmes with a lot of passion. The Beti Bachao Beti Pado Programme has been extended to all the districts of the country. There is a huge amount of focus. You know about Ujjwala Yojana. Basically that was a health issue. All these sanitation programmes which are being taken up are ultimately focussed on preventing illnesses in women.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, you are clubbing the questions now. The question which I want to ask is not related to this question. I am asking this question on the basis of reply given by the Minister, Dr. Harsh Vardhan Ji is a very nice person but he is being pressurized by the Party and he is playing to the Gallery.

The West Bengal Government has introduced a scheme called, Swasthya Sathi. हर फैमिली को हर साल पांच लाख रुपये मिलते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप पश्चिम बंगाल की मार्केटिंग के लिए नहीं, अपितु प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: सर, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि आयुष्मान भारत स्कीम को पश्चिम बंगाल सरकार नहीं ले रही है...(व्यवधान) He has said this and targeted West Bengal. I want to say that West Bengal Government has introduced a scheme, Swasthya

Sathi, for which they give Rs.5 lakh to each family every year. I want to know whether it is only West Bengal which has refused or there are other States which have also refused to accept your Scheme.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यदि आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन : सर, मैं किसी भी विषय को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यहां संस्कृत में श्लोक लिखा भी हुआ है।

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल की जिस स्कीम के बारे में बोल रहे हैं, उस स्कीम में बेसिकली वैस्ट बंगाल सरकार डेढ़ लाख रुपये तक खर्च करती है और अगर कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, जिसमें कैंसर वगैरह भी है, उसके जब पेशेंट आते हैं और एक प्रोसीजर के तहत वे रिक्वैस्ट करते हैं तो फिर उनको पांच लाख रुपये तक वह दे सकते हैं। हमारी स्कीम कोई हमारे लिए नहीं है, अपितु यह पूरे देश के लिए है। आयुष्मान योजना किसी का ब्रांड नहीं है। इसको कंसीव प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, लेकिन यह देश के 132-135 करोड़ लोगों के लिए है। मैंने उदाहरण भी दिया है कि जिस समय इस स्कीम से वैस्ट बंगाल सरकार द्वारा विद्‌ड्रॉ किया गया ... (व्यवधान) तो एक पेशेंट जो टाटा मेमोरियल में इलाज करवा रहा था, उसने हम लोगों को लिखा और उसका रिकार्ड हमारे पास है his treatment could not be done because उसको पोर्टेबिलिटी का लाभ नहीं मिला। वैस्ट बंगाल सरकार उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। आपने पूछा कि कौन सी और राज्य सरकारें हैं। तेलंगाना में यह लागू नहीं हुई है, उनको भी हमने रिक्वैस्ट किया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री को भी रिक्वैस्ट किया है। ओडिशा के साथ हमारे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है। Odisha is on board and Odisha is very likely to introduce it very soon. यह राजस्थान और पंजाब में भी लागू हो रही है। दो-तीन राज्य ही बचे हैं। यह वैस्ट बंगाल के लोगों के हित में है और आप वैस्ट

बंगाल के लोगों का पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करते हैं। आप भी अपने मुख्य मंत्री को जाकर कनविंस करेंगे तो आपको भी उसका लाभ होगा।

(Q. 384)

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा देश आज वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वस्त्रों का निर्यात विदेशों में कर रहा है। लेकिन हमारे गुजरात राज्य का सूरत शहर जो देश का एक केन्द्र माना जाता है, जहां पर वस्त्र से संबंधित हजारों छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हैं। वहां वस्त्र निर्माण के लिए लेटेस्ट तकनीकी का इस्तेमाल करके कम से कम लागत में अच्छे गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्माण होता है।

अध्यक्ष जी, आज हमारा राजस्व टेक्सटाइल क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है, फिर भी रेशम का उत्पादन गुजरात में नहीं हो रहा है। देश के कुल 26 राज्यों में रेशम का उत्पादन हो रहा है। लेकिन हमारे गुजरात में इसका उत्पादन बिल्कुल शून्य है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे गुजरात के वातावरण की अनुकूलता न होने के कारण या तो रेशम का उत्पादन नहीं हो रहा है, या किसानों में रेशम कीट पालन के व्यवसाय की जानकारी का अभाव होने के कारण इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा रेशम कीट पालन व्यवसाय को गुजरात में बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई गई है? अगर बनाई गई है, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सरकार सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से 2017 से लेकर 2020 तक के कार्यकाल में एक विशेष सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 'सिल्क समग्र' नाम की लगभग 2,160 करोड़ राशि की एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसमें प्री कोकून और पोस्ट कोकून सिल्क के उत्पादन के संदर्भ में हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सांसद जानना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समन्वय के साथ विशेषकर हम किसानों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम

से उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं मनरेगा के अंतर्गत कन्वर्जन्स प्रोग्राम्स के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए हमने राज्यों को लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें से हमने 400 करोड़ रुपये देश भर के जिन-जिन राज्यों ने हमसे विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से सिल्क प्रोडक्शन में मदद मांगी है, हमने उनको 400 करोड़ रुपये तक की मदद पहुंचाई है।

अभी वर्तमान में नवसारी में एक डिफंक्ट सिल्क फार्म है, जिसे रिवाइव करने का प्रयास सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड कर रही है और उसकी बातचीत गुजरात सरकार से चल रही है।

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल यह है कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'सिल्क समग्र' योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश में रेशम कीट पालन व्यवसाय के प्रचार-प्रसार के लिए पिछले दो वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं तथा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने पिछले दो सालों में कितनी धनराशि खर्च की है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, सिल्क समग्र का विशेष संदर्भ रोजगार को और बढ़ाना है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि अगर आप मात्र रोजगार देखेंगे, तो वर्ष 2013-14 में हमारे देश के लगभग 78.5 लाख नागरिक सिल्क सेक्टर में कार्यरत थे। सिल्क समग्र का लक्ष्य यह है कि हम एक करोड़ लोगों को वर्ष 2020 तक नौकरी देंगे। मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि रोजगार के कल तक के आंकड़े 91 लाख तक पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आदेशानुसार जो एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है, हम उसे निश्चित रूप से पा पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे कई ऐसे मेंबर होंगे, देश भर के करीबन 26 राज्यों में सिल्क के उत्पादन में अलग-अलग गतिविधियां चलती हैं। मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि वर्ष 2013-14 में मल्बरी में दो लाख हेक्टेयर एरिया था। अगर आज आप देखेंगे, तो 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रॉ सिल्क प्रोडक्शन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंपोर्ट सब्सिस्ट्यूशन ताकि भारत स्वनिर्भर हो सके, उसमें 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वन्य सिल्क प्रोडक्शन में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि वर्तमान में किसान नर्सरीज़ 111 हैं, इरिगेशन और अदर वाटर कन्जर्वेशन टेक्नीक के प्रोजेक्ट्स 3,038 हैं।

हमारे कृषकों के लिए जो सेपरेट रियरिंग हाउसेस 3819 हैं, रियरिंग अप्लायंसेस 3640 से ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पर बायलॉजिकल इनपुट्स 32 हैं, चॉकी रियरिंग सेंटर्स इत्यादि की हमारे पास सारी जानकारी है, जो मैं आदरणीय सांसद को बता सकती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री परबतभाई पटेल । डिटेल्स में जानकारी देनी हो तो कई बार व्यक्तिगत भी भिजवा दें ताकि हम अधिकतर क्वेश्चन सदन में ले सकें।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में देश में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना एक प्रशंसनीय कदम है, जिसके तहत देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि के साथ-साथ किसान भाइयों के लिए आमदनी का एक और नया ज़रिया बन गया है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सिल्क उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बन रहे हैं। महोदय, इससे हमें किसान भाइयों की आय को बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार रेशम कीट पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों को लेटेस्ट तकनीकी

प्रशिक्षण हेतु दूसरे देशों से तकनीकी सहायता ले रही है या लेने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, सांसद ने विशेष किसानों के संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सिल्क समग्र के अंतर्गत विशेष महिला किसानों पर भी ध्यान देने का एक आग्रह रहा है। उन्हें यह जानते हुए खुशी होगी कि 680 इनफोर्मल प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से 33000 से ज़्यादा किसान मोबिलाइज़ हुए हैं। हमने विशेष उन किसानों और महिला किसानों को 23 डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष रूप से सहयोग दिया है, जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट इलाकों से प्रभावित हैं, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में विशेष महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत हम लोग सिल्क का काम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के संदर्भ में आदरणीय सांसद ने एक प्रश्न पूछा, चाइना, उज़्बेकिस्तान के साथ-साथ सेंट्रल सिक्क बोर्ड, भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के समन्वय से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और किसानों के संदर्भ में हम लोग विशेष किसान मेला लगा कर, किसानों के लिए वर्कशॉप लगाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी काम करते हैं।

DR. G. RANJITH REDDY: Sericulture is very important as it covers small and marginal farmers. In Telangana, we have two Technical Service Centres, one at Vikarabad and one at Chevella which is my parliamentary constituency. In my State, there are Government seed farms also in Qutubullapur, Moinabad, Peddemul and Maheshwaram which fall under my parliamentary constituency.

Apart from this, the Chairman of the Silk Board has said that Telangana is the best suitable State for silk farming. You also know that the State of

Telangana gives a lot of incentives for agriculture. Through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether she can propose to come up with a unit of Central Silk Board in Ranga Reddy District of Telangana.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: The Central Silk Board is a single unitary Board which services the entire country. If there is any proposal made from the State of Telangana, specially for helping farmers with regard to silk production, we will be more than happy to extend our services to them. I would like to tell the hon. Member through you that the Central Silk Board works with various States to do workshops. I will be more than happy to facilitate the State of Telangana in this regard.

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 385, श्री थोल तिरुमावलवना

माननीय सदस्य, एक बार फिर व्यवस्था समझ लीजिए। इसमें कोई बात नहीं है, सब नए हैं। जब मैं माननीय सदस्यों का क्वेश्चन नम्बर पुकारूँ तो आप सभी माननीय सदस्य पहले क्वेश्चन नम्बर बोलें। फिर माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटल पर रखेंगे। फिर आप प्रश्न पूछिए। सदन की व्यवस्था इस तरह से है।

माननीय सदस्य बहुत ही गंभीर और पकड़ वाले हैं। माननीय सदस्य पूछिए।

(Q. 385)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN : I got the details from the Ministry of Women and Child Development regarding the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

According to the reply of the Ministry, I came to know that there are 10 States and Union Territories, including Tamil Nadu and Puducherry, which have framed and notified their own rules under the JJ Act. Only five States and Union Territories have adopted the rules of the Central Government and notified them. But there are eight States and Union Territories which have drafted the rules under JJ Act but are yet to be notified. There are thirteen States and Union Territories which are in the process of framing rules under the JJ Act. It is really shocking to know that about 21 States and Union Territories are yet to notify the rules. It is really an injustice to the children. The Union Government enacted the Juvenile Justice Act, 2015 to provide justice to the children who are affected by various kinds of abuses and crimes.

The hon. Minister's reply clearly shows that 21 States and UTs out of 36 are yet to comply with the directions of the Act. They failed to implement the Act. This is a great injustice to the children. I request the hon. Minister to fix a time-frame for the States which are yet to notify the rules.

Recently, the Supreme Court took *suo motu* action regarding registering a case on increase in the number of child abuses, particularly sexual abuse cases, in our country. In the past six months, 24,212 FIRs were registered across the country relating to child sexual abuse cases that are on the increase. So, I raise the question to our hon. Minister as to what action has been taken by the Union Government against the States and Union Territories which are yet to notify the rules.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to tell the hon. Member, through you, that till such time, a State does not notify its own rules, the Central rules and Act applies. Hence, there will not be any child in want of justice in the absence of a State notifying its own rules. Insofar as the hon. Members observation regarding the hon. Supreme Court of India is concerned, I believe, he is quoting from the media reports which might not be substantiated. I have read the ruling of the hon. Supreme Court which seeks to get the data with regard to pendency across all districts in the country. Hence, for us, to presume that this is the number of pendency in terms of FIRs registered or investigation by the State Police or for that matter, pendency in terms of legally pending cases in court would be a presumption which is best not done. I will only say that insofar as the States which are yet to notify their rules, since the Central Act applies, I will take the concern of the hon. Member under advisement. We are actively pursuing with

the States which have not notified their rules to do so. But, be assured that the Central Act applies till such time, the State does not notify its own rules.

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

May I draw the attention of the hon. Minister towards the fact that the condition of juvenile justice homes, what is colloquially called remand homes, across the country, is very bad. Would the hon. Minister consider appointing a commission which can study the condition of remand homes across the country, and make certain recommendations with regard to how facilities in those remand homes could be standardised and how they could be made better?

12.00 hrs

The difficulty is that when young juveniles, who are accused of a crime are remanded to these Juvenile Justice Homes or what is colloquially called as remand homes, they come back as hardened criminals rather than being reformed. So, therefore, would the Minister consider a Commission of this sort? That is my question.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to inform the hon. Member, through you, that I, as a Minister, have already communicated with all Chief Ministers across all States in the country to look into this very aspect. That is

because given the fact that these institutions are under the jurisdiction of the State and given the mantra of cooperative federalism, you would not want to infringe on the rights of the States to look at these institutions themselves. But at the same time, I am seized of the matter and I take cognizance of the Member's angst and instead of appointing a Commission, which supersedes the rights and responsibilities of the State, we will definitely engage more productively with the States to ensure that condition in such homes is bettered.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the British India Corporation Limited, Kanpur, and its subsidiaries for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the British India Corporation Limited, Kanpur, and its subsidiaries for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 398/17/19]

(3) A copy a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the NTC Limited and the Ministry of Textiles for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 399/17/19]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 400/17/19]

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE AND
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH
JAVADEKAR):** I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 401/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD
YESSO NAIK):** I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy,

Kolkata, for the year 2017-2018.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 402/17/19]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973:-

1. The Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-11/2010-CCH(Pt.-II)(1) in Gazette of India dated 20th June, 2019.
2. The Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-13/2006-CCH(Pt.VI) in Gazette of India dated 19th June, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 403/17/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 404/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Volume I & II) (Hindi and English versions) of the Ministry of Finance for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 405/17/19]

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 17th July, 2019 considered and agreed without any amendment to the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th July, 2019.”

12.03 hrs**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the 1st Session of 17th Lok Sabha will consist of:

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains consideration and passing of the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019.]
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 4 of 2019) and consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.
3. Consideration and passing of the following Bills:-
 - (i) The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019
 - (ii) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019
 - (iii) The Consumer Protection Bill, 2019
 - (iv) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2019
 - (v) The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019
 - (vi) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019
 - (vii) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019

4. Consideration and passing of the following Bills after their introduction:
 - (i) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019
 - (ii) The “Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019
 - (iii) The Right to Information (Amendment) Bill, 2019
 - (iv) The Code on Wages Bill, 2019
 - (v) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code Bill, 2019
5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (Ordinance No. 6 of 2019) and Consideration and passing of the Companies (Amendment) Second Bill, 2019 after its introduction.
6. Consideration and passing of the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019 as passed by Rajya Sabha.
7. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
 - (i) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2019.
 - (ii) The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष: अब सबमिशन होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उसे सबमिशन के बाद लिया जाएगा, क्योंकि सबमिशन महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए-

1. दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में 68 संविदा नर्सिंग कार्मिकों को तत्काल नियुक्ति देकर नियमित करने के संबंध में।
2. मनरेगा में विगत 15 महीनों से सामग्री मद में भुगतान नहीं होने से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सबमिशन में जो दिया है, उसी को पढ़ना है।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business:

1. The development of NH between Edappilly-Moothakunnam stretch of NH 17 (new NH 66) is a long pending case. I urge the Government to study the feasibility of the construction of the elevated highway or payment of land value as per 2013 R&R package;
2. The second phase of Kochi Metro extension from Jawaharlal Nehru Stadium to Infopark Smart City-Kakkanad needs to be completed.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न दो विषयों को शामिल किया जाए-

1. जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र प्रतापगढ़ राजस्थान में बाईपास निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात इसको प्रारंभ कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
2. कोटा तथा उदयपुर के मध्य वाया चित्तौड़गढ़ के लिए सुबह शाम एक सवारी गाड़ी या डेमू ट्रेन को चलाए जाने की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित प्रस्तावों को जोड़ा जाए-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में महेन्द्रनाथ हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। उक्त हॉल्ट को यात्री सुविधा की दृष्टि से विकसित करने और वहां पर एक उपरिगामी पुल बनाए जाने पर विचार किया जाए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा का विस्तृत प्लांट लगाने जाने पर विचार किया जाए।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मैं निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं-

1. मेरी लोक सभा क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरन्दाजी के साईं सेंटर खोलने के संबंध में।

2. मेरी लोक सभा क्षेत्र में अनेक गांव सैकड़ों साल से वन भूमि में बसे हुए हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन गांवों को भूमि आवंटित कर पट्टे देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया - उपस्थित नहीं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. पिंपरी चिंचवड शहर से गुजरने वाली पवना नदी के प्रदूषण को देखते हुए पवना नदी को "नदी सुधार योजना" में शामिल किए जाने से संबंधित विषय।
2. माथेरन हिल स्टेशन जो कि इको-सेंसेटिव जोन है, पर्यटकों की मांग को देखते हुए वहां पर ई-रिक्शा चलाए जाने से संबंधित विषय को शामिल किया जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. वाराणसी से सोन नगर (औरंगाबाद) तक एन.एच.-02 की हालत जर्जर हो गई है। इसकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए।
2. बिहार के आरा से कोचस होते हुए भभुआ रोड तक रेल मार्ग के निर्माण की योजना वर्षों से अधर में है। इस योजना को शीघ्र पूरा किया जाए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Speaker, Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's list of business:

1. Mining of beach sand mineral in the coastal area of Kerala and the expansion of IRE Limited Chavara.

2. Functioning of Public Service Commission, Universities in conducting examinations and the credibility thereof in the light of the recent developments in Kerala.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत सिंगरा एनएच 75 तथा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर अविलंब ओवरब्रिज निर्माण कराने की कृपा की जाए।
 2. झारखंड के प्रमंडलीय मुख्यालय पलामू जिले के मेदिनीनगर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। अतः इसे अमृत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए।
-

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, मैं आपके वक्तव्य के पहले एक सामान्य नियम आपको बताता हूँ कि नियमानुसार किसी भी राज्य की विधान सभा में हो रहे कार्य के सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं हो सकती है। नियम प्रक्रिया में यह भी है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में भी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय अधीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मैं इससे हट कर दो-चार बातें कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हमारी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमारे गृह मंत्री उपस्थित रहेंगे। ... (व्यवधान) हमारी यह इच्छा थी कि उनके सामने हम अपनी बात पेश करते और वे खुद इसका जवाब देते।

मैं दो-चार मूलभूत बातें यहां कहना चाहता हूँ। यहां बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, आप भी हैं। हर सदन के ये अलंकार होते हैं कि सदन में आरोप-प्रत्यारोप चले, नोक-झोंक चले, वाद-विवाद चले, संवाद चले। हमारे सदन के ये अलंकार स्वरूप होते हैं। यहां जो चीजें होती हैं, हर राज्य की विधान सभा में वही चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर आप हमें कुछ व्यवस्था देते हैं, तो राष्ट्रपति जी आकर अगर आपको कहें कि यह नहीं होगा या होगा, तो आपको यह सही नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ऑटोनामी है। हर राज्य में भी जो सदन के स्पीकर होते हैं, उनकी ऑटोनामी होती है। राष्ट्रपति जी इलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। आज हिंदुस्तान में एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश और सिलसिला जारी है। ... (व्यवधान) सर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, ... (व्यवधान) चौदह महीने पुरानी कनार्टक की गठबंधन सरकार का भविष्य तय करने के लिए गुरुवार को विधान सभा में मतदान नहीं हो सका क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन ... (व्यवधान) विपक्षी भाजपा के बीच ... (व्यवधान)

12.15 hrs**GOVERNMENT BILLS - Introduced****(i) Transgender Persons (Protection of Rights) Bill , 2019***

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I would like to object, Sir, but I would like to say ...(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हम वॉक आउट करते हैं।

12.16 hrs

At this state Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. Shashi Tharoor and some other hon. Members left the House.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री थावर चंद गहलोत: मैं विधेयक पुरस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.07.2019

** Introduced with the Recommendation of the President.

12.16 ½ hrs**(ii) Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 ***

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निपेक्षकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.07.2019.

12.17 hrs

**STATEMENT RE: BANNING OF UNREGULATED
DEPOSIT SCHEMES ORDINANCE, 2019***

**THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (No. 7 of 2019).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 406/17/19.

12.18 hrs**GOVERNMENT BILLS – Introduced ...Contd.****(iii) Right to Information (Amendment) Bill, 2019***

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रो. सौगत राय जी, डॉ. शशि थरूर जी और अधीर रंजन चौधरी जी, आप लोगों ने जो नोटिसेज दिए हैं, वह बिल के पुनर्स्थापन के विरोध के कारण दिए गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई लेजिस्लेटिव रूप से विरोध नहीं किया गया है। आप बिल की चर्चा के दौरान भी इस विषय को उठा सकते हैं। मैं फिर भी आपको आसन की विशेष व्यवस्था के तहत एक-एक मिनट बात कहने का मौका दे रहा हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट लाया गया है, यह हमारी रूल्स के मुताबिक नहीं लिया गया। I would like to draw your

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.07.2019

attention that under Rule 74 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, it has been stated:

“Provided further that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of Members, and that any Member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.”

Sir, I am referring to Kaul & Shakhder. At page no. 66, it states:

“A Bill is not included in the List of Business for introduction until copies of the Bill have been made available to Members at least two days before the day on which it is proposed to be introduced.”

Sir, this requirement is waived by the Speaker in respect of Appropriation Bill. माननीय मंत्री जी राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें इसके लिए दो दिन का मौका नहीं दिया गया। यह रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ है। मंत्री जी बिल में जो संशोधन लाना चाहते हैं, वह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सूचना का अधिकार फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश हो रही है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल में प्रपोज किया जा रहा है in terms of salaries, in terms of service, emoluments, duration of tenure, information commission etc. पहले इलैक्शन कमीशन का पांच साल का फिक्स टेन्योर था, अब यह सरकार तय करेगी। Salaries, allowances and other terms of service

was same as Election Commission and for Election Commission, it is same as the Judges of the Supreme Courts and the High Courts.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिटेल में बोल रहे हैं। आप बिल पर क्या बोलेंगे? इस बिल को लाने की आपत्ति पर सवाल उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम चाहते हैं कि कमीशन पर सरकार का हस्तक्षेप न रहे। यह सरकार कमीशन पर हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके ऊपर दबाव डालना चाहती है। इनकी फ्रीडम, आजादी को खत्म करना चाहती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा न करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In fact, the Standing Committee opined that the Information Commission is an important creation under the Act.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 19बी में यह अनुमति दी है।

श्री सौगत राय जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आप बिल की आपत्ति के समय पूरे बिल पर चर्चा करने लग जाते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मेरी बात सुन लीजिए। यहां एन.के. प्रेमचन्द्रन जी तथा अन्य विद्वान बैठे हैं। इस तरह से हर बिल पर बिना लेजिस्लेटिव कानून के तहत कोई बात, जिसमें ऑब्जेक्शन करने का तर्क हो, उसके बिना ही आपत्ति प्रदान करने लग जाएंगे तो सदन चलने वाला नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप जब भी बोलते हैं, पूरे बिल पर ही चर्चा करने लग जाते हैं। आप अपनी बात उठाएं, विधेयक को पुरःस्थापित करने के विरोध का पक्ष उठाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन आपका है, लेकिन पूरे बिल पर चर्चा न करें।

श्री सौगत राया

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have a last line. There are several issues which require urgent attention of the Government to ensure proper functioning of the RTI Act including making appointment to fill large number of vacancies in the Information Commission etc, ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): With all the force at my command, I beg to oppose the introduction of Right to Information (Amendment) Bill.

Sir, I may mention in this context that in the 15th Lok Sabha, 71 per cent of the Bills were sent to parliamentary scrutiny. In the 16th Lok Sabha, that number has dropped. It was only 26 per cent of the Bills that were sent for parliamentary scrutiny. In the present Lok Sabha, ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह विषय इसमें कहां आ गया?

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : यह कनेक्टिड है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरे बोलने के बीच में मंत्री जी को बुला रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, मैं मंत्री जी के बाद आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकार है।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): At the time of introduction, if they want to oppose, let them oppose it on the legislative competency of the Bill and not on the merit of the Bill. They are discussing the merit of the Bill. They can discuss the merit of the Bill in the debate.

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इसी व्यवस्था पर माननीय सदस्यों को चलना है, नहीं तो अगला नाम पुकारा जाएगा।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया है। ये प्रॉब्लम है कि नए पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ...(व्यवधान) यह नए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह चार बार के लोकसभा के सदस्य रहे हैं, नए नहीं हैं।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : I have opposed the introduction of the Bill.

...*(Interruptions)*

SHRI PRALHAD JOSHI: Do you want this Bill to be referred to the Standing Committee then?

PROF. SOUGATA RAY: I oppose the introduction of the Bill. ...*(Interruptions)* Sir, in this present Parliament, not even one of the 11 Bills has been referred to the Standing Committee for their opinion. ...*(Interruptions)* Sir, if the Parliamentary Affairs Minister decides to disturb a Member in this way, I expect you to protect me from disruption. आप मुझे संरक्षण दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन में बताएं कि इस बिल का इंट्रोडक्शन से क्या संबंध है? अगर इस पर डिटेल् में चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं आपसे संरक्षण मांगता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी आप बिल इंट्रोडक्शन पर बोलें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, राइट टू इन्फार्मेशन बहुत ही जरूरी अधिकार है। पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा –

“Information Commission is an important creation under the Act, which will execute the laudable scheme of the legislation.”

Now, this Bill seeks to renew the power of the Information Commission because the earlier Bill said that the Central Information Commission will have the same power as that of the Election Commission. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की बात ही नोट हो रही है।

...(व्यवधान) *

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the entire framework of the Right to Information Act depends on the independence and autonomy of the Information Commissions, both the State and the Central Information Commissions. The Standing Committee that studied the original RTI Bill recommended insulating these bodies. It recommended providing statutory terms and fixed salaries in the same way as the Election Commission, and this was accepted by the Parliament in the RTI Bill.

By removing the statutory terms, by making it subject to the Government's wishes based on the Government's rule making powers and by taking over the power, the Bill is removing the two greatest armours. ...(*Interruptions*) Sir, please understand, I am not talking about the merits. It is not an RTI (Amendment) Bill. It is an RTI Elimination Bill. This Bill is removing the two greatest armours of institutional independence and on top of that, by controlling the State Information Commissioners, by taking over the power to determine their salaries, the Central Government is destroying it. ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I have given a notice under Rule 72. I am of the opinion that this Bill lacks legislative competence. Sir, as you

* Not recorded.

know very well--you are a learned person sitting on the august Chair--that in our Constitution, we have article 246 which defines the Union and State Lists; and the Concurrent List is in Schedule VII of the Constitution. Why I say it lacks competence is because clause 3 amends Section 16 of the principal Act. This abrogation takes away the powers of the State. That is why, I say that this Bill lacks competence. Now, clause 3 violates schemes set up under article 246. The Union is not competent to legislate on matters of access to records and information under the subjects and entries that fall under the State List. ...(*Interruptions*) I request you to please listen to me.

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय जितेन्द्र सिंह जी का भाषण नोट होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज, मैंने भी बिल को पूरा पढ़ा है।

...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, विडम्बना यह है कि बिना बिल पर चर्चा हुए, शायद बिना उसको पूरी तरह से पढ़े हुए, माननीय सदस्य इस पर अपनी निष्कर्ष एवं टिप्पणियां दे रहे हैं। I may not be as learned as Owaisi ji and Prof. Sougata Ray are, but I am trying to learn from all of them. And, for my learning, I understand that they would let it get introduced now, and when it is taken up for consideration, they may discuss each of the points which they have raised threadbare. Short of that, if they want me to

respond, then it will amount to just responding to the entire discussion.

...(Interruptions)

DR. SHASHI THAROOR : It can be sent to the Standing Committee.

DR. JITENDRA SINGH: Even if it has to be sent to the Standing Committee, we have to have the reasons for doing that. ...(Interruptions)

Now, let me tell you one thing. I do not want to get into discussion because then it will amount to replying to the Bill-discussion as such. अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कम्पिटेंसी नहीं है, यह बिल सर्कुलेट ही नहीं हुआ। This amounts to challenging the decision and the authority of the hon. Speaker's Chair. बिल सर्कुलेट हुआ। अध्यक्ष जी ने यह मुनासिब समझा कि इसको इन्ट्रोडक्शन के लिए लाया जाए। आप यह भी मानने को तैयार नहीं हैं। आप बताइए इसका क्या उत्तर है? इसके बाद यह कहा जा रहा है कि आप उनकी सैलरीज में दखल दे रहे हैं। बिल तो यह कह रहा है कि आरटीआई एक्ट में रूल बनाने का प्रावधान नहीं था। We are just trying to introduce that. I will come to it in the course of discussion. We will also discuss on the amendment which authorises the Government to frame the rules. सैलरी कितनी हुई है, इसकी तो अभी चर्चा ही नहीं हुई। सारे जमाने में जिसका जिक्र नहीं था, वह बात इन पर बड़ी नागवर गुजरी है। How has Owaisi ji assumed that we are reducing the salaries? यह तो चर्चा में होगी। ...(व्यवधान) Thirdly, Shashi Tharoor ji has rightly pointed out that it is a statutory body. Now, if we accept that it is a statutory body, then let it be a statutory body. ...(Interruptions) Let me complete....(Interruptions)

Sir, they are law knowing persons. But without being a law-knowing person, I will just read out to you a number of judgements which I thought would not come handy in the introduction of the Bill itself. What is the difference between a statutory tribunal or statutory commission and a judiciary body on the other hand? I refer to the Judgement in the case of State of Gujarat vs. Gujarat Revenue Tribunal. ...(*Interruptions*) उस विषय पर भी आते हैं। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका देता हूँ। आप बार-बार खड़े होंगे तो इस तरीके से चेयर से परमिशन नहीं मिलेगी। आप इन्टरप्ट न करें।

...(*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप हमको बोलने नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पूरा मौका देता हूँ।

...(*व्यवधान*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि यह बिल अभी इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर है, केवल धारणा दूर करने के लिए, यह तय हो चुका है। It has been debated in the Court of Law, not once but time and again, that:

“An authority may be described as a quasi-judicial authority if it possesses certain attributes. But it cannot be taken as a court.”

So, this is a statutory body. How can you equate it with the Supreme Court? How can you equate it with an elected body? I do not want to go into all this because we have a lot of time to discuss it.

A person manning a tribunal or a commission in this case cannot claim parity or privileges at par with a High Court judge or, in this case, with a Supreme Court judge, not even a High Court judge. This is from Chandra Kumar vs. Union of India of 1997. So, these are the things in which I am not going today in detail. I will get into it later.

Let me now come back to it.

As far as Modi Government is concerned, हमारी प्रतिबद्धता पर कोई अंगुली न उठाए, कोई संदेह न करे। आपको याद होगा, वर्ष 2014 में सरकार बनने के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री जी ने हमें यह मंत्र दिया था 'Maximum Governance, Minimum Government'. उसके लिए पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और ईज ऑफ गवर्नेंस अनिवार्य है। This amendment is meant to bring about institutionalisation of RTI Act, streamlining of RTI Act and ease of delivery. On the contrary to what you are saying, this is rather going to strengthen the RTI structure as such. There is no interference with the RTI. अब हुआ यह है, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सोचा पहले दिन से ही विवाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें इस पर दो दिन झगड़ा करना है। या तो उत्साह था जल्दी-जल्दी आर.टी.आई. बनाने का या शायद समय का अभाव था, इसलिए नियम बनाए ही नहीं गए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो प्रायश्चित्त कर रहे हैं...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Parliament should make the rules and not you.

...(Interruptions)

DR. JITENDRA SINGH: We have come to the Parliament. ...(*Interruptions*) No, I am not yielding. ...(*Interruptions*) You are the Parliament. We have come to you. Are you not Parliament? You tell me. अब उस अफरा-तफरी में नियम बनाए ही नहीं गए और यह अधिकार भी नहीं रखा कि नियम बनाने हैं कि नहीं बनाने। So, we are bringing an amendment. In other words, to put it in brief, I would say that this is rather an enabling legislation for administrative purposes.

जहां तक यह कहा गया कि कंसलटेशन ही नहीं हुई, due consultation was done with the Legal Affairs Department, the Legal Department. अब यह कहा जा रहा है कि...(व्यवधान) आपके पास आए हैं, तभी तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कंसलटेशन के लिए ही तो आए हैं। हमने पिछले पांच साल में आर.टी.आई. एक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। हमने आर.टी.आई. का पोर्टल बना दिया। आप क्या छोड़कर गए थे? 10 से 5 आर.टी.आई. होती थीं। आज आपको अपने मोबाइल एप से 24 घंटों में कभी भी ज्ञानोदय होता है तो आप आर.टी.आई. कर सकते हैं। यह हमने पांच साल में किया है। हम पर कौन आरोप लगा सकता है कि हमने आर.टी.आई. को कमजोर किया है। हमने इसको ऑनलाइन किया। इसे आज देश-विदेश में बैठे हुए कर सकते हैं। Section 4 of the RTI Act आप लाए थे which says 'suo motu sharing of information in the public domain' वह नहीं हो रहा था, आज देखिए हमारी वेबसाइट्स इतनी सुचारू है। डी.ओ.पी.टी. में भी किसी अधिकारी का आर्डर होता है तो उसको उसकी प्रति बाद में पहुंचती है, उससे पहले वेबसाइट्स पर आ जाती है। नई बिल्डिंग हमने बनाई। आप कह रहे हैं कि आर.टी.आई. पहले प्रभावी था। एक ऐसा समय भी आया कि चार-चार सदस्यों के साथ कमीशन चलता था, आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ, फिर एक ऐसा समय आया कि एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन होना चाहिए। There should be Leader of Opposition in the Selection Committee. We

walked an extra mile. हमने कहा कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने कहा let the Leader of the largest opposition party be a member. हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं, So, let the Bill be introduced. जो भी होगा, हम डिस्कसन करेंगे और मैं खुले दिल से कहता हूँ, We are bringing in this amendment to authorise the Government to frame rules. उसमें आपके जो भी सुझाव होंगे कि किस तरह की सैलेरी होगी, किस तरह का टेन्योर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You send it to the Standing Committee.

DR. JITENDRA SINGH: No. Why should we? Let us first discuss.

You tell me how you can justify this anomaly. The Central Information Commissioner and the Information Commissioner are equivalent to a judge of the Supreme Court. ...*(Interruptions)* Please listen. ...*(Interruptions)* Owaisi saheb, the problem is that you react before listening to the whole sentence. उसकी अगर जजमेंट को चैलेंज करना हो तो आप हाईकोर्ट को चैलेंज करते हैं। क्या कभी दुनिया भर में ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की जजमेंट को अपोज किया जा रहा है। That is the Act you have made. You have made a clumsy Act and we are trying to modify it. This is a clumsy Act and it is done in a haste. You gave the Information Commissioner the status of a Supreme Court and at the same time, left the provision of appeal to the High Court. इसका कोई जवाब देगा। हम उसमें सुधार ला रहे हैं।...*(Interruptions)* Shashiji, I am saying this with an open mind. ...*(Interruptions)* I am not contesting what you

are saying. We are having an open mind. In order to improve upon this, as I said, to streamline it and to make it more institutionalised, we will incorporate it, but we have to correct these anomalies.

Suddenly, we cannot do it. ...(*Interruptions*). We have come to the Parliament to ask for the power. ...(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I want Division. ...(*Interruptions*)

12.40 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Sudip Bandyopadhyay, Kunwar Danish Ali, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri Mohammed Faizal and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

ANNOUNCEMENT RE: DIVISION

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

महासचिव : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि चूंकि सदस्यों को अभी तक मत विभाजन संख्या का आबंटन नहीं किया गया है। अतः स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन द्वारा मत-विभाजन कराना संभव नहीं है। अब मत-विभाजन नियम 367 ए के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों को अपने मत दर्ज करने के लिए उनके स्थान पर 'हां' या 'नहीं' मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी। 'हां' वाली पर्चियां हरे कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक ओर छापी गई हैं और 'नहीं' वाली पर्चियां पीछे गुलाबी कागज पर छापी गई हैं। सदस्य पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं तिथि साफ अक्षरों में लिखकर अपनी पसंद का मत दर्ज करें। जो सदस्य 'मतदान में भाग न लेने वाला' मत दर्ज कराना चाहते हैं, वे 'मतदान में भाग न लेने वाली' पीले कागज में छापी गई पर्ची मांग सकते हैं। अपना मत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उनके स्थान पर उन पर्चियों को लेने आएंगे तथा उन्हें सभा पटल के अधिकारियों को सौंप देंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत-विभाजन के लिए केवल एक पर्ची को ही भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि मत-विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्ची एकत्र किए जाने के पश्चात् ही अपना स्थान छोड़ें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान दी जाए।”

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, डिविजन ।

माननीय अध्यक्ष : अब मतदान ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION**AYES****12.50 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anuradha, Shrimati Chinta

Bachegowda, Shri B.N.

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barne, Shri Shrirang Appa

Basavaraj, Shri G. S.

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Pradeep Kumar

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Chouhan , Shri Nihal Chand

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Dharmapuri, Shri Arvind

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Topon Kumar

Gupta, Shri Sangam Lal

Hemamalini, Shrimati

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjana

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Vijay

Kumari, Sushri Diya

Kushwaha, Shri Ravindra

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Mahto, Shri Baidyanath Prasad

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi , Shri Mohan

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra

Murmu, Kumari Chandrani

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Shripad Yesso

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Oja, Shrimati Queen

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Pandey, Shri Santosh

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr.K.C

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Pfoze, Dr. Lorho

Pintu , Shri Sunil Kumar

Pujari, Shri Suresh

Rai, Shri Nityanand

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Ranjan, Dr R. K.

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Ashok Kumar

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Roy, Dr. Rajdeep

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahoo, Shri Mahesh

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra
Sarangi, Shrimati Aparajita
Saraswati, Shri Sumedhanand
Sarkar, Dr. Subhas
Sarkar, Shri Jagannath
Saruta, Shrimati Renuka Singh
Seth, Shri Sanjay
Sethi, Shrimati Sarmistha
Shah, Shri Amit
Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi
Sharma, Shri Anurag
Sharma, Shri Jugal Kishore
Sharma, Shri Vishnu Datt
Shejwalkar, Shri Vivek Narayan
Shetty, Shri Gopal
Shewale, Shri Rahul Ramesh
Shinde, Dr. Shrikant Eknath
Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram
Shyal, Dr. Bharatiben D.
Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Teli, Shri Rameswar

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Anurag Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Tumane, Shri Krupal Balaji

Uikey, Shri Durga Das

Vardhan, Dr. Harsh

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Natarajan, Shri P.R.

Owaisi, Shri Asaduddin

Pasunoori, Shri Dayakar

Pothuganti, Shri Ramulu

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Vasanthakumar, Shri H.

Venkatesan, Shri S.

ABSTAIN

Nil

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 224

नहीं : 9

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक पुरःस्थापित करें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश कक्ष खोल दिया जाए।

12.59 hrs**PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (AMENDMENT) BILL, 2019**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नः 14, माननीय मंत्री जी ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष जी, मैं श्री अमित शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

13.00 hrs

अध्यक्ष महोदय, मानव और मानवता के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। एन.एच.आर.सी. तथा एस.एच.आर.सी. को और ज्यादा सक्षम और व्यापक बनाने के लिए तथा आयोग में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सिविल सोसाइटी की भागीदारी बनाना, विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रावधान में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त को मानव सदस्य के रूप में सम्मिलित करना है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष को भी इसका पात्र बनाया है, इसका प्रस्ताव है। एन.एच.आर.सी. तथा एस.एच.आर.सी. के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। एस.एच.आर.सी. के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष का पात्र बनाने का प्रस्ताव है। दिल्ली के सिवाय संघ राज्य

क्षेत्रों के मानव अधिकारों से जुड़े कार्य राज्य आयोगों को प्रदान करने का प्रस्ताव है। एन.एच.आर.सी. की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, इसके महासचिव एस.एच.आर.सी. के सचिव को पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

महोदय, इन प्रस्तावों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य के मानव अधिकार आयोग को अधिक शक्ति प्रदान कर मानव के अधिकारों को और संरक्षित करने और उसको न्याय देने का यह प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much hon. Speaker. On 18th December, 1993 when this Lok Sabha first debated and adopted the Protection of Human Rights Bill, one of the first speakers in support of the legislation was my distinguished predecessor, a Member of Parliament from Thiruvananthapuram, Mr. A. Charles, the only other person apart from myself, who has won three elections to this House from that seat. So, as a successor, I am very proud to stand here to defend the spirit of the National and States Human Rights Commissions.

13.03 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Sir, in November 2016, the Report of the United Nations Sub-Committee on Accreditation (SCA) had raised several serious concerns about the manner of functioning of our National Human Rights Commission. The UN, therefore, deferred the process of accreditation for India on the ground that we were not fully complying with the Paris Principles as adopted by the UN General Assembly in 1993. To minimize the international embarrassment, the Central Government promised to reform the National Human Rights Commission and based on this assurance, we were reaccredited with 'A' status in 2017. This is why the Government has brought the Bill to Parliament.

So, the entire logic of this Bill is to fulfil the assurance given to the international community that we will strengthen our Human Rights Commission, reform it in a way that matches the requirements of the Paris Principles.

As lawmakers, Sir, we have to be concerned about whether the Bill does what it is intending to do or what it is supposed to be intending to do. Does the Bill live up to the Paris Principles and does it truly strengthen the Human Rights Commission in defending our citizens' fundamental rights as enshrined in our Constitution?

I am afraid this Bill fails on both counts for six specific reasons that I would like to place before this House. The first and most important is lack of autonomy. The fact is that the most essential feature of the Paris Principles is having an autonomous and independent Human Rights Commission in a country. None other than our own Supreme Court has observed that the National Human Rights Commission is a toothless tiger as the Government ignores its recommendations and directions. As of March 2017, there were 32,085 cases pending with the Commission out of which, 29,548 were pending either for want of reports from the authorities concerned or the reports received being pending for consideration by the Commission.

The authorities are not reporting to the Commission. The Commission had acknowledged it and it requested the Government to vest it with powers of contempt to punish civil servants who do not follow the Commission's directions, especially those who fail to submit independent reports on time. The Bill completely ignores this recommendation. This is what the Human Rights

Commission itself has asked our Government to do and our Government has ignored it.

The Secretary General of the National Human Rights Commission is a member of the Government and the investigation teams consist of policemen from various State Governments. The SCA had encouraged the Government to open up the post of Secretary General to persons who may not be civil servants; for example, lawyers with human rights background, to diversify investigating teams by including persons who are not part of the police force. But none of these suggestions has been addressed by this Bill. It would have been very easy to do it; the UN would have been very happy because it would show that we are doing the best international practice. We have not bothered to do that; this is just more bureaucrats, more police, and more Government control.

My second objection is on the reduction of tenure. The Bill reduces the tenure of the Chairperson and Members from five years to three years without providing any explanation or reasons for doing so. Reducing the tenure and the subsequent increase in the frequency of the change of Members and staff can lead to inconsistency in the functioning of the Human Rights Commission and it will impact any long-term investigation undertaken by it because a long-term investigation can often take more than three years.

My third objection is on the re-eligibility to hold the office. The Bill currently allows the Chairpersons of the National Human Rights Commission and the State

Human Rights Commissions to be eligible for re-appointment after their term. Therefore, it is very much possible to foresee a situation where certain members may turn pliable to the Government in the hope of re-appointment. The normal practice around the world is to have longer terms but fixed one term, so that no one has any desire to satisfy the Government in order to be re-appointed. The independence of the National Human Rights Commission must be taken seriously, especially after this Government had tried to appoint one of the Vice Presidents of the Ruling Party as a member of the National Human Rights Commission and finally civil society groups made such an agitation and went to the Supreme Court, then he withdrew his own nomination. We need to expressly bar politicians from becoming members of the Human Rights Commission and that certainly this Bill does not do.

My next objection is on vacancies. The National Human Rights Commission and the State Human Rights Commissions have been plagued by positions which are left vacant for an unreasonable period of time. The post of the Chairperson of the National Human Rights Commission was left vacant for almost eight months. We could not probably discuss the RTI properly, but the positions in Information Commissions were also kept vacant in the same way; the office of the Lokpal was kept vacant for five years. The fact is that the post of DG (Investigations) of the National Human Rights Commission was kept vacant for a period of three years since 2014 until the Supreme Court hauled up the Government for its failure to

make an appointment. The Bill should have provided for time-bound appointments. But it does not do so. Thus, a hostile Government can cripple the Constitution, letting posts lie vacant for a long time. Just as the RTI Act has been hollowed out by simply not appointing commissioners and allowing cases to pend, the same problem is there with the Human Rights Commission.

My fifth objection is on removal of the statutory bar. In order to strengthen its functioning, the National Human Rights Commission had recommended amending section 36(2) of the Act because it bars the Commission from taking cognizance of a human rights violation beyond one year from the date of the incident. The problem is that the Bill has completely ignored this recommendation. So, the Commission cannot take care of a violation which, for various good reasons, may not have been reported to it during the one-year period provided in the Bill.

Finally, the Bill fails to provide clarity to the Human Rights Commission. Section 30 of the Act empowers the Government to set up Human Rights Courts in each district to handle cases of human rights violations.

But the Act is completely unclear about the exact nature of jurisdiction of such courts, due to which very few Human Rights Courts have been set up, thereby increasing the number of complaints before the Human Rights Commission.

In 2016, the Human Rights Commission had recommended that the Act be amended to clarify this issue about the courts, but this has also been ignored by the Bill.

So, I regret to state that this Bill is piecemeal and cosmetic. It does not even scratch the surface of the problem that led to us initially being denied our accreditation. The Minister must withdraw it, bring in the additional provisions to address the specific gaps I have listed. This Bill could have been a golden opportunity to reform the Human Rights Commissions and the State Human Rights Commissions also, but it has instead turned out to be a damp squib. More worrying, Sir, when the United Nations Sub-Committee looks at all of this, there is a real fear that we will face an international embarrassment.

I want to say it to the Government that we had a situation where a special monitor of the National Human Rights Commission, my old friend, Shri Harsh Mander had visited Assam and prepared reports which revealed large scale human rights violations in the detention centres that house people deemed to be foreigners. It is said that two of these official reports were forwarded to the Centre and one independent report he prepared has been released to the public. But these reports were ignored by the Government. He has now resigned in protest. I have now received a confirmed list of 57 people in Assam who have committed suicide because the NRC has excluded them. Ironically, Sir, a majority of these people are Hindus and they have committed suicide.

I want to say to this Government: are they conscious of the fundamental concerns relating to the non-inclusion of the citizens of India in the NRC list? Many people cannot prove, even there are Ministers who cannot prove their birth dates or college degrees. How can you say that people should be excluded from the basic rights of this country because they cannot prove their birth dates? It seems to me, that these are people who seemed to have believed that for their life time they had a right to remain in India and it is a flagrant abusive of human rights.

I want to ask the Minister, if you are not going to take any action on the basis of Human Rights Reports, special reports of this nature, then ultimately, what is the purpose of claiming that you are reforming the Human Rights Commission.

I will conclude in a minute. I just wanted to say that it is ironic that we are speaking about strengthening the Protection of Human Rights Act just days after the International Commission of Jurists condemned the attempt of this Government to stifle the voices of two of the most famous well-known, internationally recognised human rights defenders in our country; two senior advocates, Indira Jaising and Anand Grover, who have been in the forefront of defending the rights of pavement dwellers, cancer patients, women, sexual minorities and other vulnerable sections of society.

At a time when the Harvard Law School was honouring the Human Rights lawyer Sudha Bhardwaj for her work, our Government was busy arresting her and other activists. While this Government did nothing to stop wilful defaulters from fleeing the country, they were desperate to offload an environmental activist from a plane only to be rapped by the Delhi High Court for doing so. The list goes on and on. I will not elaborate, but you know that there are many more examples.

This is the dark time for human rights in our country in many ways. I urge our human rights defenders to continue fighting as the conscience keepers of our nation. I urge the Government to ensure that the international standards you need to reach in conformity with the Paris Principles and the spirit of Paris Principles, should be reflected in the Bill that you bring. I would suggest that you take this Bill back. Please look at the points I have raised, all of which will help you to get this Bill accepted by the international community and then come back to this House. We will look at it in a sympathetic spirit because on this side of the House we believe in human rights. As far as we are concerned, we will overcome one day. Until then we have to keep the fight alive, the flame alive, for human rights in this country. I would say it to the gentlemen on the other side, do not try and extinguish the flame. Thank you very much.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): आदरणीय सभापति महोदय, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं अपनी पार्टी को भी विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। वैसे भी इस संशोधन विधेयक के अंदर ऐसी विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। डॉ. शशि थरूर जी ने कुछ पाइंट रखे हैं। इंटरनेशनल कॉन्वेंट के आधार पर, जो पेरिस में मीटिंग हुई है, उसके आधार पर भी भारत सरकार इस विधेयक को लाई है। लगभग पिछले तीन दशकों का जो अनुभव रहा है कि किस प्रकार से हमारे मानव अधिकार आयोग काम करते रहे हैं, चाहे वह केन्द्र में हो या चाहे राज्यों में हो, क्या उसमें महसूस किया गया? डॉक्टर शशि थरूर जी ने जो बातें कहीं हैं, उनमें कुछ बातें जरूर सही हैं। Pendency of cases and inefficiency, लेकिन उससे इस बात को कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं बाद में उसके ऊपर भी आऊंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि जो ग्लोबल अलाइंस नेशनल ह्यूमेन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स का हुआ है, उसके आधार पर उसकी कन्फर्मिटी में भारत सरकार इस बिल को ला रही है। यह बात सही है कि कई बार चाहे नेशनल ह्यूमेन राइट्स कमीशन हो या स्टेट ह्यूमेन राइट्स कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेंटर में जरूरत है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की स्टेट में जरूरत है। कई बार वह नहीं मिलते हैं। यह बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसके कारण जो जगह थी, वह कई बार खाली रही है। मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए किया है। जहां टेन्योर की बात है, जैसा कि डॉ. शशि थरूर जी कह रहे थे कि अधिकतर जो दूसरे कमीशन हैं, वहां पर जो तीन साल का टेन्योर है, in conformity with those commissions, they are reducing the tenure in this Commission also.

सभापति महोदय, मैं मानव अधिकारों पर विचार करते समय इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत जरूरी लगता है। अभी श्री पी. पी. चौधरी जी यहां पर नहीं हैं, वर्ष 2015 में मुझे और श्री पी. पी. चौधरी जी को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में सम्मेलन हुआ था, उसमें हमें बुलाया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैग्नाकार्टा के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कांफरेन्स था। वहां पर आने वाले अधिकतर स्पीकर्स, विशेष रूप से जो ब्रिटिश लोग थे, वे इस बात को कह रहे थे कि दुनिया के अंदर जब मानव अधिकारों पर जो मूल बात शुरू हुई थी, वह मैग्नाकार्टा से 1215 के अंदर शुरू हुई थी। मैं इंग्लैंड के अंदर लंदन में भी इस बात को कह रहा था कि जो मैग्नाकार्टा है, वह 800 साल पुरानी बात है। उससे हजारों-लाखों वर्ष पहले हमारे देश के अंदर इस नाम से नहीं था। यह बात जरूर है कि फ्रांस दुनिया का पहला देश था, जिसने 1789 में अपने यहां मानव अधिकारों के लिए किया, उसके बाद 1791 में अमेरिका आया, उसके बाद दो विश्व युद्ध हुए, उसमें यूनाइटेड नेशन्स ने ह्यूमेन राइट्स सहित 1948 के अंदर उन्होंने मानव अधिकार आयोग के गठन के बाद इसका डिक्लयरेशन किया था। मैं कह सकता हूँ कि उसी की नकल करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह लिखा है कि जब डिस्कशन हुआ था कि अमेरिकन संविधान के आधार पर जो मानव अधिकार आयोग बना था, उसके आधार पर हमारे यहां पहले सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब छः रह गए हैं। भारत के संविधान में जो किया गया है, वह उसी के आधार पर उसमें किया गया था। इसलिए, मैं कह सकता हूँ और यह बात सिद्ध है कि मानव अधिकारों की जो संकल्पना है, वह एक पश्चिमी संकल्पना है। हमारे देश और भारत की संस्कृति में इस प्रकार के संकल्पों को महत्व नहीं दिया गया है।

महोदय, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ और लोग इस बात को मानते हैं कि मानव इस सृष्टि की एक विलक्षण कृति है। उसकी विलक्षणता के पीछे का कारण, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है और हमारे शास्त्रकार यह कहते रहे हैं कि-

‘न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्’।

सर्वश्रेष्ठता का आधार यह था कि मनुष्य अपने चिंतन और मनन के कारण, अपनी आज़ादी और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में अपने अभ्युदय का विकास करता है, ऐसा हमारी संस्कृति ने माना था। हम ऐसा मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। जो लोग यह कहते हैं कि वे बंदरों की औलाद हैं, मैं ऐसे लोगों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं...(व्यवधान) जो लोग यह मानते हैं। मैं और भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हम ऋषियों और मुनियों की संतानें हैं...(व्यवधान) जो लोग यह मानते हैं, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं...(व्यवधान) मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि....(व्यवधान) मुझे अभी बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): This is against the Theory of Evolution. ...(*Interruptions*)

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, हमारी संस्कृति परंपरा में मनुष्य के निर्माण पर जोर दिया गया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : When your turn comes, then you can speak. Mahua Ji, please sit down. Let him speak.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Saugata Da, you please sit down. Please cooperate. Saugata Da, you know more than me.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mahua Ji, your turn will come. I will look into the records.

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैंने यह कहा कि हमारी संस्कृति ने मानव निर्माण के ऊपर...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) ... *

डॉ. सत्यपाल सिंह: जो लोग मानव अधिकारों की कीमत नहीं समझते, वे इस तरह से बीच-बीच में करते हैं। हमारी संस्कृति और परम्परा ने मनुष्य के निर्माण पर बल दिया। मानव अधिकारों के ऊपर नहीं, संस्कारों के बल पर एक मनुष्य को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, कैसे अच्छे इंसान का निर्माण किया जाए, इस बात पर ज़ोर दिया। हमारी संस्कृति, वेद ने कहा कि मनुर्भव- अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे मनुष्यों का निर्माण करो। ऐसे संस्कारों, धर्म के आधार पर सच्चा इंसान बनने और कर्तव्यपरायणता पर उन्होंने पर ज़ोर दिया। हमारा धर्म केवल यह नहीं कहता कि मन्दिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। हमारी संस्कृति ने यह कहा कि धर्म उस चीज़ का नाम है कि-

श्रूयताम धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्॥

जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, वह मैं दूसरे के प्रति भी न करूँ। अगर मैं यह चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे तो मैं दूसरे को भी डिस्टर्ब न करूँ। यह धर्म है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाने का नाम नहीं है। जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करें, यही धर्म का नाम है। हमारे लोगों ने केवल धर्म के आधार पर बात नहीं की। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' - दुनिया के सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब स्वस्थ रहें। उन्होंने यह कहा कि केवल आदमी के लिए नहीं, हमारे वेदों ने इस बात की घोषणा की थी कि- 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।' हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें, दोस्तों

* Not recorded.

की दृष्टि से देखें। केवलमात्र मनुष्य को नहीं, लेकिन दुनिया के जितने प्राणी हैं, हम उन सब को मित्र की दृष्टि से देखें। हमने कभी भी मानव अधिकारों की बात नहीं की, कर्तव्यपरायण और अच्छे संस्कारों की बात की। हमने वसुधैवकुटुम्बकम् का नारा दुनिया को दिया। मैंने कहा कि यह जो संकल्पना है मानव अधिकारों की, यह पश्चिमी संकल्पना है। हम लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आदमी त्याग करके भोग करे, बांट कर खाना सीखे। हम लोगों ने यह सोचा कि मानव इस सृष्टि का ट्रस्टी है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, मानव उसका एक ट्रस्टी है। इसलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़-पौधे हों, सब को उसमें उसका ट्रस्टी माना गया है।

सभापति महोदय, हजारों-लाखों लोगों का कत्ल करने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले, अत्याचार करने वाले जमीन-जायदाद और देशों पर कब्जा करने वाले ही बाद में मानव अधिकारों की बातें करने लगे। इस बात को इतिहास बताता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बात को इतिहास बताता है कि जिन्होंने लाखों लोगों को मारा होगा, चाहे अमरीका का इतिहास देखिए, न्यूजीलैंड का इतिहास देखिए, आस्ट्रेलिया का इतिहास देखिए, यूरोप का इतिहास देखिए, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को मारा है, ट्राइबल्स को मारा है, वही लोग बाद में मानव अधिकारों की बात करने लगे। जब तक कर्तव्यपरायणता की बात नहीं होगी तब तक हम लोग अधिकार लेकर क्या करेंगे? हम सब यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा करने के लिए, ऐसा कानून बनाने के लिए बैठे हैं, ताकि हम मानव को अच्छा इंसान बनाने और उसके अधिकारों की रक्षा कर सकें।

सभापति महोदय, आजकल के जो मानव अधिकार संगठन हैं, मैं अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अलग-अलग नामों से मानव अधिकार संगठन काम करते हैं। इस देश के अंदर बहुत तरह के संगठन हैं। कोई अखिल भारतीय के नाम पर हैं, मानव अधिकार के नाम पर कुछ संगठन हैं, कोई भ्रष्टाचार विरोधी हैं, कोई अपराध विरोधी हैं, कोई लॉयर्स के नाम पर हैं अलग-अलग नामों से ये संगठन हैं।

मैं ज्यादातर मानव अधिकार संगठनों के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि ज्यादातर मानव अधिकार संगठन फॉरेन फंडेड होते हैं। यह बात जरूर है कि पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार के कारण कुछ लोगों के धंधे बंद भी हुए हैं और हम लोगों को इस बात के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहिए। ज्यादातर मानव अधिकार संगठन सरकारी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, फौज आदि के खिलाफ काम करते हैं। ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, नक्सलवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, अपराधियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे और ये आरोपियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, हमारी संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे और उनको हतोत्साहित करने का काम करेंगे। ज्यादातर मानव अधिकार संगठन उनको डीमोरेलाइज करने का काम करते हैं। कोर्ट में जो केस दाखिल होते हैं, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवादियों ने जिनको मारा है, ये मानव अधिकार संगठन उनके परिवारों के प्रति कभी नहीं बोलेंगे। ये अपनी ऐजेंसियों सीबीआई, आईबी पर बोलते हैं और इनके कर्मचारियों को डीमोरेलाइज करने, कमजोर बनाने का काम करते हैं।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ और ये बहुत ही शर्मनाक उदाहरण हैं। मेरी इन बातों को सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। मार्च, 1993 में मुम्बई में सीरियल ब्लास्ट हुए और उनमें 257 लोग मारे गए। इस घटना में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, देश का नाम भी बदनाम किया गया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसके पीछे थे और उन्होंने मानव अधिकार संगठनों को खड़ा कर दिया। मार्च के महीने में ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे और अक्टूबर, 1993 में भारत सरकार में एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। वोहरा कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं, इन सीरियल ब्लास्ट्स के पीछे कौन-कौन लोग हैं। राजनीति का किस प्रकार से अपराधीकरण किया गया, राजनेताओं, अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स और मानव अधिकार संगठनों का किस प्रकार से नेक्सस रहा, उसके बारे में वह रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए,

सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया, क्योंकि भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया कि अगर हम लोग इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस देश को यह जानने की जरूरत है कि वे कौन लोग हैं, जो इसके पीछे थे। ये कौन लोग हैं, जिनका गैंगस्टर्स से संबंध था और कौन से ऐसे संगठन थे। देश जानना चाहता है कि उसमें कौन-कौन लोग मिले हुए थे। हमारे गृह राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का नाम देश के सामने आना चाहिए। सबको मालूम हैं कि वर्ष 2013 में 13 दिसम्बर को इसी संसद के ऊपर हमला हुआ था। अफजल गुरु उसका मास्टरमाइंड था। वर्ष 2002 में बड़ा फास्ट ट्रैक रिव्यू हुआ, उस समय यहाँ माननीय अटल जी की सरकार थी और वर्ष 2002 में उसे फाँसी की सजा सुनाई गई। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2013 तक ये मानव अधिकार संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ इसको पॉलिटिसाइज करती रहीं और वर्ष 2013 में जाकर उसको फाँसी लगी और तब भी लोगों ने कहा, *The execution is politically motivated*. ये मानव अधिकार संगठन ऐसे काम करते हैं। ऐसे-ऐसे आर्टिकल लिखे गए। याकूब मेनन वर्ष 1993 मुम्बई ब्लॉस्ट का एक मेजर आरोपी था। क्या कोई सोच सकता है कि टाडा का आरोपी, वर्ष 2007 में उसको फाँसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वर्ष 2015 में जाकर उसको फाँसी लगी। रात के 3 बजे, ऐसे हमारे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, ये मजबूत संगठन हैं, ये मानव अधिकार संगठन हैं, हमारे ऐडवोकेट्स के अंदर भी कुछ इस प्रकार के लोग हैं, किसी साधारण, सज्जन आदमी के लिए रात के 3 बजे आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला, एक आतंकवादी याकूब मेनन के लिए रात के 3 बजे हमारा सुप्रीम कोर्ट खुलता है। क्या इसी प्रकार के मानव अधिकारों की हम बात करते हैं?... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या इस फैसले को अगले दिन तक के लिए रोकना जरूरी

था?... (व्यवधान) इसके लिए अगले दिन कोर्ट खोलना जरूरी था या रात को 3 बजे फैसला सुनाना

जरूरी था, आप इस बारे में बता दीजिए...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : जब वर्ष 2007 तक उसका निर्णय हो गया, सुप्रीम कोर्ट को केस चला गया, तब भी यह केस चलता रहा। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लोग किस प्रकार से ऐसा करते हैं।

इसी तरह, इशरत जहां का केस था। उसमें दो पाकिस्तानी मारे गए। वे टेररिस्ट थे। दो भारतीय थे। डेविड हेडली ने बयान दिया था कि इशरत जहां भी टेररिस्ट थी, फिदायीन थी, एल.ई.टी. की फिदायीन थी। हम लोगों ने कितना हल्ला किया।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि लंदन में लंदन पुलिस की कार्रवाई में एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट मारा गया। लंदन पुलिस कमिश्नर ने उस पर बयान दिया। क्या लंदन, इंग्लैंड में कुछ हुआ? क्या किसी ने इसके ऊपर हल्ला मचाया? क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने उसके बारे में हल्ला मचाया? क्या वहां की मीडिया ने कोई हल्ला मचाया? हमारे यहां इस प्रकार का हल्ला मचता रहता है।

महताब जी, 26.11.2008 को मुंबई पर इतना बड़ा अटैक हुआ। यह सारी दुनिया को मालूम है और इस पर मानवाधिकार संगठन सामने आए और उन्होंने क्या कहा? I am sorry to say that one of our police officers, he wrote a book named 'Who killed Karkare?'. उन्होंने लिखा कि the real face of terrorism is in India. उन्होंने इसके लिए आई.बी. को दोष दिया कि they are responsible for this. हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने ही उसे मास्टरमाइंड किया है, उन्होंने ही मुंबई के ऊपर अटैक कराया है। ऐसी किताब लिखी गई। उसके पीछे मानवाधिकार संगठनों के लोग थे।

महोदय, यहां दिल्ली के अन्दर वर्ष 2008 में बाटला हाउस का केस हुआ। हमारा एक इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर श्री मोहन चन्द शर्मा शहीद हो गए। उसमें एक टेररिस्ट आतिफ अमीन और एक मोहम्मद साजिद मारा गया था और हमारी कुछ पार्टियों के हमारे कुछ नेता उनके घर

तो जाते हैं, पर मोहन चन्द शर्मा के घर पर कोई नहीं गया। हमें उसकी शहादत पर न ही दुःख हुआ और न ही उसके ऊपर गर्व हुआ और न ही किसी ने उसके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। हमारी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टिज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके कुछ नेता हैं, वे बोलते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आई। वर्ष 2009 में एन.एच.आर.सी. की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए।

अभी शशि थरूर जी एन.आर.सी. के बारे में बात कर रहे थे। मुझे वह बात याद आ गई। असम में घुसपैठियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सितम्बर, 2006 में कहा था कि It is an external aggression on India. फिर तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। लेकिन, इतने दशकों में वर्ष 1985 में राजीव गांधी जी के साथ एकोर्ड होने के बाद भी हम लोगों ने क्या किया? एन.आर.सी. बनी। एन.आर.सी. पर इतना काम होने के बाद उस पर हल्ला मचाया जा रहा है। उस पर मेरे कुछ सवाल भी हैं। यहां पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों की बातें करते हैं तो हमने एक प्राइवेट मेम्बर बिल भी इस विषय पर इंट्रोड्यूस किया था। चौधरी साहब, आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं। संविधान के अन्दर 25 से लेकर 30 तक जो आर्टिकल्स हैं, पिछले दस सालों में उनको जिस प्रकार से इंटर्प्रेट किया गया, उसमें अल्पसंख्यकों को तो अधिकार दिए गए कि वे अपने धार्मिक संस्थानों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, पर बहुसंख्यक लोग ऐसा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षा संस्थान चला सकते हैं, अपने स्कूल्स, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ चला सकते हैं, पर बहुसंख्यक लोग नहीं चला सकते। क्या यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या यह उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उसे रीविज़िट करने की जरूरत नहीं है? अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, वहां पर हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। भारत सरकार से जो फण्डेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां 100

परसेंट पैसा जाता है, क्या उन्हें यह अधिकार होना चाहिए? क्या हमें इसे रीविजिट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह खत्म हो?

महोदय, मौत तो कहीं भी हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो हर बार यही माना जाता है, सबकी नज़र में यही आता है कि पुलिसवालों ने मारा होगा, पुलिसवालों के मारने के कारण ही इसकी मौत हुई है।

जेल में मौत होने की इनक्वायरी होती है। यह भी माना जाता है कि जेल में उसको मारा गया होगा, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और यह मानवाधिकारों का हनन हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद भी हमारे डेटा जेनरली ठीक नहीं होते हैं।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें हमारे डेटा ठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमारी जो रिपोर्ट है, वह वर्ल्ड लेवल पर जाकर खराब होती है। इससे हमारा इम्प्रेशन खराब होता है। मैं भारत सरकार को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, हम लोग बात करते हैं कि जाति, वंश तथा किसी भी धर्म को मानने वाले कानून की नज़र में बराबर हैं। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। हम इतने वर्षों तक हज की सब्सिडी देते रहे, क्या किसी ने सोचा कि कैलाश मानसरोवर के लिए भी सब्सिडी देनी चाहिए? ऐसा किसी ने नहीं सोचा। मैं मोदी सरकार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वर्ष 2019 में हज सब्सिडी को बंद किया। अपने नक़वी साहब का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि हज सब्सिडी के छल को मोदी सरकार ने ईमानदारी के बल पर खत्म किया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा निर्णय हुआ है कि मुस्लिम वुमन भी वहां जाकर हज कर सकती हैं। International Covenant on Civil and Political Rights की रिपोर्ट था कि अगर किसी महिला को अपने पति के परमिशन के बिना बाहर जाना अलाउ नहीं, तो यह महिलाओं के

मौलिक अधिकारों का हनन है। दुनिया इस बात को मानती है, लेकिन हमारे यहां यह अभी तक चलता रहा।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अपना समय एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भाजपा के और वक्ताओं को बोलना है। Please take your time.

डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मैं एमएचए की एक कमेटी में भी था। हमारे गुर्जर लोग जो हिन्दू थे, वर्ष 1947-48 में कश्मीर के अंदर आए थे। कश्मीर में आने के बाद उनको अधिकार नहीं दिया गया। वे भारत के नागरिक बनें, लेकिन वे कश्मीर के अंदर वोट नहीं दे सकते हैं। उनको वहां कोई अधिकार नहीं है, उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। क्या पिछले 70 वर्षों में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उनका भी कोई मौलिक अधिकार है? कश्मीर से जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और उनको मारा गया, क्या उनका भी कोई मौलिक अधिकार है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? क्या किसी संगठन ने उनकी बात उठाई है?

सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। महाराष्ट्र का एक केस है। मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में पुलिस वाले सभी जगह ड्यूटी करते हैं। जब कोई केस होता था, तो पुलिस वाले जाते थे, जज तथा मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते थे कि हमको पुलिस कस्टडी दे दीजिए। वे दस दिन की पुलिस कस्टडी मांगते थे, लेकिन जज दो दिन का देते थे। वह बोलते थे कि आप गलत काम करते हो, लोगों को परेशान करते हो। अन्फॉर्चूनेटली उसी जज के घर में हाउस ब्रेकिंग हो गई। पुलिस द्वारा दो-तीन दिन के बाद आरोपी पकड़े गए। पुलिस वाले बोलें कि यह उनकी आदत थी, जज साहब पुलिस वालों को दो दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं देते। जब पुलिस वालों ने जज साहब से कहा कि साहब दो दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए, तब जज साहब ने कहा कि आप दो दिन की क्यों मांगते हो, 10

दिन की क्यों नहीं मांगते हो। उसके बाद पुलिस कस्टडी मिल गई, एक हफ्ते तक पुलिस इन्टरगेशन चलता, उसके बाद जज साहब थाने में गए और पूछा कि माल बरामद हुआ या नहीं हुआ, जो उनके घर से चोरी हुआ था। पुलिस वालों ने कहा कि सर, यह बोल ही नहीं रहा है। जज साहब ने कहा कि ऐसे कैसे बोलेगा, आपने उसकी पिटाई की क्या? जब जज के घर में चोरी होती है, तो उसकी पिटाई होनी चाहिए। अगर आतंकवादी दूसरों को मारते हैं, तो हम खड़े हो जाते हैं। हम मानवाधिकारों का नाम लेकर खड़े हो जाते हैं। अगर मेरे परिवार का कोई आदमी टेररिस्ट या नक्सलियों के हाथों मारा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उसके लिए कड़ी व्यवस्था करे। मैं इसे पाखंड तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हम लोग दोहरी नीति रखते हैं। किसी भी देश के अंदर गलत आदमियों के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दंडेन शास्त्रे प्रजा: अर्थात् दंड से ही सरकार चलती है। हमारे यहां तो ईश्वर का विधान था।

भगवान कृष्ण गीता में कहते थे कि परित्राणाय साधुनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों की रक्षा करो और दुर्जनों का दमन करो। जब तक दुर्जनों का दमन नहीं होगा, तब तक हम चैन लेने वाले नहीं हैं।

मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूँ कि हमारे जो भी आयोग बन रहे हैं, उसमें इन बातों पर ध्यान दिया जाए। साथ-साथ ऐसी कुछ गाइडलाइंस तैयार होनी चाहिए, कुछ रूल्स इस प्रकार से बनने चाहिए कि वे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। निश्चित रूप से अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसकी रक्षा के लिए जरूर काम होना चाहिए। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं।

मुझे एक बात याद आती है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने 20 मई, 2014 को केन्द्रीय कक्ष में एक भाषण दिया था। इसे सब लोगों ने सुना था। उन्होंने कहा था कि सरकार वह हो, जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह हो जो गरीबों की सुने, सरकार वह हो जो गरीबों के लिए जिये। हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में यह करके दिखाया है। पिछले पांच वर्षों के अंदर के आंकड़े इस बात को

दिखाएंगे कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर मानवाधिकारों के हनन की संख्या में बहुत गिरावट आई है। अगर हम लोग ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम करते हैं, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है।

मुझे मुंबई की एक बात याद आ गई। हमारे हाई कोर्ट के अंदर एक जस्टिस थे। His name was Bakhtawar Lentin. He was a very famous Judge. एक रेप का केस अपील के अंदर उनके पास गया। उन्होंने कहा था कि: "human rights should be protected", आदमियों के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए "not of brute and rapist." आतंकवादियों के मानवाधिकार नहीं हैं, रेपिस्ट के मानवाधिकार नहीं हैं, गलत लोगों के मानवाधिकार नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इससे सीख लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I would like to introduce myself here. Unfortunately, my ancestors are not Rishis. My ancestors are Homo sapiens, as the science says, and my parents are Shudras. They were not even born of any God, or part of any God. They were born outside and I am here and many people from my State are here because of the social justice movement and the human rights which we fought for till today and we would continue doing that. I think it is a very important part of human rights to preserve the scientific temper of the people of this country. Without that, we cannot have human rights and I think you have to make sure and protect that scientific temper is there in this House and nobody violates that. Thank you, Sir. ...(*Interruptions*). Yes, it is in our Constitution, but I think the Constitution does not matter any more. It was said that whatever Bill is before us, it has been brought according to the recommendations of the Paris Principles. But I would just like to quote the SCA here. It says:

“It encourages the NHRCI to advocate for the formalisation and application of a process that includes requirements to:

- a) Publicise vacancies broadly;
- b) Maximise the number of potential candidates from a wide range of societal groups and educational qualifications;
- c) Promote broad consultation or participation in the application, screening, selection and appointment process;

- d) Assess applicants on the basis of pre-determined, objective and publicly-available criteria; and
- e) Select members to serve in their individual capacity rather than on behalf of the organisation they represent.”

I do not think that this Bill has taken into consideration the recommendations of the SCA. In the first place itself, it violates the rule.

Sir, coming to the next point, the Bill actually tries to include membership deemed, membership from Chairpersons of National Commission for Backward Classes, National Commission of Protection of Child Rights and the Commission for Persons with Disabilities.

We cannot forget the fact that these people who have been appointed as Chairpersons are close to the political parties in power. Be it in this Government or any other Government, they are close political appointees. So, how can the body like the NHRC work independently when the Members, who are being included, are also political appointees here?

In many studies, we have come to know that most of the Chairpersons of these Committees do not attend the meetings. It has been recommended that independent NGOs -- whatever this Government has, in spite of it having a lot of things against the NGOs -- should be working for the Human Rights in this country. Whenever the Human Rights, be it the Dalit Rights or the Minorities' Rights or the Womens' Rights, have been tampered, I think, it is the social

activists, who try to make sure that the Human Rights of the citizens are protected. So, such credible people have to be included as Members here.

Sir, in the Bill, there is a change with regard to appointment of Chairperson. From the Chief Justice, now, any Judge can be appointed as the Chairperson of this Committee. This, actually, will open up a wide bracket of choices for the Government, which in turn, will have a potential of resulting in an unhealthy competition amongst the Members of the serving Judiciary, and more politicisation of the same.

Sir, there is no transparency in these appointments. Also, the tenure of reappointment has been reduced to three years. The person, who is taking his charge will not have adequate time in these three years to even understand what the issues are or what the problems are. Then, how would he be able to resolve them?

They are talking about a second-term appointment. Obviously, a person who is going to be appointed there second time, will be chosen by the present-day Government. That would cause a lot of doubts in the minds of people, who believe in Human Rights. On the point of giving a second-term, definitely, the NHRC may have to compromise.

Just appointing one more person would not solve any purpose because there are over one lakh cases, which are pending. Then, there are more 450

cases which come up daily to the Human Right Commission in India. How would, just appointing one more person, solve the problem?

Sir, they are saying that they would include one more woman Member. The staff, which is nearly of 500, has only 20 per cent of women Members there. If they include one more person to represent woman, it would not be enough. At least, 50 per cent of it should be women. Adding one more woman would not serve any purpose.

Sir, the powers of the Secretary-General have been shifted in this Bill. Earlier, it was the Commission, which had the powers but now, the entire powers have been shifted to the Chairperson. These powers rest solely with the Chairperson, which is, definitely, not democratic.

We were talking about the Human Rights in India. How far they have come and how important they have become? But sadly, the world looks at us in a very different way. Today, India is ranked as the 28th worst offender of human rights in the world. This is the position where all of us should be ashamed of. The Minorities' Rights have been taken away. About *Dalits*, we know how they are being treated in this country.

There is, absolutely, no right of debate and dialogue in the country. The writers, thinkers and activists have been arrested and killed for voicing their opinion. Is this how we talk about human rights?

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Yes, Sir. The NHRC does not even have jurisdiction over the Armed Forces. Whatever excesses the Armed Forces commit, the NHRC do not have any control over them. They cannot call for any investigation over there. They cannot look into what is happening over there. It is completely toothless when it comes to the Armed Forces.

The cases of custodial deaths have doubled. After 2016, the Government conveniently has stopped giving prison and crime statistics. This is the way the Government solves the issues and questions. It stops giving out information. That is the way they solve issues in this country.

So, these changes are very very superficial and, actually, diluting the power of the Human Rights Commission in this country. Sir, through you, I ask the Government to withdraw this Bill and bring a Bill which really cares about human rights and upholds human rights in this country.

Here, I would like to quote Nelson Mandela, the icon of social justice and human rights: "To deny people their human rights is to challenge their very humanity." We are all only human. So, we want the human rights to be protected. Please, protect them. Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Bill. I am opposed to the Bill. I am opposed to the Bill which is why I have given six amendments to the Bill. I support whatever Shrimati Kanimozhi has said and I oppose whatever Shri Satyapal Singh has said.

Shri Satyapal Singh is an antithesis of the Constitution. Article 51(A), sub-Section (h) of the Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. What Satyapal ji has said is that we have not evolved from monkeys. He is denying the theory of evolution of Darwin.

HON. CHAIRPERSON: Please come on to the Bill *dada*.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: No, why did he say?...(*Interruptions*) Why did he say all those things? It is strange that the Ruling Party has put up a former Police Commissioner to speak on human rights. It is the police in the country, everywhere, who violate the human rights and who beat the people to death in police lockup. It is the police who beat up protesters at the slightest provocation. So, for the police to speak on human rights, is strange.

I will also say that this logic is very often given by the Ruling Party. They say: "Terrorism, terrorism, so, human rights should be taken away." He was saying: "Afzal Guru had so much human right that the Supreme Court heard his case in the middle of the night." According to the jurisprudence that we follow, no

person is considered guilty unless proven otherwise. So, the benefit of doubt in modern jurisprudence is given to every human being. Please read the Articles from 14 to 22. Article 21 says that nobody can be deprived of his life and liberty without due process of law. Article 22 says that you cannot arrest and detain a person without producing him before a court within 24 hours.

All these are blatantly violated in our country. It is time that we improved the human right consciousness of our police, our Central Forces and our Armed Forces. The Armed Forces are protected by the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA). AFSPA is in operation in Jammu and Kashmir, in Manipur and in many other places. The local people have protested.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): बंगाल में सिर्फ 'जय श्री राम' बोलने पर ही गिरफ्तारी हो जाती है।

प्रो. सौगत राय: आप ह्यूमन राइट्स पर केस कीजिए न। It is open for you to go to the court. You get an order. हमें कोई आपत्ति नहीं है। That is why, 'जय श्री राम' कोई पोलिटिकल स्लोगन नहीं है, यह धार्मिक स्लोगन है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please, address the Chair.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, speaking of the Bill, I oppose the Bill because it reduces the term of the Chairman of the Human Rights Commission from five years to three years and he is subject to reappointment. That means, the Government will have him in his hand – "You give judgements in our favour; then

we shall renew your term after three years”. That is the bait. ‘The carrot and the big stick’ is the formula of the present Government. So, I am opposed to the reduction of term of the Chairman of the Human Rights Commission. I am also opposed to this. Instead of the Chief Justice of the Supreme Court, you are allowing any Judge of the Supreme Court. That will reduce the gravitas of the post of Chairman; and that is the intention. There are so many retired Chief Justices sitting and twiddling their thumbs. You can appoint one of them. Why do you bring in a Judge of the Supreme Court? There are so many Judges; there will be a scramble for becoming Chairman. It is not right at all. In case of High Courts also, only the Chief Justice should have remained Chairman. Now you have allowed a Judge to become a Chairman. I have proposed in my amendments that you should at least make the senior-most Judge the Chairman and not any Judge. There are 20 or 30 Judges; do not make any Judge the Chairman.

The other thing to say is that they are including the Chairpersons of the National Commission for Backward Classes, the National Commission for Protection of Child Rights. ...(*Interruptions*) As Shrimati Kanimozhi has correctly pointed out, these are deemed Members but these are all Government appointees. They will be there with the Government of the day. They do not even attend the meetings of the Human Rights Commission.

You have to remember that it is a religious duty for all of us to abide by the Constitution and to fight for human rights. Human rights should be protected at all costs. You have to remember that in a civilized country like UK, they had the worst form of terrorism during the IRA *Sinn Féin* Movement. Even then, their ordinary rights were not curtailed. Even then, they did not enact any preventive detention law. You have to bring an ordinary law for the country to deal with the problems and not bring coercive laws. I want the police to be sensitized. I want the security forces to be sensitized. We should give it to the Human Rights Commission to conduct classes for police. Mr. Satyapal Singh has given an example कि जज ने बोला कि उसको मारो-पिटो नहीं तो वह चोरी का माल नहीं देगा। This is justifying police excesses. We know the story of Ishrat Jahan, how a young girl was killed on the streets of Ahmedabad on the order of a person, whom I do not want to mention, but बोला गया ठोक दो। ये मोदी जी को मारने आया है, उसको ठोक दो। ये ठोक दो कल्चर is going on in our police of which Mr. Satyapal Singh was a part.

That is why I oppose this Bill. I am all for human rights. We shall fight to our last breath to hold up human rights in this country.

Thank you.

14.00 hrs

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. I also thank my party YSR-CP for allowing me to participate in this Bill.

*Sir, main objective of this amendment is to reduce term of commission's chairman. Also, eligibility criteria for chairman are being relaxed, as these posts are vacant for quite some time. To ensure protection of human rights, Human Rights Commission should be fully manned. I welcome these changes. At the time of introducing this Bill, Hon. Minister Shri Kishan Reddy has explained objectives of this Bill in detail. How this Bill will protect Human Rights? How Human Rights Commissions functions? How these commissions are being strengthened by the Union Government? – All these points were explained at that time. Hon. Minister Shri Nityanand also explained few points. This amendment will further strengthen Human Rights Commission. We welcome decision to include chairpersons of National Women Commission, National Commission for backward classes, National Commission for disabled, National Commission for

* English translation of speech originally delivered in Telugu.

Scheduled Tribes, National Commission for Protection of Child Rights as deemed members of the Commission.

We also welcome decision to increase members to three and to include woman as a member. In this context, I would like to bring few points to the notice of the Government. Let there be any number of laws and amendments, we witnessed many amendments in this session, but results are more important and people should benefit from these changes. I would like to mention few unfortunate incidents with heavy heart. After Nirbhaya incident also there were many such atrocities on women. We hear about several incidents of rape of women every day. Women are subjected to inhuman and heinous acts like gang rape, but still plight of women is ignored and neglected in our country. In recent past, a law has been amended wherein, any person who rapes a child below 12 years of age, would be sentenced to death. We thought that this amendment will ensure safety of our children by instilling fear in the minds of perpetrators. But unfortunately, a gruesome incident took place in Telangana recently, where a 9 months old girl was subjected to this inhuman act. Such incidents wrench my heart. It's unfortunate that we cannot even safe guard our small and innocent children. Society is changing day by day; nature of our society is constantly changing. Nature of crime is changing; crimes on women are on rise.

14.05 hrs(Shri A. Raja *in the Chair*)

Chairman Sir, through you I would like to ask the Government, where should women go for safety? There are so many spy cameras everywhere. Let it be a tube light, a button, a chair, bath room or bed room. There can be spy camera anywhere. Spy cameras which are meant for safety and security are being misused. Sir, I will take only two minutes. These cameras are available at cheaper prices to everyone through off line and online means. These are sold without any regulation. Where should we go Sir? Women will have to look around with suspicion, wherever they go. We need to bring stringent laws to check unregulated sale of such devices like spy camera. Spy cameras should not be made available to everyone. They should be available for only safety and security operations. Sir, we need to protect our children.

Recently, I read a report in which there is a mention of 21 million unwanted girl children. Such reports bust our human rights. Women are deprived of her right to give birth to a girl child. Sir, women's rights are human rights. Where women are protected and respected, only those societies prosper. Governments are making efforts in this direction but people are not getting end results. To ensure benefit to the people we should make necessary amendments to our laws. We should provide teeth and strength to our Human Rights Commissions. We should ensure independent working and autonomy of these commissions. I

welcome these amendments. We should make efforts to ensure human rights and women rights through effective functioning of these commissions. I request the Government to bring in more stringent laws in the interest of protection of human rights. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति जी, मैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही प्रधान अपने देश के संविधान ने देश के सारे वर्गों के हित का प्रावधान अच्छी तरह से किया है। खास करके अपने देश के जो सारे मानव हैं, सजीव प्राणी हैं, इनके हक का संरक्षण कैसे हो और उसके लिए क्या-क्या प्रावधान करने हैं, इसका पूरी तरीके से ध्यान हमारे संविधान ने अच्छी तरह से रखा है। इसीलिए 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना इस देश में हुई। उसके बाद चाहे वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हों, उनके पास लाखों की संख्या में जो मामले दर्ज हुए उनकी तरफ उन्होंने अच्छी तरीके से ध्यान दिया और उन्हें अच्छी तरह से न्याय देने का काम किया है। वर्ष 1993 के बाद आज इस संशोधन पर चर्चा करते वक्त, मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि संशोधन करते वक्त मानवाधिकार की व्याप्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज करने वालों को सही वक्त पर न्याय कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से प्रावधान इस संशोधन विधेयक में किए जा रहे हैं। पहले दो सदस्यों की जगह पर अब तीन सदस्य किए जा रहे हैं। आवश्यक था कि महिला सदस्य को भी नियुक्त किया जाए। महिला सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान भी इस संशोधन विधेयक में किया गया है। साथ ही, पांच वर्ष की जगह पर तीन वर्ष की अवधि इस विधेयक के माध्यम से दी गई है। संशोधन करते वक्त इसमें बहुत सी अच्छी बातें शामिल करने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है।

सभापति महोदय, जो अपने देश में रहने वाले मानव हैं, जो लोग हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनके अधिकारों का हनन न हो, इसके ऊपर ध्यान रखने का काम इस मानवाधिकार आयोग का होता है।

जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा है, मैं उनकी कई बातों से सहमत हूँ कि कभी-कभी अपनी लोकशाही का बहुत दुरुपयोग कई संगठनों के माध्यम से होता है। यानी लोकशाही किसके लिए है और मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके लिए की गई, उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं। मुझ दुःख हो रहा है। जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा है कि मुंबई में 26.11.2011 को हमला हुआ, उसमें क़साब जैसे भयानक आतंकवादी को पकड़ा गया...(व्यवधान) हेमंत करकरे जैसे पुलिस ऑफिसर को उसके सामने शहीद होना पड़ा। ऐसे बड़े खतरनाक आतंकवादी को पकड़ते वक्त तुकाराम ओम्बले भी शहीद हुए। मुंबई पुलिस ने जब क़साब को हिरासत में लिया और उसे जेल में रखा, तब उसे सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा है, उसे मच्छरों की वजह से तकलीफ हो रही है, खाने के लिए बिरयानी नहीं मिल रही है, इसके लिए भी मानव अधिकार आयोग के पास जाने वाले कई संगठन हमारे देश में हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने जो कहा है, वह ठीक बात है कि परदेश से मिलने वाली जो आर्थिक सहायता है, उसका नाजायज फायदा उठाकर, अपने देश में नाजायज एक्टिविटी करने वाले जो संगठन हैं, उनके माध्यम से जो मामले मानव अधिकार आयोग के पास जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Your time is already up.

श्री विनायक भाऊराव राऊत: इस संशोधन विधेयक की विशेषता यह है कि बालिका पर होने वाले जो अत्याचार हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We have to conclude the entire discussion by 3 o'clock. Please conclude it.

श्री विनायक भाऊराव राऊत: मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से हिरासत में लिए जाने वाले कई गुनाहगार हैं। सारे गुनाहगार आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन कई गुनाहगारों द्वारा आत्महत्या करने की भी घटनाएं हो रही हैं। जेल में उनकी मृत्यु होने की

संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ भी सावधानी से देखने की जरूरत है, मानव अधिकार आयोग को इसकी जांच करने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for having called upon the Biju Janta Dal to contribute in the deliberations on this Bill.

On the face of it, this Bill really has been brought about only to obviate some of the obvious difficulties being faced by the Commission. Therefore, many of these are unexceptionable clauses which have been sought to be amended or sought to be inserted.

I think, some of my colleagues in the Opposition ranks have some misgivings about why the Chief Justice's position is being diluted to the judge's position both in the Supreme Court and the High Courts. They need have no such misgivings. It is a matter of fact that in law the Chief Justice is only the *primus inter pares*, that is, first among equals. Otherwise, he is only the master of rolls. Otherwise, all other powers of all other judges are equal. Therefore, it does not dilute the provision at all.

In fact, most Chief Justices who retire now-a-days are very much in demand as umpires in arbitration panels where there are two judges on either side. Therefore, the Chief Justice is obviously preferred. I personally know how many Chief Justices have said 'no' to the National Human Rights Commission. So, this is a practical difficulty. Therefore, there is no question of the Government trying to dilute this. We understand that.

The other provision of addition of a lady member is obviously welcome. To include Chairperson of National Commission on Backward Classes, Chairperson of National Commission on Child Rights and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities as deemed members is also a very salutary provision.

Then, reducing the term of office from five years to three years is also good because it does not then bind you down to spend too long a time. Obviously, none of these clauses can be taken exception to. So, we support it. The point is that it needs a slightly larger debate on the position of the National Human Rights Commission in India. What differentiates us from Pakistan, what differentiates us or distinguishes us from China, Russia and many of our neighbouring countries is the fact that we have such a bustling, such an importantly constitutionally valid National Human Rights Commission, which has always been exceptionally bullish in its outlook.

Otherwise, we would not have got the kind of reception we got in the International Court of Justice in the case of Kulbhushan Jadhav where the judgement was delivered 15:1. Not almost the entire world, in fact, the entire world, except Pakistan, sided with us. It is because they understand that we have such a sterling track record as far as human right issues are concerned. Therefore, it is very important that we do not dilute this Commission over a period of time.

There are certain misgivings which I must point out. The sanctioned strength of this Commission has been coming down over a period of time. Even today, the Investigating Division has only 49 people which has come down from 59 people. That is not a happy situation. In fact, since its inception, the Commission has never had the full sanctioned strength compared to the available strength. This is not a happy situation.

The annual reports are routinely being filed with massive delays. In fact, today the latest available annual report is of 2015-16. In the year 2019, if the 2015-16 report is available, that is not a happy situation at all and this must be rectified.

The Supreme Court has, in the Extra Judicial Execution Victims Families' Association matter, in fact, called the NHRC essentially a "toothless tiger". This is not a happy situation again. You will see that in many of these extradition claims which are being fought against us in the courts abroad, the first ground that is taken to try and stall the extradition is, 'the human rights record of India is not a happy record; there is torture happening in India; and there is illegal incarceration happening in India.' Therefore, the moment we really buffer up our human rights position, we will get a much better picture internationally and that is really what distinguishes India from the rest of the world.

I have to also say – I do not know whether the rest of the House is with me on this – that the bar of the Armed Forces, including the paramilitary forces, from being investigated directly by the Human Rights Commission is again not a happy situation. There is no difference in an extra-judicial killing when the police undertake it or an Armed Force personnel undertakes it or a paramilitary force personnel undertakes it. There is no difference at all. Therefore, according to me, this is something which we must look at seriously because a vast number of complaints, which are coming, are coming on that count.

The happy situation is that people, obviously, seem to have a great deal of faith in the Commission because the number of complaints which are filed on a daily basis apparently sometimes is exceeding 400 or 500, which means that people truly have a great deal of faith in this Commission, but for them to be dealt with efficaciously, we must staff the Commission adequately. The Government must pay adequate attention to this particularly because the Commission does not have a binding force in terms of its diktat. Therefore, whatever it gives even as a recommendatory exercise, I think, will have great evidentiary value and great publicity value for the country. So, it is in the interest of our country that all of us, on a bipartisan basis in this House, ask for burnishing the credentials of the Human Rights Commission.

Sir, I thank you very much for allowing me to speak.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, actually I would like to second even what my colleagues, who have spoken earlier, have said – Prof. Ray, Mr. Pinaki Misra and Ms. Kanimozhi.

I am hugely disappointed by the attitude of the Treasury Benches. It is unfortunate that the Speaker is not here, but I am deeply hurt and pained because I represent liberal India and they challenge science. There is a word called *shradha* in India and also something called *andh-shradha*. The hon. Member from the Treasury Benches was talking about *andh-shradha*.

Sir, you all know what has happened in India. You remember the Kalburgi, the Pansare and the Dabholkar of this country who were killed for liberal thinking. Then, in this 21st Century Parliament - which is *sabka sath, sabka vikas* and *sabka vishwas* – this Human Rights Commission is getting challenged and science is getting challenged. I do not know what *vikas* and *vishwas* this Government is talking about. I am really surprised.

There are two points that he said about Manav Adhikar Sangathan. He talked more about the NGOs. We are not discussing NGOs today; we are discussing what our rights are. Shri Pinaki Misra was telling that 500 people go to the Commission every day. This is not about what NGOs are doing outside, but what the common man feels. Today, the first step is to go to the police. If you do

not get it, people go to judiciary and after that, they go to the Human Rights Commission to ask for some fairness.

So, the first is that the one year gap that they have given, that the case has to be decided in one year, I think, that needs to be extended. You are challenging Human Rights Commission. It is just shocking and disappointing to me.

This whole Bill that we are discussing has to be gender neutral. It is not just about women and children. Even the LGBT group should be included. We have passed the 377 Bill here. Why are the LGBT not getting included in this? It is because they also have human rights. The human rights is not only about terrorists or police. I mean I am disappointed that they chose an ex-police officer to discuss this. The minute you talk about human rights the first reaction that you get is, it has to be about some custodial killing or about some terrorist. That is not what this case is about. It has various sections of society that are affected by human rights. So, I think we even need to get the LGBT groups involved in this.

There are a few suggestions that I would like to make. We need to completely revamp this entire scheme. The hon. Minister of State for Home Affairs is present here. Why are you bringing piece meal legislation? Why can you not revamp the whole thing in the larger interest of the nation if you are truly committed to equal rights? We need more decision-making power. There is no decision-making power. When there is an enquiry, whom do you ask questions?

Is it the State Government or the Central Government? So, it is the two arms actually of the same body that are questioning and answering each other. So, it may not be a fair trial. There has to be non-State actors here who have to be given some voice here.

I am actually surprised and disappointed with his speech. I am worried whether our freedom is going to be taken away by this Government because they seem to be completely against any voice that anybody raises against it. I would like to take this opportunity to quote Martin Luther King. He said, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere". I would like to quote Soli Sorabjee. He said, "India's teasing illusions" . So, this is an illusion about the human rights. Especially after hearing the speech of the Member from the treasury benches, I am actually devastated. It is unfortunate that Shri Jaishankar was not here to hear that speech. He would have been as devastated. I have so much faith on him. He is one of the few Ministers I am very hopeful about.

What is leadership all about? Leadership is about honesty. It is about being fair and just. If the Members from treasury benches are going to make only allegations, saying NGOs are doing this and that, then I would like to say that human rights are not about NGOs. It is about being fair and just. A good governance is not just about criticising somebody. It is about hearing the pain of your people and being fair to them and just to them.

I would request the entire treasury benches not to write off the human rights. Human rights are very important. It is a right that my Constitution has given me. The entire freedom struggle that we all went through was built on honesty, freedom of speech and human rights. So, please do not write it off. Please bring this Bill again. Let us have more detailed discussion on it. Increase the ambit of it so that it is strengthened, so that no citizen of India ever goes without these issues unaddressed. Thank you.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति जी, यह माना गया है कि मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। रामायण में एक चौपाई है, जिसमें कहा गया है कि “बड़ा भाग मानुष तन पावा।” यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अहोभाग्य है, सौभाग्य है। मनुष्य की एक वृत्ति है, एक स्वभाव है कि वह भूखा रह सकता है, लेकिन यदि उसके सम्मान पर ठेस पहुँचती है, तो वह बड़ा दुखी होता है।

हमारे संविधान में कानून की दृष्टि से मानव के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है। इस विधेयक में कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से कुछ व्यावहारिक बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा देखा गया है कि कई बार किसी व्यक्ति के साथ कोई अमानवीय घटना होती है, उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है तो वह कई दिनों तक अवसाद में चला जाता है। वह कभी-कभी डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी एक या दो दिन भूखा रहा सकता है, लेकिन उसके सम्मान के साथ, उसके मानवाधिकारों के साथ हनन होता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं और इसके दोनों पक्ष हैं। कई बार यह भी होता है कि हमारे देश के अंदर तथाकथित स्वयंसेवी संगठन तथा एन.जी.ओज़. हैं, जो अनावश्यक ही चीजों को उछालते हैं और केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें उछालते हैं। वर्तमान में इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, पहले जो प्रावधान थे, उनमें यह था कि इसके अध्यक्ष के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक था, लेकिन मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि

अब इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह बड़ा अच्छा और स्वागतयोग्य है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि अब ये हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश इसके सदस्य या अध्यक्ष हो सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी जो एक सदस्य को इसमें जोड़ने की व्यवस्था की जाने वाली है, ऐसे में इसके सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि किसी गम्भीर मामले पर मत विभाजन हो और 3 सदस्य किसी बात के समर्थक हों और 3 सदस्य विरोध में हों। ऐसी स्थिति में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार के लिए यह सुझाव होगा कि इस बॉडी की संख्या ऑड नम्बर में रखी जाए, ताकि मत विभाजन की स्थिति में 3/2 की संख्या हो या 4/3 की संख्या हो। यदि बराबर संख्या हो जाएगी तो अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि इस आयोग को और शक्तिसंपन्न करने की आवश्यकता है, इस आयोग को और अधिकार देने की आवश्यकता है।

HON. CHAIRPERSON : Please be brief.

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू ही की है और मैं अपनी पार्टी का दूसरा वक्ता हूँ। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं ज्यादा देर तक बोलने वाला नहीं हूँ। मेरा कहना है कि इस आयोग को और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह आयोग एक ट्रथलैस टाइगर है, यानी आयोग के पास वह शक्ति नहीं है, जिससे वह अपने निर्णयों को लागू करा सके। ऐसे में इस आयोग की बहुत ज्यादा सार्थकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन की घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिगर दे दूँगा। हमारे माननीय गृह राज्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, जो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। कल बाढ़ पर चर्चा शुरू हुई

तो उन्होंने उसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए अपना पक्ष रखा और जवाब भी दिया। इस तरह से एक संवेदनशील व्यक्ति और मंत्री के सामने यह चर्चा हो रही है। पहले इसमें कर्मचारियों की संख्या 59 थी, अब वह घटकर 49 हो गई है। जहां इसमें आने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इसके कर्मचारियों की संख्या घट गई है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री सुशील कुमार सिंह : एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जिलों के स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि मामले बहुत बढ़ रहे हैं। अभी एक लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और हमारे बिहार में तो राज्य के स्तर पर भी अभी मानवाधिकार आयोग का न्यायालय गठित नहीं है। वैसे यह काम राज्य सरकार का है, लेकिन यहां से एडवाइज़री तो जानी ही चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है। महोदय, अंतिम बात पूरी करने की अनुमति प्रदान करें। मैं खत्म ही कर रहा हूं। एक सेक्शन 353 है – ‘सरकारी काम में बाधा’। यह आईपीसी का सेक्शन है। अंग्रेजों के जमाने में यह कानून बना। उस समय देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे और हम भारतीयों पर वे शासन करते थे। अंग्रेजों ने इस कानून को अपनी सुविधानुसार बनाया था, लेकिन यह कानून वर्ष 2006 से पहले तक जमानती धारा में था। वर्ष 2006 के बाद भारत सरकार ने इस कानून को गैर जमानती धारा बना दिया। आपके माध्यम से मेरा यह कहना है कि हम राजनीतिज्ञ लोग हैं और सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यदि कोई आम आदमी किसी कार्यालय में अपने कार्यवश जाता है, और कई दिनों, महीनों तक उसका काम नहीं होता है। वह कार्यालय में जाता है और कर्मि या अधिकारी से अपनी बात कहता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो जरा सी बात हुई नहीं कि सरकारी कर्मि उस पर एक मुकद्दा लाद देते हैं। कोई नौजवान अपनी नौकरी के लिए जाता है तो उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन्कम

सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। चूंकि उसे देर हो रही होती है और जमा करने की अंतिम तारीख होती है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री सुशील कुमार सिंह : इसके लिए वह जरा सी बात करता नहीं कि उस पर 353 का मुकद्दा दर्ज कर दिया जाता है। यह सेक्शन वर्ष 2006 के बाद नॉन बेलेबल कर दिया गया है।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

श्री सुशील कुमार सिंह : यह मानवाधिकार का हनन है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आईपीसी के सेक्शन 353 को गैर जमानती से जमानती किया जाए।

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Sir.

The most notable weakness of the Protection of Human Rights Act 1993 is its failure to check the excess of the Police and armed forces, especially, in Kashmir and the North-Eastern States. Clause 19 of the Act of 1993 -- Procedure with respect to armed forces -- only has provisions for recommendations against the gross human rights violation by the armed forces in these States. Further, Delhi, Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland are some of the States, which do not have a Human Rights Commission even after 26 years of passing of the Protection of Human Rights Act in 1993. The basic human rights were being ignored in the name of national security in these States.

In these areas the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) gives armed forces unlimited powers with impunity in the name of national security. Jammu and Kashmir tops the list of human rights violations committed under the AFSPA with 92 complaints against the Indian Army and paramilitary forces in 2016. Assam comes in second with 58 complaints. Manipur comes third at 21 complaints while Meghalaya and Arunachal Pradesh follow next at fifth and sixth places respectively with regard to complaints. Of the 186 complaints received, 74 were against the Indian Army; death in Army encounters saw 24 complaints; death in Army firings saw 16 complaints; there were 21 cases of alleged fake encounters; and 10 cases of rape and abduction.

On 14 July 2017, in a breakthrough judgement, the Supreme Court for the first time took cognizance of 1,528 cases of fake encounters under AFSPA in Manipur ordering a Central Bureau of Investigation probe into 97 of them.

Alleged incidents of ongoing violation of human rights, violation and sexual abuse by the Armed Forces had forced the Supreme Court to question the Army whether it has rapists in uniform. Everybody knows about the case of 16 year old hunger strike by Irom Sharmila. I don't want to mention more.

I don't agree with the proposed amendments to the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. I would request the Government to withdraw the Bill. I would ask the Government not to dilute the Act.

I conclude my speech by registering my strong opposition to the laxity of the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019 and urge the Government to adhere to the international principles and standards on human rights.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I am very happy to be speaking today in the presence of the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Kishan Reddy *Garu*, who was here earlier and just left, my Telugu brother, Shri Nityanand Rai *ji*, who was my bench-mate in the 16th Lok Sabha, and also our hon. Home Minister, Shri Amit Shah *ji*.

Sir, I rise to support the Bill. I agree with the statement of the hon. Minister and the Statement of Objects and Reasons that there are problems in getting the Chairpersons to head the State Human Right Commissions. It is because the 1993 Act made it compulsory to make the Chief Justice of High Courts as the Chairpersons of SHRCs. Now, this Bill removes that. Henceforth, any Judge can become the Chairperson of the SHRCs. In my opinion, it is a welcome move.

The positions of Chairperson and Members of the Andhra Pradesh SHRC are lying vacant. There is not even an Administrative Officer in the Andhra Pradesh SHRC. States such as Chhattisgarh, Gujarat, Manipur, Meghalaya, Himachal Pradesh, Odisha and Maharashtra are also having no Chairpersons for the SHRCs. This clearly indicates the state of affairs in the SHRCs. I hope that this Bill paves the way for the full-fledged SHRCs in all States very soon.

Sir, we have to agree that human rights violations in the country are continuing in an unabated manner. They vary from arbitrary killings, forced disappearance, arbitrary arrest and detention, torture in police custody, lack of

criminal investigations or accountability in cases such as rape, domestic violence, dowry-related deaths and honour killings just to mention a few. Even if one looks at the Country Report on the Human Rights Practices for 2018, the State Department of the United States of America said that the Government of India is imposing restrictions even on censorship, using libel laws to prosecute social speech and site blocking in 2018.

The issue of human rights also plays an important role when foreign investors come to India. So, in a way, human rights violations also impact our growth trajectory. So, this has to be kept in mind.

Sir, we have been discussing various forms of human rights violations. But I strongly feel that one such act that needs to be immediately addressed is the act of manual scavenging, which is a flagrant violation of human rights. There are studies which reveal that manual scavenging is even associated with caste-based discrimination. It is a violation of Article 252 which prohibits manual scavenging and of Article 16, which deals with right to equality. It is also a violation of Articles 3, 5, 7, 8 and 12 of the Universal Declaration of Human Rights, and also Article 2(1) of the International Labour Organisation's Fundamental Conventions and Forced Labour Conventions. This indicates that we have enough legislative backing but we do not have the will to stop these brazen human rights violations. I think, even our Prime Minister has spoken on this. I urge the House and the Government, through you, Sir, to please look into

this and see how to remove manual scavenging.

Sir, I have one more very important issue. Even after the hon. Supreme Court declared privacy as a fundamental right, the Government through Aadhaar and other Bills is somehow still trying to encroach on that right. I have also raised the issue many times in the House about one particular notification issued by the Home Ministry on the 20th December, 2018 authorising 10 Central agencies to intercept, monitor and decrypt any information generated, transmitted, received or stored in any computer without any authorisation. This also, in my opinion, constitutes a human rights' violation. It is not acceptable and it should be stopped.

The Human Development Index of 2016 places India at 131st place out of 188 countries behind South Asian countries like Sri Lanka and the Maldives. This needs to be improved and I assure the hon. Minister that we are with you when you take steps to protect human rights of our citizens. Sir, nobody in this House wants India to be projected as a human rights' violator, but it is the Government of the day which has to take steps to improve the status of India in the comity of nations as far as human rights are concerned.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, we are proud to say that our country has a glorious tradition of peaceful co-existence. Citizens in this country were really working together in all the fields as brothers and sisters. Unfortunately, what is the latest position? Sir, I am sorry to say that the beautiful face of this country is getting darker because of the human rights' violation taking place in this country. There are many reports. I have with me Amnesty International Report and UN Human Rights Council's Report, but considering the time frame, I do not want to quote all these things.

14.42 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

I would like to say only one thing about what our hon. Supreme Court has observed with regard to mob lynching. Our hon. Supreme Court on the 25th July, 2018 made an observation, kindly note it. Hon. Supreme Court not only condemned the mob lynching incident but also remarked it as a horrendous act of mobocracy, and said that it cannot be tolerated and cannot be allowed. Hon. Supreme Court also said that it has to be curbed with iron hands. No citizen can take law in his hand or become a law unto himself. The State Government and Central Government must take punitive, preventive and remedial measures.

The hon. Supreme Court also suggested that the State Governments should designate a police officer not below the rank of Superintendent of Police, SP, as a Nodal Police Officer in each district to prevent mob violence. TV, radio

broadcasting and online messages should be used to spread warning that lynching and mob violence shall invite serious consequences. FIR must be registered against the person spreading false and fake messages.

Sir, even after all this observation by the hon. Supreme Court, nothing has been done. I want to quote two examples. There is one person, Shri Sanjiv Bhatt, a very good officer, an honest officer, who did so many good things where he was posted, but unfortunately, he is in a false case. A charge sheet was filed against him, a poor fellow, and he is now in jail. He is under suspension. I met his family. His wife and other family members were here, they were weeping. He was a very good officer but the case was cooked up against him.

Another example is of Dr. Kafeel Khan in Uttar Pradesh. He was a very good doctor. You all may be knowing about the gas tragedy in a hospital of Uttar Pradesh. He did very good work but he was not in good books of Ruling Party and its allies. Then what happened to him? He is under suspension now. The High Court said that he is innocent. All other people said that he is innocent. In spite of all these things, he is hunted again and again. I am telling you that there should not be any victimisation on the part of the Government.

Sir, we have to realise that this country was famous in the world for its communal harmony. Unfortunately, what is happening? I would like to say that this Government has no moral right to talk about human rights violation because

almost all the incidents of human rights violation are engineered and sponsored by the Government. As far as this Government is concerned, it is your reservation, only for you the human rights are there. You are not bothered about what is happening to others. You should correct your mistakes. Then only this country will move in a satisfactory manner. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य – असादुद्दीन ओवैसी।

माननीय सदस्य शॉर्ट में बोलिएगा।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैं पॉइंट फॉर्म में बोल रहा हूँ, मेरे दस पॉइंट्स हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य चूंकि आप इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पर ही इतना बोल लेते हैं कि आपको बिल विधेयक पर चर्चा का समय ही नहीं बचता है।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, मैं डिवीजन नहीं मांगूंगा। केवल दस पॉइंट्स ही बोलूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर आप डिवीजन भी करें तो मुझे लगता है कि यह तो आपका अधिकार है। कोई दिक्कत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, आपका हुकूम हो तो करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है। मैं क्यों मना करूंगा?

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : जी सर। ...(व्यवधान)

Sir, the first reason I oppose this Bill is that in the selection process there is going to be a member from the National Commission for BCs. Why not from the National Commission for Minorities? The Minister is here. I say this because the whole world knows that glaring violations of human rights takes place against minorities - in minorities, Muslims - and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That should have been included.

Secondly, in the appointment of Secretary-General, the Paris Principles say that Secretary-General and Director of Investigation should be independent of the Government. You are not following the Paris Principles.

Thirdly, MPs are called deemed members. Why do you want to put MPs of Ruling Party in Human Rights Commission? If you want to do it, let them be there in advisory capacity.

Fourthly, as regards the Annual Report, when was the last time you had published the Annual Report giving details like the recommendations of NHRC and how many of them you have accepted?

Fifthly, the selection was very opaque and dominated by the ruling party.

Sixthly, as regards the Human Rights Courts, the States have not yet formed State Human Rights Courts. That was a requirement under Section 30 of Protection of Human Rights Act 1933.

My seventh point is, recommendations of NHRC should be binding. It should be given biting powers. Let them be given powers to perform judicial and quasi-judicial functions. Let them sit in appeal or review. That is not being done.

My eighth point is about investigating officers. The Paris Principles clearly said that police officers should be independent. If a police officer comes from Telangana and if there is a human rights violation in Telangana, being an officer belonging to the same cadre, what kind of investigation will he do?

My ninth point is, we signed the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) in 1997. We have not yet ratified it despite the Law Commission headed by B.S. Chavan submitting a report. Had we ratified it, we could have amended the Indian Evidence Act. The police is now the holy cow. No Government will go against the police. Even if I become the Prime Minister, fortunately or unfortunately, I will not go against the police. That is because the police is the holy cow and we cannot survive without the police. You have to ratify UNCAT.

The hon. Foreign Minister is sitting here. I want to warn the Government to be careful with the US because the US Freedom Report now has become an annual affair. I do not want the US to interfere in the matters of our country. To hell with them! They have no right to poke their nose in our matters. But they are

deliberately putting in their report. It is going to be an annual affair. So, the responsibility lies more with the Government to control their elements.

As regards encounter killings, NHRC says that 179 incidents in 2015-16, 169 in 2016-17, 155 in 2017-18 took place. Majority cases are of lower castes and Muslims. As regards deaths in police custody, 145 incidents in 2016-17 and 136 incidents in 2018-19 took place. As regards deaths in judicial custody, 1,797 incidents took place in 2018-19. That is why I say that this is very important.

Lastly, Sir, there is the mob lynching issue. The Member is right. The hon. Home Minister is here. सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि मॉब लिंग पर एक कानून बनाइए। आप क्यों नहीं बनते हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, इस पर क्यों नहीं बनाते हैं। आज बिहार में हुआ है। सर, आखिर में तबरेज़ अंसारी को मारा गया है। सर, आप देखिए कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी हेट्रेड है। सर, मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ। सर, मारने वाले रात भर मारें, पुलिस ले कर अस्पताल जाती है, अस्पताल वाले नहीं देखते हैं। ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं देखते हैं। सर, जब संजीव भट्ट को 18 साल के बाद सजा हो सकती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि झारखण्ड की सरकार भी उन तमाम पुलिस अधिकारियों, उन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को सज़ा देगी। सर, मॉब लिंग के खिलाफ कानून बनाइए, वर्ना जो लोग खड़े हो चुके हैं, मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि आपको इन लोगों को बैन करना पड़ेगा। सर, प्लीज़ आधे मिनट में खत्म करने दीजिए। मैं, आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि एक फ्रैंककेनस्टाइन खड़ा हुआ है। आपको किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशंस को बैन करना पड़ेगा।

अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आज 302 हैं, मगर कल नुकसान पहुंचाएंगे देश को और आपको।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Speaker Sir. I rise to oppose the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. I am opposing the Bill not because of the contents of the Bill alone but I think, the Bill is not sufficient to meet the situation which is prevailing in our country. That is the main reason why I am opposing this Bill.

Sir, to my understanding and to my reading as Shri Owaisi has also said, the National Minority Commission is also a part and parcel of the National Human Rights Commission. If it is not there, then it is a grave mistake on the part of the Government to omit the National Minority Commission. But to my understanding and to my reading, according to the Section 3, sub-clause 3, the National Minority Commission is also a part of the Human Rights Commission. I just need a clarification on that.

Sir, I am not going into the details of the Bill. The Supreme Court Chief Justices in most of the cases are not available. The post of Chairperson for the National Human Rights Commission has been lying vacant for long. Most of the Chief Justices of the Supreme Court of India are not interested in becoming the NHRC Chairman. In order to meet this lacuna, for the sake of argument, we can accept the Bill. But I will have to accept also the other inclusiveness in the Human Rights Commission. I know the paucity of time. The definition and interpretation of

human rights is beyond the skies. Every civil right, fundamental right, everything will come under the purview of the human rights.

Sir, this original Act was passed in the year 1993. Now, it is 2019. On the basis of our experience for the last 26 years, I would like to request the Government to have a review study of the implementation and the impact of this Act during the last 26 years and come up with a comprehensive Bill so as to address the situation on the basis of the review report or on the basis of the experience of the last 26 years.

Now-a-days, Human Rights Commission is being described as a paper tiger, unable to protect ordinary citizens from human right violations, committed at times by the State machinery. Why it is so? Sanjiv Bhatt's case has already been mentioned here. In one such case, the National Human Rights Commission, disillusioned by its helplessness in bringing justice in the alleged extra-judicial killings of 1,528 persons in Manipur. NHRC deposed themselves before the Supreme Court that they are toothless tiger. They have themselves admitted this before the Supreme Court. There is an internationally accepted principle known as Paris Principles. The Human Rights Commission should comply with the Paris Principles. What are the Paris Principles? The amendment to the Act will make NHRC more compliant with the Paris Principles, concerning its autonomy, independence, pluralism and wide-ranging functions in order to effectively protect

and promote human rights. But it is quite unfortunate to comment that the present Act and the proposed amendments are not sufficient to comply with the Paris Principles.

Hence, a comprehensive Bill is required with tooth and nail in order to utter the present situation of the human rights violations. With these words, I conclude.

Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. के. जयकुमार जी, आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है पर आपकी पार्टी के नेता ने कहा है कि आपको बुलवाए तो आप दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, Sir, I wish to register my views on the Bill for protection of Human Rights. This Bill appears to be a piecemeal and cosmetic as mentioned by my colleague, Dr. Shashi Tharoor. There are just a few changes, namely, reducing the life of the period of the National Commission for Human Rights besides adding one member and just co-opting National Commission for BCs, etc.

In the same breadth, I would like to ask why the Chairpersons of National Commission for Minority, Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not included as co-opted members in this. There are the categories which are largely affected by the human rights violations. Therefore, I feel they should be taken on record. This Government may have the right by law to bring this Bill but they have no moral right because during its last five years, a large number of human rights violations have taken place.

Hate speeches and crimes were the largest in the last five years. There were 266 incidents of lynching and hate crimes that had been registered, which is perhaps the largest we have come across in the Independent India. To top it, the Government refuses to make law to get all these incidents registered and accounted. As much as I know, there is no law now to take all these things on record and register them as cases. What happened to the Supreme Court's judgement? The Supreme Court was very critical and said that this Commission is

a toothless Commission. The directions given by the Supreme Court have not been complied with so far. We have political democracy in this country, but I am not sure whether we have social democracy. An institution like this alone can bring social democracy and, therefore, this is to be strengthened. We know how many journalists, rationalists, thinkers and scholars have been killed just because they did not fall in line with the thinking of the Government or the administration and this is very well known to all. Therefore, several intelligentsias have returned their awards in protest.

In this very same building in the Constituent Assembly, when Dr. Babasaheb Ambedkar on November 25, 1949 piloted the Constitution, he said, "However bad the Constitution may be, if the people who are called to work on it are good, it will turn out to be a good Constitution; however good the Constitution may be, if the people who are called to work on it are bad, it will turn out to be a bad Constitution." So, it is not a matter of concern as to what kind of Commission you are going to have or what regulations you are going to have, but what kind of people are going to implement it.

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मानव और मानवता का संरक्षण, उनके अधिकारों का संरक्षण माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के केंद्र बिन्दु में है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों के मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह ठीक है कि यह आधुनिक रूप में होगा। भारत की सामाजिक व्यवस्था में पहले भी मानवता का उच्च स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में संतों की वाणी में, मानव का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सत्य की विजय हो, असत्य की पराजय हो, ऐसा हमेशा आशीर्वाद या संदेश के रूप में मिलता रहता था। भारतीय परम्परा में किसी संत को कोई व्यक्तिगत रूप से भी प्रणाम करता था, तो उनके मुख से आशीर्वाद के रूप में यह वाणी निकलती थी। संतों के मुख से यह वाणी अभी भी निकलती है। मैं याद कराना चाहूँगा कि विश्व में लोकतंत्र की प्रथम जननी वैशाली है। वहाँ लिच्छवि वंशजों का राज्य रहा है। उस लोकतंत्र, गणतंत्र में मानवता के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई थी।

15.00 hrs

प्रो. सौगत राय: क्या आप लिच्छवी से शुरू करके आज तक आएंगे?

श्री नित्यानन्द राय: हमने कितने धैर्य से आप को सुना है और आप बेधैर्य होने का हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विवेकानन्द जी ने भी कहा है कि मानव में भगवान बसता है, अगर भगवान को पाना है तो मानव की सेवा करो। इसी ध्येय और अवधारणा को लेकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए आज दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मानवता को राजधर्म बनाया है। न किसी पर कोई अत्याचार हो और न ही कोई अत्याचारी बखशा जाए, इस संकल्प के साथ माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है।

यह ठीक है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का ग्लोबल अलायंस है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव परिषद् का एक निकाय है। मानव अधिकार के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने की व्यवस्था को सुदृढ़ तथा सफल और सरल बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत चर्चा हुई है। इस संशोधन विधेयक में जो प्रावधान लाने का प्रस्ताव है, उस पर सब लोगों ने चर्चा की है। माननीय सदस्यों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी चिंताओं का उत्तर और समाधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों में ही है।

महोदय, महिलाओं पर चिंता व्यक्त की गई। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए पहले से भी महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में आयोग की सदस्य तो हैं ही, इसके अलावा एक और सदस्या मानद सदस्य के रूप में इस आयोग में सम्मिलित हों, इसके प्रावधान का प्रस्ताव है। उनकी 50 प्रतिशत की आबादी है और इस मोदी युग में महिलाएं आगे आ रही हैं। वे तत्परता के साथ आगे आ रही हैं और नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग कर रही हैं, इसलिए यह अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। मानव अधिकार आयोग के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो, उनके उत्थान का हो या संवेदनाओं का हो, आयोग में उनकी सदस्य की संख्या यह संरक्षित होगा, सुनिश्चित होगा।

महोदय, आयोग में सिविल सोसायटी को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों की संख्या, जो आयोग में पहले दो था, उसे बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। इससे सिविल सोसायटी की भागीदारी बढ़ेगी और निश्चित रूप से समाज के अधिकारों और मानव अधिकारों को संरक्षण मिलेगा और बल मिलेगा।

एन.एच.आर.सी. में विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति को शामिल करने तथा बहुलता को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग तथा महिला आयोग का विधान है।

ओबेसी साहब चले गए। पता नहीं, गृह मंत्रालय से उन्हें क्या है?... (व्यवधान) उन्होंने यहां आरोप लगाया कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले से ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को इस आयोग के सदस्य के रूप में रहने का प्रावधान है। वैसे भी इसमें पहले से ओबीसी आयोग नहीं था। इसको नए प्रावधान में लाने का प्रस्ताव है, तो ओबीसी वर्ग में अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं। इसलिए उनके लिए उसमें कोई रुकावट नहीं है।

महोदय, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ-साथ मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन को भी एन.एच.आर.सी. के मानद सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान है... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I would like to know whether the Chairman of the Minorities Commission is a member of the National Human Rights Commission.

श्री नित्यानन्द राय: माननीय प्रेमचन्द्रन जी, इसके अंदर सारी बातें हैं। जब आप इसे देखेंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा। ... (व्यवधान) अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का स्थान पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में है। यह सुनिश्चित है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ-साथ हमने यह भी बताया कि जब हमने ओबीसी वर्ग को इसमें लाने का प्रावधान किया है, तो अल्पसंख्यक भाई भी कहीं न कहीं से ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त... (व्यवधान) उनको हटाया नहीं गया है। यह चिंता का विषय

नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी पात्रता को कहीं बाधित किया गया है। उनकी पात्रता तो है ही, इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पात्र बनाने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय रहा है, इसलिए इसे करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार चिंतित है। मैं यहां स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि राज्यों के 13 आयोग के अध्यक्ष पद खाली है। 25 में से 13 पद खाली है और 12 इन पोजिशन है। ऐसी स्थिति में अगर आयोग के गठन में सरलता नहीं लाई जाएगी, तो आज जो प्रश्न उठ रहा है कि बहुत सारे केसेज़ पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं, प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसीलिए चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो या राज्य का मानवाधिकार आयोग हो, उनमें कोई भी पद रिक्त न हो, इसके लिए इस प्रावधान को यहां लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार राज्य के मानवाधिकार आयोग में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अध्यक्ष पद के लिए पात्र हो सकते हैं। मैंने जो पूर्व में बताया कि वे सारी सरलता एवं सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण वर्ष 2006, 2007, 2009, 2010 और वर्ष 2015-16 में कुछ अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके आयोग ने कार्य किया है। वैसी स्थिति भी आई थी। इस आयोग में जो प्रावधान किया गया है, दिल्ली के सिवाय संघ राज्य क्षेत्र में जहां मानव अधिकारों से जुड़े हुए कार्य अन्य राज्य आयोग को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, इसका कारण यह है कि उन लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए, जो संघ राज्य है और उसके बगल के राज्य में जहां राज्य मानवाधिकार आयोग है, वहां उसको अटैच किया जा सके, वहां उनकी सुनवाई हो, वहां उनका संरक्षण हो, इसलिए इस प्रस्ताव को लाना बहुत आवश्यक था। अभी माननीय शशि थरूर

साहब बोल रहे थे। उन्होंने कई चिंताएं भी व्यक्त की हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज उन्होंने एक बात यह कही कि एनएचआरसी को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त नहीं है...(व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर: मैंने कहा कि वर्ष 2017 में आपको मिला...(व्यवधान) मैंने कहा था कि वर्ष 2016 में आपको यू.एन. सब-कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, इसलिए आप वर्ष 2017 में जाकर एश्योरेंस दे दिए। आप इसको रिफार्म करेंगे। उसकी बेसिस में आप ...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: माननीय सदस्य ऐसा नहीं है। आपने पेरिस संधि की बात कही। आपने ऐसा कहा कि वहां आपने जो वचन दिया है, उसके लिए प्रस्ताव ला रहे हैं और आपकी रेटिंग कम है। मैं उस पर कह रहा हूं कि आज की डेट में एनएचआरसी को, हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 'ए' अंक प्राप्त है, जो प्रथम होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की जो रेटिंग होती है, उसमें 'ए' शब्द का उपयोग होता है और हमें 'ए' ग्रेड प्राप्त है। ...(व्यवधान) हमें आगे भी 'ए' रेटिंग को बरकरार रखना है, इसलिए यह प्रावधान प्रस्तावित है।

अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुझाव आए थे। हम एक निकाय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हम एक निकाय हैं। हम एक-दूसरे के सुझावों को देते-लेते रहते हैं और मानते भी हैं। जो अच्छे सुझाव हैं, उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं है। आपके अच्छे सुझाव मानने में क्या ऐतराज हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को लाने का जो प्रावधान है, यह उस सुझाव का परिणाम नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी की मानवता के प्रति संवेदना और मानव अधिकार को संरक्षित करने का संकल्प और विचार इसका आधार है।

अभी आप पेरिस समझौते की बात कर रहे थे और मापदण्ड की चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अध्यक्ष तथा सदस्यों की चयन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से विस्तृत और पारदर्शी नहीं है। यह पूरी

तरह से पारदर्शी है। जो पात्रता बनाई गई थी, उस पात्रता के आधार पर अनुपलब्धता होने की वजह से जो पद रिक्त होते थे, वे पद रिक्त नहीं रहे। मानव अधिकार आयोग पूर्ण रूप से गठित हो, इसके लिए पारदर्शिता में कोई दिक्कत नहीं है।

आपने असम में एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारण 57 लोगों की आत्महत्या की बात कही। एनआरसी सरकार का संकल्प है। आप इसे जानते हैं। एनआरसी में अगर कुछ त्रुटियां रह गईं हों और वह पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से, इसमें कोई योग्य व्यक्ति छूटे नहीं और ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हों, जो भारत की नागरिकता रखने के पात्र नहीं हों, उसके योग्य नहीं हों, यह रजिस्टर त्रुटिपूर्ण न हो, इसके लिए समय की मांग की गई है। एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारण यह हुआ है, यह सही नहीं है। आप सही जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका कारण कुछ और हो सकता है। आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है। केन्द्र की सरकार संवेदनशील है। आप जो बात बोल रहे हैं, वह सही नहीं है। आपने कैंसर रोगियों की चर्चा की। आपने गिरफ्तारी में भेदभाव का आरोप लगाया। गिरफ्तारी में कहीं भेदभाव नहीं हुआ। जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही दिखाई देता है। ... (व्यवधान) मानव के अधिकारों का हनन दो प्रकार से होता है, एक व्यक्तिगत है और दूसरा समूह में है।

माननीय सदस्य, मानवता तार-तार कब होती है? शाम के समय सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी में मानवता तार-तार होती थी। मैं किसी योजना का नाम नहीं लेने जा रहा हूं। जब बेबस और बीमार लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ते थे, मानवता वहां टूटती थी, मानवता वहां लाचार होती थी।

मानवता तार-तार वहां होती थी, मानवता का सर वहां झुक जाता था, जब हमारी अबोध बच्चियों और बेटियों के साथ घोर पाप करता था, पहले फांसी का प्रावधान नहीं था। मानवता वहां शर्मसार होती थी, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां अपमानित होती थी, जब किसान की बेटे

शादी का अरमान मन में पाले रहती थी और पैसे के अभाव में उसके हाथों में मेहदी नहीं रचती थी। एक भाई का सपना भी चकनाचूर होता था, जो सोचता था कि हमारी बहन भी अच्छी घर में ब्याही जाएगी, उसके अरमान कुम्हलाते थे, मानवता वहां शर्म करती थी, मानवता का मान वहां चूर होता था ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : हम संस्कृत के प्रोफेसर नहीं हैं, हिन्दी हमको समझ नहीं आती?

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, सुरक्षाबलों की कार्रवाईयों पर भी प्रश्न उठाया गया है। आप खड़े हो जाते हैं, यह मानव स्वभाव है, ध्यान को केन्द्रित करने वाला कोई बिन्दु खड़ा हो जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप हमें संरक्षित कीजिए। माननीय सौगत राय, मैं भी राय हूँ इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ। दादा ही बोला हूँ और उम्र भी दादा वाली है। सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन कहा गया है, इसमें ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर सशस्त्र बल मानव अधिकार का उल्लंघन करती है, यह संवेदनशील सरकार है, यह मोदी जी की सरकार है। वहां से रिपोर्ट मंगाई जाती है, जांच की जाती है, निष्पक्ष जांच की जाती है और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। वैसे भी आप आदरणीय गृह मंत्री जी से परिचित हैं।

लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मानवता उन विधवाओं के लिए भी है, संवेदना उन विधवाओं के भी होनी चाहिए जिनके मांग में सिंदूर की लालिमा सजी होनी चाहिए, वहां उनके शहीद पति की चिता की राख सज जाती है, इसकी भी संवेदना हम सभी के मन में होनी चाहिए। यह संवेदनशील सरकार है। मुझे दो-चार मिनट दे दीजिए।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं, जब परिश्रम कोई इंसान करता है यानी परिश्रम और प्रयास परिणाम लाती है। परिश्रम और प्रयास से सरकार ने परिणाम लाई है और आगे भी लाएगी। जब मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धी है। पूरे देश ने भरोसा किया है, आप सभी से भी आग्रह है कि भरोसा कीजिए। देश और दुनिया भरोसा कर रही है, आप भी भरोसा कीजिए। सभी के दिन अच्छे आए हैं और आपके लिए भी आगे खुशियां आएंगी। मानव जीवन के मानक में सत्ता छोड़, मानव का आत्मसुख और सुख सत्ता से नहीं होता, आप हमारी संस्कृति को पहचानिए। बाकी जो पारिवारिक सुख है, आपके दीर्घायु होने और बाकी अन्य सुविधाओं का है, अच्छे से जीने का है, माननीय प्रधान मंत्री आपकी भी चिंता कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तमिलनाडु में तो हमारी सरकार नहीं रही, जब तमिलनाडु सरकार को अपने राज्य में मानव अधिकार आयोग के गठन में कठिनाइयां हुईं तो उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया। उसके सुझाव का भी अंश इसमें है। वहां वर्षों तक आयोग के अध्यक्ष पद का चयन नहीं हो सका, नियुक्ति नहीं हो सकी। मैं तमिलनाडु सरकार के विचारों को समर्थन देने वाले राज्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रस्ताव की भावनाओं का का आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गोवा, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आदर किया। उनकी भावनाओं का एक रूप इस प्रस्ताव में भी है। जनवरी 2014 में 21 राज्यों का सपोर्ट भी हुआ है। जिन राज्यों ने बिल्कुल शतप्रतिशत सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने विरोध भी नहीं किया। छः स्टेट के तो कमेंट ही नहीं हैं। कमेंट नहीं आने का मतलब है कि उन्होंने किसी न किसी प्रकार से समर्थन किया है।

माननीय अध्यक्ष, विरोधी दल विरोध के लिए कोई बात कहे, यह भी लोकतंत्र में कोई अच्छी बात नहीं है। परंपरा को बदलिए। विचारों के आधार पर बात कही जानी चाहिए। मानवता के प्रति आप

सबकी संवेदना होनी चाहिए। हमें अच्छे सुझाव की उम्मीद थी, बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। सतपाल जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, कनिमोझी जी, श्री नटराजन, औवेसी साहब समेत 14 से 15 लोगों ने चर्चा में भाग लेकर अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मानवता जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मानवता के लिए संवेदना चाहिए, सत्कार का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और जरूरत पड़े तो साहस भी उसमें दिखाना चाहिए। साहस दिखाने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दुनिया में जाने जाते हैं। वे मानवता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मानवता के लिए ही करेंगे। हिंदुस्तान की भूमि को तपोभूमि कहा जाता है, मानव जाति के लिए सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है, अपने संतों की उस परंपरा में आज भी उसी प्रकार और उसी विचार से इस भूमि पर मानव के अधिकारों के संरक्षण का पूर्णरूपेण ख्याल रखा जाएगा।

मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप संवेदनशीलता के साथ इस प्रस्ताव को पारित होने दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमने मंत्री जी का भाषण सुना, मानवता, मानवता सुनते हुए भूल ही गए कि हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) ह्यूमैन राइट्स पर चर्चा थी और आप ह्यूमेनिटी की बात कर रहे थे। ...(व्यवधान) मानवाधिकार की चर्चा हो रही थी, मानवता, मानवता करते-करते हमने सब खो दिया। ...(व्यवधान) मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल युग आ गया, आप कहते हैं कि मोदी युग आ गया।

अमित शाह को गुस्सा न आए, इसलिए उनको कहा कि सिद्धि आ गयी। मैं माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सब चीज ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्रिजन रिफार्म और पुलिस रिफार्म की रेकमंडेशन है। हमारे हिन्दुस्तान में लगभग साढ़े चार लाख

प्रिजनर्स हैं, उनमें से 68 परसेंट अंडर ट्रायल हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि वे पर्सनल बान्ड से भी अपने को छुड़ा सकते हैं। हम कभी-कभी जेल में जाते हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि उम्र कैद की सजा वाले बहुत लोग को हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कितने साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई 14 साल, 20 साल, 30 साल के बाद छूट जाते हैं। एक यूनिफार्म तरीके से उम्र कैद की सजा वाले को व्यक्ति की, कम से कम ओपन प्रिजन बढ़ाकर, इन लोगों के प्रति जो मानवता की बात की जाती है, उसको अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया है कि:

“A person in prison does not become a non-person. He is entitled to all human rights. There is no justification for aggravating the suffering already inherent in the process of incarceration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Section 2

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि खंड 2 विधेयक का अंग बनो”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्र जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the amendment No. 1 is that the Member should have minimum LL.B or minimum graduation in law, and five years of experience. I rightly agree with the hon. Minister that one should not oppose the Bill for the sake of opposition. I would urge upon the hon. Minister not to oppose the amendment only because he is in the Treasury Benches. This is a very reasonable amendment which I am proposing. Kindly accept it.

I beg to move:

“Page 2, line 10, --

after “Members”

insert “having degree in law and a minimum of five years
of experience as an advocate”. (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Amendment of Section 4

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving amendment Nos. 2 and 3.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Amendment of Section 21

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, संशोधन संख्या 4।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, when the Central Government is directing the State Commission to hear the cases, at least, the State Government should be taken into confidence. So, my amendment is – “with the prior consent of the State Government.”

I beg to move:

“Page 2, line 41, --
after “Central Government may,”
insert “with the prior consent of the
 State Government”. (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Amendment of Section 24

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving amendment No. 5.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक को पारित किया जाए ”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी लोगों की सहमति हो तो पहले शून्य काल को शुरू कर दें, उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस को ले लेंगे।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes please.

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have a very important issue to bring to the notice of the Government. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी, एक मिनट रुकिए, सभा में थोड़ा व्यवधान हो रहा है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is a very important issue which I would like to bring to the notice of the House as also of the Government. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण खड़े-खड़े बात न करें। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पीठ करके बात नहीं की जाती है। मैं फिर माननीय सदस्यगणों से आग्रह करता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सदस्यों से कुछ कहूँ। हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य भर्तृहरि महताब जी बोल रहे हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Recently, a book titled 'Bottle of Lies: Ranbaxy and the dark side of Indian Pharma' authored by Katherine Eban has revealed scary truth behind generic drugs in India on the basis of 20,000 US Food and Drug Administration documents and interviews with over 240 people. It is revealed in that book that a large number of generic drugs manufactured in India

are actually ineffective and a few even harmful. Often generic drug manufacturers produce medicines of higher quality for European and American markets, where regulation is very tighter, whilst blithely selling inferior and ineffective drugs in India. Eban's book is full of hair-raising accounts of visits by U.S. FDA regulators to manufacturing plants in India where fraud, insanitary conditions and deliberately poor standards of manufacturing are revealed. In the microbiology laboratory of one plant, where they were testing for microbes and bacteria, the actual samples did not exist. They were testing nothing. The entire laboratory was a fake. If even a quarter of what Eban reveals is true, it is frightening. It means our faith in Indian generic medicines is often misplaced and it does not treat disease or infection. Recently, a question was also raised on generic medicines to which the hon. Health Minister had also replied. We have great faith in generic medicines. Whenever I take a generic medicine for certain disease, I believe that medicine will cure me. But after reading this book, after knowing about the investigation that has been done, I now doubt whatever be the medicine I am taking, especially the generic medicine.

I, therefore, urge upon this Government, hopefully the Government is listening, to initiate an inquiry on such claims, be it in favour of generic medicines or what has been reported in this book, and bring the truth in public domain at the earliest as the matter pertains to health of citizens of our country. I expect the Government to respond.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने 2022 तक सभी को अपने हक का पक्का घर देने का वादा किया है। सभी राज्य सरकारों ने इस ओर अपने कदम बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2011 तक महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार की जो जमीनें हैं, उदाहरण के तौर पर जो फॉरेस्ट लैण्ड है, बाकी अलग-अलग प्रकार की जमीनें सभी राज्यों में होती हैं, रेलवे की जमीन है, बीपीटी लैण्ड है, वहां पर आज भी घर बनाने की परमीशन नहीं दी जाती है, सीवर लाइन डालने के लिए विरोध किया जाता है, टॉयलेट बनाने के लिए भी विरोध किया जाता है, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स भी नहीं दिए जाते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि आने वाले 15 अगस्त से पहले संबंधित मंत्री को इस बारे में एक सर्कुलर पूरे देश भर के लिए निकालना चाहिए। जब देश के प्रधान मंत्री एक मैसेज देते हैं तो लोगों में भी उम्मीद जागती है कि अपना घर अच्छा और ठीक से बनाएं, इस प्रकार का वे प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को जितनी भी जगह चाहिए, प्राइवेट फॉरेस्ट के माध्यम से कायदे के हिसाब से पर्याप्त जगह लोगों को देकर, जमीन मालिक को जमीन का पैसा देकर सारी जमीन इन्कलूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा जब तक नहीं होता है, तब तक वहां रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली आए, वे अपना घर अच्छे तरीके से बना पाएं, उनको शौचालय की सुविधा मिले, उनको सीवर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन्स मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था हमें आने वाले 15 अगस्त से पहले करना चाहिए। हम इस वर्ष महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, इस अवसर पर यह एक तोहफा पूरे देश के लोगों को दें। इस प्रकार की मांग, मैं आपके माध्यम से, सरकार से करता हूँ। धन्यवाद।

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: रोज ही बोल रहे हो, यह भी तो कहो, माननीय सदस्या।

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना में तीन जिले आते हैं – शिवपुरी, गुना और अशोक नगर और आठ विधान सभा क्षेत्र आते हैं। वहां की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है और 17 लाख वोटर्स हैं, लेकिन इन जिलों के 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बड़ा मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल नहीं है। यहां के नागरिकों को अपने इलाज के लिए भोपाल, इन्दौर, कोटा या झांसी जाना पड़ता है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अशोक नगर जिले में एम्स की एक शाखा खोलने की कृपा करें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you so much, Mr. Speaker, Sir, for allowing me to raise an important matter during *Zero Hour*.

In 1962, when the Indian Space Research Organisation (ISRO) wanted to establish a Rocket Launching Station in my Constituency, in Thumba, the people of Thumba and the Latin Catholic Church agreed to give up their residential and church lands based on an understanding.

It was decided that land and employment would be provided to the 900 families displaced by the construction, especially fishermen, who had lost their daily earnings and their livelihoods. This consolidated into a formal agreement

between Dr. Vikram Sarabhai and the Pallithura Coordination Committee on 5th April, 1970.

But to this day, of all these 900 families, only 210 people have been provided land and jobs. I have been informed by my constituents that the VSSC has been including outsiders while it ignores those whose parents and grandparents gave up their land for the nation, gave up their land for our space facilities.

Hence, I urge the Government to be sensitive to these displaced families and fulfil their promises in letter and spirit.

I am sorry that our good Minister In-charge of Outer Space has just left. But I hope, it will be communicated to him; and then he will respond in a sympathetic manner.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी – उपस्थित नहीं।

श्री विष्णु दयाल राम जी ।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में एक प्रखण्ड है – कांदी। उस प्रखण्ड का कटाव दोनों ओर से हो रहा है। एक ओर कोयल नदी से कटाव हो रहा है और दूसरी ओर सोन नदी से कटाव हो रहा है। कृषि योग्य सिंचित भूमि है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और अब तो मकान भी

कटने शुरू हो गए हैं। वहां लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। झारखण्ड सरकार के सिंचाई विभाग ने जलशक्ति मंत्रालय को एक पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड, जो पटना में स्थित है, के पदाधिकारियों को भेजकर इसका सर्वे कराया जाए और सर्वे के बाद इम्बैकमेंट बनाने की कार्रवाई कराई जाए।

अध्यक्ष जी, उस प्रखण्ड की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है, इसलिए मेरा आपसे खासकर निवेदन है कि इस मामले को देखने का कष्ट करें।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): अध्यक्ष जी, मैं कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के विद्युतीकरण से संबंधित समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सन् 2018 में 'सौभाग्य योजना' के माध्यम से जैक्शन कंपनी को अनुबंध मिला था कि गांव-गांव के जर्जर पोलों को बदल कर नए पोल-तार एवं बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क कनेक्शंस की सुविधा दी जाए। परन्तु, आज भी कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के सैंकड़ों ऐसे टोले-मजरे हैं, जहां अभी पुराने जर्जर पोल-तार मौजूद हैं। बहुत लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जीरो अवर किस विषय के लिए दिया था।

कभी भी माननीय सदस्यगण, वरिष्ठ माननीय सदस्य भी शून्य काल में अपने विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है।

आपको अनुमति दी जाती है, आप बोलें।

श्री विजय कुमार दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, शून्य काल समाप्त हो गया, इसलिए हम विकास के बारे में बोलना जरूरी समझें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के लिए मेरा अनुरोध है कि जब हम लोग जैक्शन कंपनी को निर्देश देते हैं कि अमूक जगह पर आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आप उसे बदलें तब वे कहते हैं कि मेरा अनुबंध समाप्त हो गया है। जब तक नए अनुबंध के लिए हमें आदेश नहीं मिलेगा, तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ाएंगे।

मेरा आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से अनुरोध है कि उसे हमारे लोक सभा क्षेत्र के लिए नया अनुबंध कर दिया जाए या उसके अनुबंध को आगे बढ़ाया जाए ताकि विद्युतीकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जनपद, चित्रकूट जो भगवान श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली रही है। भगवान राम वनवास के समय में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे थे। वहां कर्वी, हमारा कस्बा है, चित्रकूट का मुख्यालय है, उससे एन.एच.-76 राष्ट्रीय राजमार्ग, पिण्डवारा, झांसी, प्रयागराज, मिर्जापुर तक जाती है और वह सड़क वहां बीच से निकल कर जाती है। चित्रकूट में हर अमावस्या को लोग लाखों-लाख की संख्या में भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करने आते हैं। भारत सरकार द्वारा हर माह की अमावस्या में कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट और झांसी से मेला एक्सप्रेस ट्रेन्स चलाई जाती हैं, तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाती है। वहां राजमार्ग पर जाम लग जाता है, चित्रकूट धाम में जाम लगता है। लौढ़िया, सपहा, रंगौली, इटरौर, छिपनी, बाहर खेड़ा और शिवरामपुर गांव के बाहर बीस किलोमीटर का एक बाइपास बना कर, इसे बांदा से प्रयागराज की तरफ जोड़ दिया जाए, इससे जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बाइपास को बनाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन, उपस्थित नहीं।

श्री एंटो एन्टोनी, उपस्थित नहीं।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): अध्यक्ष जी, भारत के राजपत्र अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 की संख्या 108 के अनुसार 'नायक' समुदाय राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था। अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट, शामिल करने वाले अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के तहत जारी अधिसूचना को केवल संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून से ही संशोधित किया जा सकता है।

अध्यक्ष जी राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में दिनांक 13.5.2013 को राज्य सरकार ने इसको बदल कर पोर्टल में 'नायक' की जगह 'नायका' कर दिया, जबकि 'नायका' नाम से कोई जाति ही नहीं है। पिछले 37 साल से यह 'नायक' जाति के नाम से जाना जाता था और इनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया था। पूरे राजस्थान में लगभग 15 लाख की आबादी है, जबकि राजस्थान के अलावा 'नायक' दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में अभी भी नायक के नाम से ही जाने जाते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इनकी जाति को 'नायिका' की जगह 'नायक' कर दिया जाए, ताकि उन्हें लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री जयदेव गल्ला – उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग बहुत पुरानी है। पिछले लगभग 40 वर्षों से इसके लिए आंदोलन हो रहा है। मैंने भी इस प्रश्न को लोक सभा में

अनेक बार उठाया है, निजी विधेयक लाया गया, मंत्रियों से मुलाकात की है लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। मेरठ के अतिरिक्त आगरा एवं गोरखपुर में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग उठाई जाती रही है। देश के अन्य प्रदेशों में भी उच्च न्यायालयों के खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग अनेक माननीय सांसद उठाते रहे हैं। वास्तव में किसी भी प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहुत कठिन है। संबंधित उच्च न्यायालय की संतुति तथा संबंधित प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना यह संभव नहीं है। परिणाम यह हो रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद कहीं भी उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित नहीं हो पा रही है तथा लम्बित मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत के न्यायालयों में कुछ साढ़े तीन करोड़ मामले लम्बित हैं, जिनमें से 46 लाख उच्च न्यायालयों में तथा 3 करोड़ से भी अधिक अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित है। सर्वोच्च न्यायालय में भी 59 हजार मामले लम्बित हैं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अंदर 7 लाख से अधिक वाद लम्बित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अनेक स्थानों पर उच्च न्यायालयों के खंडपीठ की स्थापना तथा न्यायधीशों की नियुक्ति करना बहुत आवश्यक है। सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था की समीक्षा करे तथा संसद में कानून बनाकर मेरठ इत्यादि स्थानों पर उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की स्थापना करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री हरीश द्विवेदी – उपस्थित नहीं।
 प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।
 श्री बिद्युत बरन महतो – उपस्थित नहीं।
 श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी – उपस्थित नहीं।
 श्री दानिश अली – उपस्थित नहीं।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों को उनके भुगतान न होने का मामला सदन में उठाना चाहता हूँ। सबसे दुख की बात यह है कि ये दोनों चीनी मिलें सुगौली और लौरिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हैं, जिनका सीएसआर सैकड़ों करोड़ रुपयों का है। इसी की सब्सिडरी कम्पनी एचपीसीएल है, जहां चीनी मिलों ने मार्च महीने तक का भुगतान कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सुगौली और लौरिया चीनी मिलें गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके वे इस बात को देखें कि जिनका सैकड़ों करोड़ रुपये का सीएसआर फंड है, वह गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं कर रही है? मैं अनुरोध करता हूँ कि गन्ना किसानों का जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाए।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Hon. Speaker, Sir, I would like to raise an issue regarding certain agricultural crops that require urgent attention in my Parliamentary constituency, Araku.

In my constituency, the main agricultural products are turmeric, jackfruit, cashew nut and pineapple. These crops are produced in huge quantities. For example, almost 5000 metric tonnes of turmeric is produced in my constituency alone and it is known to be of superior grade and the second best across the country. Another example is jackfruit where 4500 metric tonnes are produced. In addition, 8000 to 10000 metric tonnes of pineapples are produced, and 2500 metric tonnes of cashew nuts are produced.

However, due to lack of food processing facilities, the farmers are not able to get a remunerative price. The key lies in having value added products and ensuring better market access.

I would like to request, through you, the hon. Minister of Food Processing Industries to help us in setting up these units in my constituency, Araku.

Thank you, Sir.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल जेल में भी रही हूँ। इसलिए कहती हूँ कि प्रत्यक्ष कि प्रमाणमा जब मैं वहाँ थी, तो मैंने वहाँ देखा, आज की स्थिति तो और बुरी है, वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। वहाँ तीन हजार पुरुष कैदी हैं, लगभग डेढ़ सौ महिलाएँ और 25-30 बच्चे हैं। उन बच्चों का कोई अपराध नहीं है, जो 10-12 दिन के समय से लगभग छह वर्ष तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वे बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और उनको कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं।

महिलाओं के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि कोई नर्स भी नहीं है, जो तत्काल चेक करके उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर भेज सके।

उन बच्चों को प्रॉपर आहार भी नहीं मिलता है। बच्चों को जो विटामिन्स और प्रोटीन्स मिलने चाहिए, वह डाइट भी उनको नहीं मिल पाती है।

जब किसी को पकड़कर जेल भेजा जाता है, जाने कब किसको जेल में जाना पड़े, यह पता नहीं होता है। वर्तमान में राज्य सरकार किसी को भी जेल भिजवा देती है, वह फोन करती है और वहाँ जैसे

ही कोई बंदी कोर्ट से आता है, तो जेलर द्वारा उसको इतना पीटा जाता है, जब कि पीटने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है, कोई भी कागजी कार्रवाई की जा सकती है, किन्तु उनको बहुत पीटा जाता है। हमारा एक कार्यकर्ता घायल हुआ और अंत में वह आत्महत्या करने के लिए तैयार था। परंतु, मैंने उसको रोका और उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, कानून का पालन हो, वहाँ लेडी डॉक्टर्स आएँ, नर्सों आएँ और बच्चों की विशेष केयर के लिए कम-से-कम शिशु रोग विशेषज्ञ आएँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you Sir for giving me an opportunity to present a matter of great public importance through this august House before the hon. Minister for External Affairs.

Sir, several million Indians are residing abroad. The Indian diaspora while renewing their Overseas Citizen of India card are facing tremendous difficulties. As per the existing procedure, when an OCI card holder reaches 50 years of age, he or she has to renew their OCI and resubmit all the documents once again to the Government which they have already submitted at the initial time. This is a difficult procedure especially for older people. When the Government already has the information, including the copies of the relevant documents of such persons, seeking resubmission of all the documents is unnecessary and uncalled for and in fact, a mere waste of time.

I would like to urge upon the hon. Minister for External Affairs to kindly intervene in this matter and instruct the concerned officials to amend the renewal procedure of OCI cards. The requirement for resubmission of the documents may be avoided.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दिनों के बाद मेरा बोलने का नम्बर आया है। हालांकि, कल आपने शून्यकाल बहुत लम्बे समय तक चलाया।

मेरे क्षेत्र सिरसा में एक घग्गर नदी जाती है। पंजाब की फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल उसमें आता है और हमारे यहाँ तक आते-आते वह इतनी प्रदूषित हो जाती है कि उसमें से बदबू आती है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं।

जल संसाधन मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जैसे बड़ी नदियों के लिए प्रोजेक्ट रखा गया है, उनकी सफाई के लिए एक खास प्रावधान है। चूंकि घग्गर नदी भी एक बरसाती नदी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंत्रालय का ध्यान इस तरफ भी जाए। अगर इस नदी का जल साफ हो जाए, तो आसपास के क्षेत्र को कृषि में लाभ होगा। वहाँ रतिया क्षेत्र है, जहाँ से मैं पहले विधान सभा सदस्य भी रह चुकी हूँ, वहाँ के लोगों की यह बड़ी समस्या है। उन लोगों की यह समस्या हल हो जाए, तो मैं आभारी रहूँगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल कास्वां को श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कास्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ था। सिरसा से लेकर नौहर, सावा, तारानगर और चुरू का यह राष्ट्रीय राजमार्ग

स्वीकृत हुआ। इसकी डीपीआर बनाने के लिए वर्ष 2016-17 में साढ़े चार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। वर्ष 2018 के अंत में डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इस हाइवे का नम्बर आबंटन करे और जल्द-से-जल्द इसके निर्माण के लिए राशि का आबंटन करे।

तारानगर से चुरू का जो रोड है, वह मात्र तीन मीटर का बचा हुआ है। वहां पर रोज ऐक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐक्सीडेंट होने के कारण पब्लिक को बड़ी समस्या आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सिरसा, नौहर और चुरू का हाइवे जल्द से जल्द बनाया जाए।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महादेय, धन्यवाद। मेरे क्षेत्र अम्बेकरनगर एन.टी.पी.सी. (टांडा) का विस्तार हो रहा है, जिसके लिए 9 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। इनमें हासिमपुर, सलाहपुर रजौर, हुसैनपुर सुधाना, शरीफपुर आदि गांव आते हैं। इन सब गांवों में पुनर्वास एक्ट के हिसाब से घर उजाड़ने से पहले उनको पुनर्स्थापित करने के लिए मकान देना जरूरी है। लेकिन सरकार ने यहां सिर्फ 9 लाख रुपये देकर किनारा कस लिया है, जिससे आज ये लोग पूरी तरह से विस्थापित हो गए हैं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि 9 लाख रुपये में कहां जमीन और मकान देकर विस्थापित कर सकते हैं। यह पूरी तरह से असम्भव है।

मान्यवर, इसी को देखते हुए लोग रोड के किनारे झोपड़ियों में बसे हुए हैं, जहां पर निरंतर सरकार उनको हटाने का प्रयास करती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन लोगों को इनके अधिकारों के अनुसार पुनर्वास एक्ट के हिसाब से इन लोगों के लिए जमीन खरीदकर उसके ऊपर आवास बनाकर इनको दिया जाए। अन्यथा यहां पर स्थिति बड़ी विस्फोटक है और आगे भी यहां बहुत बड़ा आन्दोलन होने की चर्चाएं आम हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और मुझे याद है कि जब वर्ष 1996 में सांसद बनकर आया था तो मुझे दो वर्ष शून्य काल में विषय उठाने में लगे थे। हमारे सभी सांसद इतने सौभाग्यशाली हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और प्रयासों से उनको मौका मिला है। मुझे वर्ष 1996 व 1997 में शून्य काल में विषय उठाने में दो साल लग गए थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। महोदय, हर किसी को अपना शहर सुंदर लगता है। मैं सारण से हूँ और छपरा मेरा मुख्यालय है। भारत के इतिहास में इण्डस वैली सिविलाइजेशन से आप अभी तक देखें तो भारत में जितने शहर मुख्यतः नदी के किनारे बसे हैं, छपरा भी नदी के किनारे बसा शहर है। भारत सरकार ने हमारे शहर के लिए बहुत पैसे स्वीकृत किए हैं। हाल में नमामि गंगे में 230 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो शहरों के नालों के डायवर्जन तथा इन्स्पेक्शन के लिए पैसा मिला है। साथ ही साथ खनुआ नाले के लिए भी 30 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इसके अलावा 120 करोड़ रुपये की राशि नल-जल के ऊपर मिली है, जो अमृत योजना के अंतर्गत है। मेरी चिंता यह है कि उसी शहर में खम्भे के बिजली के तारों को नीचे करते हैं। जब राज्य सरकारों के पास इतने पैसे चले जाते हैं तो किसी जिले में इन सभी चीजों को एक करना चाहिए। कोई एक तरफ से गड्ढा खोदेगा, कोई दूसरी तरफ से लाईन बिछाएगा, कोई तीसरी तरफ से खम्भा लगाएगा, कोई चौथे तरफ से पुल बनाएगा, कहीं नाला होगा, कहीं ढक्कन होगा आदि। कठिनाई यह होती है कि जिला स्तर पर इसका समन्वय नहीं होता है, जिसके कारण कार्य में गुणवत्ता नहीं आ पाती है। आपके माध्यम से मेरा बिहार सरकार और बिहार के मुख्य सचिव से आग्रह है कि आपने जो नई परम्परा शुरू की है कि ऐसे विषयों को राज्य सरकारों को भेजेंगे। यदि आप इस विषय को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेजेंगे तो एक बड़ी समिति बनाकर ये जो 300 करोड़ छपरा शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए जाने वाला है, इसका समन्वय हो सकता है। पुराने शहरों में यह काम कराना कठिन है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि छपरा शहर का सौन्दर्यीकरण हो। स्वच्छ भारत में उसका नाम सूची में 140 पर है, उसे 40 पर पहुंचाने के लिए यह

आवश्यक है कि भारत सरकार की इस बड़ी योजना को सफल बनाने के लिए आपकी तरफ से मार्ग निर्देशन जाए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभारा मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के अंतर्गत आने वाले गोपालगंज या थावे रेलवे जंक्शन से रेल सेवा शुरू करने का आग्रह कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र की आबादी 25 लाख है। यहां कोई ट्रेन न होने से दूसरे जिलों में जाकर लम्बी दूरी की ट्रेनें पकड़नी पड़ती हैं। दिल्ली एवं अन्य नगरों के लिए ट्रेन नहीं हैं। दिल्ली के लिए 150 प्राइवेट बसें जरूर चलती हैं, जिसके कारण स्पीड की आपाधापी में दुर्घनाएं होती रहती हैं। अतः आपसे आग्रह है कि दिल्ली एवं अन्य महानगरों, जैसे कोलकाता, पटना को नई ट्रेनें दी जाएं या कुछ ट्रेन्स छपरा एवं सीवान से गोपालगंज, थावे होते हुए दिल्ली के लिए दी जाएं।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और उद्योग मंत्रालय का ध्यान प्रदूषण के महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूँ। प्लास्टिक और पॉलिथिन के प्रदूषण के कारण एक समस्या इस देश के अंदर है।

16.00 hrs

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

हर जगह पॉलीथीन और प्लास्टिक के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पॉलीथीन और प्लास्टिक पर कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन प्रतिबंध इस देश में कानून का रूप लेता है, पर इसके बाद भी उसका पालन नहीं होता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक और पॉलीथीन उद्योगों को बन्द करने का काम करना चाहिए। जो पॉलीथीन शॉर्ट टर्म के लिए उपयोग की जाती है, उस तरह के उद्योगों को बन्द करना चाहिए और उन उद्योगों को चलाने वालों को निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराएँ कि वे 2 वर्ष के भीतर प्लास्टिक और पॉलीथीन उद्योग बन्द करें और इसके विकल्प में उनको जो तैयारी करनी है, उसके लिए उनके पास केवल 2 साल का समय है। जब तक हम उद्योगों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तब

तक इस देश से पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रदूषण फैलाने वाली जो विकृति है, उससे मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। इसी पॉलीथीन से जानवरों को नुकसान होता है। यही पॉलीथीन समुद्र किनारे मछलियां खाती हैं, उनको इससे क्षति पहुंचती है और इसी के कारण मुझे लगता है कि कैंसर व अन्य तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध है कि पॉलीथीन, प्लास्टिक के उद्योगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे और ये उद्योग चलाने वालों को वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे इनके स्थान पर दूसरा उद्योग स्थापित कर सकें। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 15, प्राइवेट मेंबर बिजनेस, श्री जगदम्बिका पाल जी अपना भाषण जारी करें, जो पिछली बार रह गया था।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं तो समझ रहा था कि शून्य पहर में आप समय देने जा रही हैं।

माननीय सभापति : नहीं, इसीलिए आपको बुलवाया था कि आपको पूरा समय दिया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल: आज हम और मेरे मित्र हनुमान भाई, दोनों वंचित रहे थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय मंत्री जी रूठे हुए हैं क्या? पीछे बैठे हुए हैं, उनको कृपया आगे बुला लिया जाए?

माननीय सभापति : नहीं, काम कर रहे हैं। फाइल देख रहे हैं। उन्हें स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। श्री जगदम्बिका पाल जी।

16.03 hrs**PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION****Construction of canals through Ken-Betwa River linking project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region ...Contd.***

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं बहुत आभारी हूँ कि आपकी स्वेच्छा से कृपा मिली। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे सारा सदन चिंतित है, वे चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों। कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने अपने क्षेत्र बुंदेलखण्ड के संबंध में यह विषय उठाया था कि बुंदेलखण्ड में लगातार वर्षों से पानी के संकट के कारण स्थिति यह है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। पानी के संकट व चारे की कमी के कारण लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ दे रहे हैं, जिसको अन्ना प्रथा कह रहे हैं। इस कारण वहां के किसानों की फसल को बहुत नुकसान होता है। बुंदेलखण्ड चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, या मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, उन दोनों इलाकों में पानी के संकट के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है, जिसके कारण निश्चित तौर पर बड़ी पथैटिक कंडीशन हो गई है। उन्होंने इस विषय को लिया और आपने कृपापूर्वक इसको स्वीकार किया।

महोदया, यह संकट अब केवल बुंदेलखण्ड में नहीं है, यह संकट केवल कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, आज यह संकट कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। आज देश के सभी राज्यों में कहीं न कहीं पानी का ऐसा संकट है कि इसके समाधान के लिए सदन को भी सोचना होगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो पानी का संकट है और जिस पानी के संकट के समाधान के लिए आज तमाम राज्यों में जिस तरह की मतभिन्नता है, वह अत्यंत गंभीर है। राज्यों में आपस में लिटिगेशन्स हैं। राज्यों

* Further discussion on the Resolution moved by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel on 21st June, 2019.

में आपस में आंदोलन हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या देश का कोई भी राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखण्ड हो।

महोदया, इसे देखते हुए जिस तरीके से एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, वह इसीलिए कि प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में वाटर कन्जर्वेशन कर सकें या वाटर हार्वेस्टिंग या रेन हार्वेस्टिंग कर सकें, क्योंकि यही इसका एक समाधान हो सकता है।

सभापति महोदया, एक बात से आप सहमत होंगी कि आज इस मंत्रालय को बनाने के लिए पहली बार अगर प्रधान मंत्री जी ने यह फैसला किया, तो निश्चित तौर पर इसलिए किया कि आज पानी एक ऐसी चीज है, जिसे अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया या उसका संचयन नहीं किया, तो हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पानी के संकट का समाधान केवल पानी को बचाने से ही हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता है। आज मुझे चंदेल साहब के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया है।

आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 13 जनपदों में जो स्थिति है, करीब 70 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वर्ष 2003 से जल संकट शुरू हुआ है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड के इंटरनल इलाकों से जो माइग्रेशन हो रहा है, उसका मुख्य कारण पानी है। पानी का संकट लोगों के सामने गम्भीर चुनौती इसलिए भी हो गया है कि सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का आंकड़ा है कि वहां के जो कुएं थे, जिनसे लोग पानी निकालकर इस्तेमाल करते थे, उन कुओं के पानी का जल स्तर 61 परसेंट तक नीचे चला गया है। नीति आयोग ने भी वाटर क्राइसिस पर अपनी रिपोर्ट दी है कि 600 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो आज पानी के गम्भीर संकट से गुजर रहे हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित हैं। हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि ऐसे कौन से

कारण हैं, जिनके कारण पानी का यह संकट खड़ा हुआ है और किस तरह से उन पर काम किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय को बनाने के पीछे प्रधान मंत्री जी की परिकल्पना थी। उन्होंने वर्ष 2014 में मिशन मोड के रूप में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रधान मंत्री जी ने राजधानी दिल्ली की सड़क पर झाड़ू चलाया। यह पूरे देश के लिए संदेश था। हमारी सरकार ने केवल स्वच्छता अभियान का नारा ही नहीं दिया अपितु नौ करोड़ घरों में शौचालय देने का काम किया है। पहले महिलाओं को शौच जाने के लिए सांय काल का इंतजार करना पड़ता था। मैं समझता हूँ कि यह अभियान अपने आप में क्रांतिकारी है। पिछले पांच सालों में देश के तमाम राज्यों में जागरूकता आयी है और अब लोगों को सार्वजनिक रूप से गंदगी फैलाने पर अपराध बोध होता है। इससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रति नजरिया बदला है। अब भारत में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहरों की सफाई होती है। देश की आजादी के कई सालों बाद भी करोड़ों परिवारों के पास घर नहीं था और घर था तो शौचालय नहीं था। गांव से लेकर शहरों तक गंदगी थी। पूरी दुनिया का नजरिया था कि भारत में इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। पिछले पांच सालों में हमारी सरकार ने ऐसी परिस्थितियां तैयार की हैं कि पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण पैदा हुआ है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सामाजिक या सार्वजनिक स्थान, ऐसी सभी जगहों पर स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में चेतना आयी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो दिन हमारे लोक सभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा के हम सभी सांसदों को लोक सभा परिसर में स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम प्रधान मंत्री जी के स्वच्छता के अभियान के साथ अपने गांव में भी जुड़े थे और स्वच्छता अभियान में शामिल थे। संसद में स्पीकर साहब ने उस काम को बढ़ाया है।

महोदय, जब एक अभियान इस तरह से मूर्त रूप ले रहा है तो मैं समझता हूँ कि पानी के संकट को वर्ष 2019 में हमारी सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें जल संकट के समाधान

के लिए जल का संरक्षण है। इसके लिए हमारे युवा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के ऊपर जिम्मेदारी दी गयी है। अभी तक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अभी तक केवल 3.27 ग्रामीण नल और पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलता है।

यह स्वाभाविक है कि देश सन् 1947 में आजाद हुआ था और 1947 से आज हम वर्ष 2019 में खड़े हैं और आज भी 2019 में देश के करोड़ों-करोड़ परिवारों के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह इस देश के लिए कितनी सोचने और चिंता करने का विषय है। शायद यह परिस्थितियां सन् 1947 से देश की आजादी के बाद से अब तक निर्मित थीं। इस बात की चिंता पिछली सरकारों में भी हो सकती थी, लेकिन मैं आज निश्चित तौर से इस बात के लिए बधाई दूंगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने यह तय कर लिया है कि वर्ष 2024 तक हम देश के हर घर में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि यह दुनिया में एक क्रांति है, जैसे उन्होंने 'आयुष्मान भारत' के लिए किया है। आज ओबामा केयर की बात हो रही थी। इसी तरह मोदी केयर की चिंता है कि 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सिर्फ किसी सरकार की इच्छा शक्ति से ही हो सकता है और किसी सरकार के संकल्प से ही हो सकता है।

यह विपक्ष हमसे सवाल करता है कि आखिर इतनी बड़ी योजना घोषित हो गई है, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा, वह 50,000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई और वह 12 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इस बार के बजट में इसके लिए 75,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूँ कि आज किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, निश्चित तौर से किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे 75,000 रुपये करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ परिवारों और आयुष्मान भारत के लिए 50,000 करोड़ रुपये हों, अगर

वर्ष 2024 तक हर घर में पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित तौर से हमारी सरकार और इस नए मंत्रालय के नेतृत्व में हर घर में पानी पहुंचेगा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगा।

महोदया, हम पिछली सरकारों की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में देश की 100 प्रतिशत आबादी के सापेक्ष अभी तक 18.33 प्रतिशत आबादी को ही केवल नल से पानी उपलब्ध हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज तक 50 प्रतिशत लोगों के लिए देश की आजादी का क्या अर्थ है। हमने जंगे आजादी की ब्रिटानिया हुकूमत से गुलामी की दास्तां की जंजीरों से मुक्ति दिलाई। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थीं, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और शहादत दी, हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अगर ब्रिटानिया हुकूमत की गोली लगी, तो अपनी बहनों को दिए हुए वचन के मुताबिक अपने सीने पर गोलियां खाईं। उस कुर्बानी की कीमत यह थी कि वर्ष 2019 तक केवल 18 प्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल मिल सके। हम पानी जैसी बुनियादी चीज न दे सकें। आज मैं समझता हूं कि वह सबसे बुनियादी चीज थी और लोगों का हक था कि उनको कम से कम स्वच्छ पेयजल मिल सके। उस स्वच्छ पेयजल के बुनियादी हक को पहुंचाने का संकल्प अगर पहली बार किसी सरकार ने सोचा है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। यह संकल्प निश्चित तौर से केवल संकल्प नहीं होगा, बल्कि यह सपना साकार होगा। इसीलिए, वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट भाषण में...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि इस संकल्प पर पहले ही चार घंटे की चर्चा हो चुकी है और इस प्रकार इस चर्चा पर आबंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। चूंकि उक्त संकल्प पर हो रही चर्चा में 12 और सदस्यों को भाग लेना है, इसलिए सभा को इस संकल्प पर

अधिक चर्चा करने के लिए समय को बढ़ाना होगा। इसलिए, क्या सभा सहमत है कि संकल्प पर चर्चा हेतु समयावधि को दो घंटे और बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय सभापति : ठीक है, समयावधि को दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, जब 2019-20 का केन्द्रीय बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस हुआ है, वह जल जीवन मिशन के लिए हुआ है। जल जीवन मिशन का केवल यही उद्देश्य था कि हम वर्ष 2024 तक सभी घरों में निश्चित रूप से जल को पहुंचाने का काम करेंगे। आज केवल हमने जल जीवन मिशन नहीं बनाया है, हमने कोई स्लोगन दे दिया है या किसी कार्यक्रम का नाम दे दिया है, बल्कि उस जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने के लिए, जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए, हमने जल शक्ति अभियान का निर्धारण किया है, उसका रोड मैप बनाया है।

उसने चिन्हित किया है कि देश के 256 जिले ऐसे हैं, जिसमें 1592 ब्लॉक्स का चयन किया गया है कि जहां पर पानी का संकट था। उन 1592 ब्लॉक्स में से 312 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इतना पानी निकाला जा चुका है, इतना अति दोहन हो चुका है कि गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसी तरह से 1186 ब्लॉक्स में भी पानी का संकट पैदा हो गया है। उन ब्लॉक्स के लोगों को नीचे तक, डीप बोरिंग के बावजूद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पानी को हम यूज करते रहते हैं। अगर पानी का कंजर्वेशन हम नहीं करेंगे, पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में यह क्राइसिस दुनिया के सामने हो रहा है, भारत के सामने हो रहा है, लेकिन समय रहते हुए हमारी सरकार ने सोचा है। मैं कह सकता हूँ कि उस पर काम होगा।

महोदया, आज कम से कम जो हमारे 94 ब्लॉक्स हैं, उनमें भी भू-जल की कम उपलब्धता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने 5-6 कार्यक्रमों पर सभी मंत्रियों को पत्र भी लिखा। सभी राज्य सरकारों को 11.06.2019 को कहा है। मतलब सरकार बनते ही सबसे पहले जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी के द्वारा सभी संबंधित मंत्रियों को, राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ एक अस्थायी जल-प्रबंधन के लिए लिखा गया है क्योंकि मान लीजिए कहीं अगर बुंदेलखंड में पानी का संकट है तो हम ट्रेन से पानी पहुंचा दें। कहीं कर्नाटक में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में या किसी राज्य में पहुंचा दें तो वह एक अस्थायी समाधान होगा। निश्चित तौर से अस्थायी समाधान के लिए हमें जो कार्ययोजना तैयार करनी होगी, उस संबंध में कम से कम एक अस्थायी जल प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा हमारे इस जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है और माननीय मंत्री जी ने पहल की है। निश्चित तौर से मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया है और बढ़ाया है, उस पर हमारे राज्यों के सहयोग से आने वाले दिनों में संकट दूर हो सकेगा।

इसी तरह से प्रधान मंत्री जी ने भी 08.06.2019 को देश के एक-एक गांव के सरपंचों को, चाहे वह जल संरक्षण के लिए या वर्षा जल-संचयन, वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कंज़र्वेशन एण्ड वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए उसके महत्व को रेखांकित करते हुए आज पानी का इतना मूल्य है, पानी की कितनी आवश्यकता है, उसके बारे में खुद प्रधान मंत्री ने स्वयं देश के सभी राज्यों के सरपंचों को अपनी तरफ से पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक केन्द्र सरकार या केवल प्रशासन के माध्यम पर छोड़ देंगे तो निश्चित तौर से जल संरक्षण की, जब तक कि स्वच्छता अभियान की तरह से यह आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक शायद इसको हम जन आंदोलन नहीं बना सकते हैं। आज जल संरक्षण को एक जल आंदोलन बनाने के लिए हमारे सरपंच, जो एक स्थानीय स्तर पर हैं। ... (व्यवधान) मैडम, अभी तो आपने हमें स्वेच्छापूर्वक कहा था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने अभी टाइम देखा है तो आप 23 मिनट पहले बोल चुके हैं, 17 मिनट अभी बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: थोड़ी देर आप टाइम मत देखिए, सदन की तरफ देखिए।

माननीय सभापति : जगदम्बिका जी, टोटल 43 मिनट्स हो गए हैं तो इसको आप वाइंड-अप कर दीजिए और भी लोग बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम, हम कर देंगे। अभी तो बोलने दीजिए।

मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो इस कार्यक्रम में जब हम आगे करेंगे, आज पूरी दुनिया में यह बात लिखी जा रही है कि किस तरीके से जल संरक्षण किया जाए। हमारी तो जो इंडस रिवर थी, उसी के नाम पर हमारे देश का भी नाम पड़ा है। वे भारत की लैण्ड ऑफ सैवन रिवर्स कहलाती भी है। आप अगर संजीव सन्याल की बुक को देखें, मतलब उसी समय उन्होंने नाम दिया था कि हमारी यह जो इंडस रिवर है, उसी के नाम पर देश का नाम पड़ा है। आज अगर उस पानी के संकट को दूर नहीं किया गया तो केवल सूखा ही नहीं पड़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जो पैरलल वॉटर क्राइसिस है, उससे भी कठिनाई होगी। इस तरीके से इस कठिनाई के बाद जो स्थितियां बनेंगी, उसमें आगे हम कैसे काम करेंगे? सरकार ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ की हैं। चाहे वह जल-जीवन मिशन हो या सन् 2024 तक हर घर को पानी की बात हो या नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम हो, यह भी एक बड़ा प्रोग्राम है। नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो या जल-शक्ति मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की हो, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा।

जो ईजमेंट एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब को रेशनलाइज करते हैं, वाटर को भी रेशनलाइज करो। कैसे रीसाइक्लिंग कर सकते हैं या हम क्रॉप के भी पैटर्न को चेंज करें। जिन क्रॉप्स में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस तरह से हम कुछ चेंज इन क्रॉप पैटर्न करें, जिससे कम पानी की आवश्यकता हो। लोकल पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता है। इसी तरह से मिहिर शाह की कमेटी ने भी रिकमंड किया था कि एक नेशनल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। मुझे लगता है कि आज इसकी भी ज़रूरत होगी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के जल संकट पर यह चर्चा है। आज पानी सब के लिए एक्सेसिबल हो, पानी अविरल हो या पानी एफोर्डेबल हो। इस बात पर कम से कम हर आदमी का अधिकार भी बनता है। उस अधिकार के अंतर्गत यह करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जल संरक्षण है वर्षा का जल भंडारण है, उसके संबंध में सरकार की कौन सी योजना होगी। पहले पारंपरिक और अन्य जल भंडार ट्रेडिशनल थे। आप देखते हैं कि उन जल भंडारों का वाटर लेवल इसलिए ऊपर होता जा रहा है। पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स ने नेपाल की फुटहिल्स में बांध बनाए थे या तालाब बनाए थे। आज जिस तरह से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कल बिहार के 32 सदस्यों ने कहा कि अगर नेपाल में बारिश शुरू होती है, चाहे बिहार की कोसी हो, बानगंगा हो, करनाली हो, जलकुण्डी हो, उससे जिस तरह का सैलाब आता है, उसके साथ जो मलबा आता है, वह हमारे रिवर बेड्स को भी ऊपर करता जा रहा है और हमारे तालाब को भी ऊपर कर दिया है, जिसके कारण हम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में आप आगे क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर तालाब को हम गहरा नहीं कर रहे हैं या हम निश्चित तौर से लाइन डिपार्टमेंट के बजाय, हम यह तय कर दें कि ब्लॉकों में, क्षेत्रों में हर गाँव के तालाब की हम खुदाई करेंगे, नए तालाब की खुदाई करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अनुराग शर्मा।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं दो-चार मिनट में कनक्लूड करूँगा।

माननीय सभापति : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: हमने सोचा था कि आपने टाइम दे दिया है।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं वाटर शेड विकास के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। गहन वनीकरण करना होगा। केन और बेतवा की बात हुई है। केन और बेतवा की इंटरलिंगिंग...(व्यवधान) मैं कहता हूँ कि आज बुंदेलखंड के संकट को लेकर चर्चा है। पानी का संकट बुंदेलखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। जो यह डार्क जोन है, इतने ब्लॉक्स हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी निश्चित तौर से एक गम्भीर संकट है। मैं समझता हूँ कि आज इस प्रस्ताव के माध्यम से और प्रधान मंत्री जी के प्रयास से एक जन आंदोलन बनाने की बात चल रही है। हमारा मंत्रालय भी कार्य योजना बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक गम्भीर विषय जो पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी ने उठाया है, उस पर सरकार का ध्यान जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, एक सूचना है कि अभी जगदम्बिका जी को इतना समय मिल गया, लेकिन अभी बहुत लम्बी सूची है। हर सदस्य को समय मिल पाए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब 10 से 15 मिनट के बीच में अपनी बात समाप्त करें, ताकि सब को अपनी बात कहने का मौका मिले।

श्री अनुराग शर्मा।

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी): सभापति महोदया, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं झाँसी से आता हूँ दूसरी चीज यह कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ दो बहुत पवित्र स्थल हैं- पीताम्बर माँ का शक्ति पीठ और राम राजा का मंदिर। उन दोनों का आशीर्वाद इस पूरे सदन पर रहे और आप सब पर रहे।

महोदया, हम बुंदेलखंड के लोग हैं और बुंदेलखंड इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यह बहुत वीरों की भूमि रही है। यहाँ से हमेशा वीर आए हैं, चाहे आला उदल की कहानियाँ हों, चाहे हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ हों, हमारे वहाँ से दुर्गावती जी रही हैं, हमारे वहाँ चन्देलाओं का राज्य रहा है, हमारे वहाँ बुन्देलाओं का राज्य रहा है, इस क्षेत्र पर खंगाराओं और मराठाओं ने राज्य किया है। इन सबने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। इन्होंने बुंदेलखंड में सम्पूर्ण रूप से 8 हजार से ज्यादा तालाब बनवाए। यह वही धरती है, जो खुजराहो के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तब से हमारे वहाँ एक व्यापक रूप से और इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम होता रहा है। इन्होंने वहाँ बावड़ियाँ बनवाईं, ताल खुदवाये और बड़े-बड़े मंदिर बने, लेकिन अब हमारे वहाँ जल के अभाव से, जैसे किसी ने बहुत पहले कहा था कि अगर जल न हो तो जल जायेगा जग, तो आज बुंदेलखंड जल रहा है। आज वह अवसर भी है, आज मंगल पांडे जी की जयंती है। इन्होंने सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झाँसी के बारे में कुछ लिखा था।

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,
 बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी,
 गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी,
 दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
 चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी,
 बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी,
 खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥

यह सब इस देश में बच्चों को कंठस्थ याद है, हम सबको याद है और जो इतनी वीर भूमि रही है, आज वहाँ उस गरीबी के हाल में, क्योंकि पानी के अभाव से वह पूरा का पूरा क्षेत्र जल रहा है, इससे दिल को बहुत चिंता होती है, इससे हम सबका दिल टूटता है, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं रह गया है। इसमें मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस देश पर पुलवामा का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। उसके अगले दिन भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी झाँसी आये और विशेष रूप से उन्होंने हमारे बुंदेलखंड के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, जिसमें से वे 9 हजार 21 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं के लिए बोलकर गए। अगर ये पेयजल की योजनाएं हमें सचमुच में चलानी हैं और उधर पेयजल पहुँचाना है, तो पेयजल की योजना तो बन जाएगी, पेयजल के लिए लाइने बिछ जाएंगी, पर जल कहाँ से आएगा। यह जल लाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का तो विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड की आवाज सुनी और बुंदेलखंड ने उनकी आवाजा सुनी। जितनी भी बुंदेलखंड में सीटें रही हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें रही हों या मध्य प्रदेश की सीटें रही हों, हमारे वहाँ से सारे के सारे सांसद जीतकर आए हैं। हमारे सांसद केवल जीते ही नहीं हैं, बल्कि सभी सांसद लाखों वोटों से जीतकर आए हैं। सब की जीत रिकॉर्ड रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी वहाँ आए थे। यह तो वैसे ही वाली कहानी हो जाती है, जैसे हनुमान जी से एक जड़ी बूटी माँगी गई थी और वे पूरा पहाड़ उठा लाए थे।

जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि हम तो इस कोशिश में हैं कि एक नदी को उठाकर दूसरी नदी में ले आएँ। मैं यह चाहूँगा कि इस पर हमारे यहां काम होता रहे।

महोदया, मेरा आग्रह है कि अगर प्रधान मंत्री और हमारे जल शक्ति मंत्री जी इस योजना को चालू करवा दें तो वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बुंदेलखण्ड में जब भी कोई बहुत वीर या कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसके लोकगीत बनते हैं, जो एक नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, बल्कि पाँच-पाँच सौ

सालों के बाद भी गाए जाते हैं। हमारे यहां आल्हा होते थे। आल्हा-उदल की कहानी ऐसे ही सुनाई जाती है। मेरा आग्रह यही है कि अगर हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने यह कार्य करा दिया तो 500 सालों के बाद भी हम इनके भी गीत गाएंगे।

महोदया, मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां से वे आते हैं, वह मेरी पैतृक भूमि है। मैं भी राजस्थान का ही हूँ। मेरे पूर्वज वहीं से निकल कर आए। राजस्थान में भी हमेशा जल संकट रहा, पर चूंकि मैं उस जगह से वाकिफ हूँ, मैं अपने गांव जाता रहता हूँ तो वहां इतनी बुरी हालत नहीं है, जितनी कि बुंदेलखण्ड में है। उनसे यही आग्रह रहेगा कि कभी हमारे साथ आएँ और कभी जरा देख कर जाएँ कि यह परियोजना हमारे लिए कितनी जरूरी है। मैं इनको यह आश्वासन दिलाऊंगा कि हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय महाराज योगी जी इस परियोजना को लाने में यू.पी. की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, अब मैं बताना चाहता हूँ कि पानी के अभाव से कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, वह कल्टीवेशन की है, एग्रीकल्चर की है। आप कहीं के भी आंकड़े निकाल लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि बुंदेलखण्ड में अक्सर एक ही फसल होती है। हमारे यहां चावल, धान की फसल नहीं लगती क्योंकि वहां पानी नहीं है। हमारे वहां पर अगर कोई फसल लगाई जाती है तो थोड़ी बहुत मूंगफली लगाई जाती है और बाद में थोड़ी सरसों लगाई जाती है। अगर इस देश में सरसों का प्रति हेक्टेयर आउटपुट 25 क्विंटल है तो हमारे बुंदेलखण्ड में मात्र चार या साढ़े चार क्विंटल है। अगर हमारे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर आउटपुट 3200 या 3400 है तो बुंदेलखण्ड में यह 2700 या 2800 पर ही रह जाता है। इस तरह हमारे यहां न तो किसानों को पैसा मिल पाता है और न ही उसकी जमीन उतनी उपजाऊ रह जाती है।

मैडम, बुंदेलखण्ड में तो एक ही कहानी है कि जब इतने साल बारिश नहीं होती है तो अगर कोई हमसे पूछता है कि वहां क्या उग रहा है तो हम कहते हैं - पत्थर। हमारे यहां पत्थर ज्यादा उगते हैं, फसलें कमा... (व्यवधान) जी, पत्थर फसल से महंगा है, पर उसकी माइनिंग भी करनी पड़ती है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है।

महोदया, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पहले हमारे यहां एवरेज रेनफॉल 800-900 एम.एम. था और पिछले चार सालों से गिरकर आज वह मात्र 400-450 एम.एम. रह गई है। हम जो इन दो नदियों, केन और बेतवा को जोड़ने की बात करते हैं, ये उत्तरायण नदियां हैं, उत्तर की ओर जाती हैं। इनका जो वाटरशेड एरिया है, वहां पर 1100 एम.एम. से अधिक बारिश होती है। मध्य प्रदेश में अक्सर बारिश ठीक हो जाती है। इन नदियों में इतना पानी आ जाता है कि हमारे यहां बाढ़ आती है और 70 से 80 प्रतिशत इनका वाटर का रन-ऑफ हो जाता है। यह पानी सीधा यमुना जी में चला जाता है और वहां से महासागर में चला जाता है, जिस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बुंदेलखण्ड एक रेन शैडो एरिया में पड़ता है। बारिश हम से 400 या 600 किलोमीटर दूर होती है। हमारे यहां वह होना जरूरी नहीं है, पर वह पानी हमारे यहां से गुजरता है और कभी-कभी यह हमारे यहां तबाही भी मचाता है।

हमारे यहां कभी-कभी तबाही भी हो जाती है। अगर रिवर्स लिंकिंग का काम हो गया, तो हम तबाही से बचेंगे और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम पहले यूपी के कृषि के लिए 15 परसेंट कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन आज यह गिरकर सात परसेंट रह गया है। बाकी सभी जगह हरित क्रांति हुई और वहां उत्पादन बढ़ता चला गया, लेकिन हमारे यहां उत्पादन घट गया। इस साल भी हमको नहीं लग रहा है कि इतनी बारिश हो पाएगी। बुंदेलखंड में अक्सर चार साल सूखा पड़ता है और एक-दो साल कभी बारिश हो

जाती है। इस वजह से हमारे यहां अन्ना प्रथा शुरू हो गई। उसकी इतनी भयानक स्थिति हो गई कि जिस किसान के खेत में गलती से कुछ लग गया और कुछ फसल भी हो गया, तो अक्सर जानवर उनकी फसल में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। इससे खेत के खेत उजड़ जाते हैं और उस किसान का परिवार तबाही की ओर चला जाता है।

सभापति महोदया, अगर हमारे यहां जल होता, तो हम चारा भी उगा लेते, हमारे यहां लाइव स्टॉक भी ठीक हो जाता और अन्ना प्रथा की समस्या भी कम हो जाती। आज जब किसान अपने जानवर को खिला नहीं सकता, तो वह उस गाय का क्या करेगा? वह उस गाय को छोड़ देता है। जब आप गाय को खिला नहीं सकते, तो गाय के मिल्क का प्रोडक्शन कहां से होगा? अगर हम अपने यहां औसतन मिल्क प्रोडक्शन देखें, तो दो-तीन लीटर से ज्यादा मिल्क नहीं निकलता। हमारे यहां को-ऑपरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक-दो डेयरीज वाले भी आए, लेकिन जहां 100-200 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता हो, तो वहां यह काम संभव नहीं। हमारे यहां मिल्क कलेक्शन के चक्कर में सभी डेयरीज बंद हो चुके हैं। पानी के अभाव से हर चीज पर फर्क पड़ता है। इस देश में एक बार विशेष रूप से मेलन्यूट्रिशन पर चर्चा हो चुकी है। आज बुंदेलखंड में मेलन्यूट्रिशन और एनिमिक इतना ज्यादा बढ़ता चला गया है कि हमारे यहां औसत से 25 परसेंट लेडीज एनिमिक पाई गईं। आज वहां इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि हम अपना पैदावार नहीं कर पाते हैं। वहां ताल सूख गए हैं, नदियों में पानी नहीं है, नहरों में हम कुछ दे नहीं पाते हैं। हमारे जो कुछ ताल रह गए हैं, उसी में से इंसान भी पानी पीता है और उसी में से जानवर भी पानी पीता है। उसके लिए इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अब वहां बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके ध्यान में एक और चीज लाऊंगा। हमारे बुंदेलखंड के लोग बाहर वाले से बहुत झगड़ा किए हैं, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हो, चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो, यह वही देश हैं, जहां

पर हमने दक्कन विजय के बाद अकबर की आर्मी को रोक दिया था। हमारे महान राजा वीर सिंह देव जी थे, उन्होंने अयोध्या में कनक भवन बनवाया, मथुरा का मंदिर बनवाया, परंतु अब यह हालत है कि बुंदेलखंड के लोग आपस में ही झगड़ते हैं। हमारे यहां एक-एक पानी के टैंकर्स के ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है। सड़कें इतनी दूर हैं कि अगर एक टैंकर किसी गांव में आ जाए, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जल के स्रोत इतने दूर रह गए हैं, हमारा क्षेत्र पथरीली है, वाटर लेवल काफी नीचे है। It is quartz and it is granite. You cannot do deep-bore tube well. वहां हम 150, 250 और 300 फुट नीचे चले जाते हैं और आधे ग्रेनाइट की वजह से फेल हो जाते हैं।

ऊपर से अगर आप डीप बोरिंग भी करने लग गए, तो वहां पानी के चांसेज इतने पुअर हैं कि इतने पैसे लगाने के बाद वह 99 पर्सेंट अनसक्सेजफुल रहेगा। मेरे क्षेत्र में तकरीबन 10 हजार से ऊपर हैंडपंप सूखे पड़े हैं। एक माननीय सदस्य आए थे, उन्होंने कुछ पिक्चरें बनाई हैं। वे हैंड पंपों की बात कर रहे थे। वे कहीं भी जाते थे, तो लोग उनको किसी पिक्चर की वजह से हैंड पंप दे देते थे। मैंने कहा कि आप झांसी आ जाइए। आपको जितने हैंड पंप चाहिए, हम आपको गिफ्ट कर देंगे। हमारे यहां पानी का बहुत अभाव है। सारे हैंड पंप सूखे पड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) यहां लोग 50-50 मिनट बोल रहे हैं।

माननीय सभापति : इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूं।

श्री अनुराग शर्मा: महोदया, मेरा दुःख-दर्द तो एक बार बयां हो जाने दीजिए।

माननीय सभापति: आपका दुःख-दर्द हम सबको समझ आ गया है।

SHRI ANURAG SHARMA : This has led to no industries there. Industries will not come to a place like Bundelkhand.

HON. CHAIRPERSON: Why?

SHRI ANURAG SHARMA : They want water but there is no water available. How can you possibly run an industry without water? Today, the Government of India has announced one of its largest packages in that area called the Defence Corridor. We have already got over 2,000 acres of land identified and acquired by the Government of India. This has got to be extended to nearly 2,000 odd hectares. Now, if any industry wants to come there, the first thing it is going to ask for is land. The next they will ask for is water. अगर वहां पानी ही नहीं है, तो इंडस्ट्री कैसे आएगी? माननीय सभापति, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहां आने की बात हो रही है और अगर वहां पानी नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? This has led to mass migration.

मुझे यहाँ वेस्टर्न कोर्ट में एक कमरा दिया गया है। मैं जब पहली बार वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में गया, तो मुझसे 15 लोग मिलने आये। वे सब के सब बुंदेलखंड से थे। वे सब के सब गार्ड्स थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे काम कर रहे हैं? उनकी तरफ से बताया गया कि उधर काम कहाँ है। अपने परिवारों को लेकर वे सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्य वेस्टर्न कोर्ट में रहते होंगे। आपको जितने भी गार्ड्स वहाँ मिलेंगे, वे सब बुंदेलखंड के हैं। हमारे झाँसी रेलवे स्टेशन से हजारों लोग डेली माइग्रेट करते हैं। गर्मियों के मौसम में वहाँ जगह नहीं मिलती है। 20 से 25 हजार आदमी तक स्टेशन से जाते हैं। कुछ ट्रेनें तो सिर्फ माइग्रेशन के लिए हो गई हैं। वे वहाँ से अपना गाँव छोड़कर नौकरियाँ ढूँढने के लिए दिल्ली, लखनऊ या पंजाब जा रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है। वे किनको छोड़कर जाते हैं? अपने जानवरों को और बूढ़े माँ-बाप को। उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं रहता है। वहाँ पानी का बहुत अभाव है। वे बेचारे पानी नहीं ला पाते हैं। उन्हें उनके पास पानी पहुँचाने के लिए कोई न कोई विशेष प्रबंध करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं।

माइग्रेशन की वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है। हम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का आन्दोलन सब जगह छेड़ते हैं, पर बेटी को तो तब पढ़ने को मिलेगा, जब वह बेचारी सुबह पानी लेने के लिए नहीं जाएगी। अगर उस बच्ची को उसके माँ-बाप पानी लेने के लिए भेज देते हैं, तो वह कैसे पढ़ेगी? हर बार यही होता है। The school drop-out rate for young girls in rural Bundelkhand is probably over 45 per cent. They suffer from malnutrition. तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर उस धूप में जाना पड़ता है। बुंदेलखंड के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जब वहाँ गर्मी पड़ती है, तो वहाँ रिकार्ड गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ औसत तापमान, जो हमारे यहाँ नौतपा कहा जाता है, वह 48 डिग्री रहता है और रात का तापमान 39 डिग्री से नीचे नहीं आता है।

उस भयानक गर्मी में लोग पानी कलेक्ट करने के लिए जाते हैं इसलिए नदी जोड़ने के लिए अभियान बहुत जरूरी है। मुझे डर लग रहा है कि आप घंटी न बजा दें। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। हमारी नदियां उतरायण हैं, इनका वॉटरशेड एरिया, 427 किलोमीटर दूर है और दूसरा 610 किलोमीटर दूर है, ये यमुना में मिलती हैं। दोनों अलग-अलग एमपी के एरिया से स्टार्ट होती हैं। बेतवा नदी होशंगाबाद जिले से शुरू होती है और केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास से निकलती है। यहाँ औसतन बारिश ग्यारह से बारह सौ मिलिमीटर होती है। हमारे चार सौ पांच सौ मिलिमीटर से दोगुनी बारिश होती है। यहाँ पर 90 परसेंट तक चार या पांच साल में अच्छी बारिश हो जाती है। इस एरिया में चैक डैम जरूर बने हैं, कुछ बड़े डैम्स भी बने हैं, वह पानी कुछ ही एरिया को सिंचित कर पाता है।

यह स्कीम सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कंसीव की गई थी। यह उनका ही आइडिया था। उनकी सोच वहाँ से शुरू होती थी जहाँ से लोगों की सोच अक्सर खत्म हो जाती है। उन्होंने इस देश के लिए इंटरलिंगिंग ऑफ रिवर का इतना बड़ा सपना देखा था,

New marvels of engineering can be executed. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक विशेष रूप से कमेटी गठित की थी। नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी ने एक कम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट भी बनाई थी, इसको फेज वन और फेज टू में किया गया था। इसके अलावा, दोनों सरकारें मान गई थीं, दोनों सरकारों में विलय भी हो गया था। शुरू में कुछ परेशानियां जरूर रही थीं कि किसको कितना पानी मिलेगा, लेकिन बाद में एमओयू भी साइन हो गया था। एनजीटी से भी एप्रूव्ड हो गया था। वाइल्ड लाइफ बोर्ड से कुछ ऑब्जेक्शन्स आए थे, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसके लिए कहा था, वहां एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार मान गई थी। वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व छोटा नहीं किया जाएगा और इसे बड़ा कर दिया जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्शन्स क्लियर हो चुके हैं। जब ये सारे ऑब्जेक्शन्स क्लियर हो गए थे तब भी इस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आज यह देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होगा क्योंकि यह टेक्नीकली प्रूव कर सकेगा We are capable of linking our rivers and this is the only project where I think the Government of India has done a detailed and comprehensive study to clear this. Not only will it revive water, it will also be able to generate solar power. They are planning to cover the canal and it will generate 140 megawatts of hydel power and 27 or 30 megawatts of solar energy. Nearly 9 lakh hectares of land could be annually irrigated through this project; 4843 million cubic metre of water including drinking water supply will be generated.

The project was envisaged in two phases; one costs about Rs.14,000 crore and the other about Rs.21,000 crore.

I would again request the Mantri ji to look into this project. This has a positive rate of return. It is not only socially good for the country, but also economically beneficial for the country. It probably has an IRR, if I am right, of 10.95 per cent, which for a social engineering project like this, will be a boon.

मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस विनती पर थोड़ा सा गौर करें और देश में पहला प्रोजेक्ट बनाने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति श्रीमती : माननीय मंत्री जी बैठे हैं, प्वाइंट्स ले रहे हैं।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने जो बात कही है, जब चर्चा समाप्त होगी तो निश्चित रूप से सारे विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड की विशेष परिस्थितियों के बारे में बात की है और बुंदेलखंड में जो हालात है, उस दर्द को आपके माध्यम से सदन और देश के सामने रखा है।

माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड के राजाओं की वीरता और इतिहास की चर्चा की। उन्होंने इसकी भी चर्चा की कि किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया। तालाबों की जो वर्तमान स्थिति है, इतिहास साक्षी है, इस तरह के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि 9,000 तालाब चन्देल राजाओं ने 1000 बीसी से 600 बीसी तक बनाए थे। इन तालाबों में से आज केवल 250 तालाब बचे हैं और ऐसी परिस्थिति में 2500 को रिस्टोर किया जा सकता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जलशक्ति अभियान प्रारंभ किया है, उसका मूल यही है। उन्होंने सभी सांसदों से अपेक्षा की है और मैंने भी सबको पत्र लिखा है कि सब अपने क्षेत्र में वाटर लीडर की तरह काम करें। अभी यह अभियान चल रहा है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा और बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों से जो सदस्य आते हैं, सब इस अभियान के साथ जुड़ें और अपने क्षेत्र में इन सब

विषयों को देखें। उन 250 तालाबों में जहां काम हुआ है, वहां बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। यदि ऐसा करेंगे तो केन-बेतवा लिंक एक तरफ है, आप अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत दे सकेंगे।

माननीय सभापति: अनुराग जी, आप पर्सनली मंत्री जी से मिल लीजिए, जो स्कीम है उसे अपने क्षेत्र में ले जाइए। यह स्कीम पूरे देश के लिए है, लेकिन बुंदेलखंड की जो समस्या है, वैसी समस्या समस्या बाकी क्षेत्रों की नहीं है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा सामाजिक संकल्प, जो बुंदेलखंड की जल की स्थिति और अन्ना प्रथा से संबंधित है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस पर बोलूँ या न बोलूँ क्योंकि सवाल अन्ना प्रथा की व्यवस्था और जल का संकट का है। जल संकट तो आज देश में बहुत विकराल रूप में सामने खड़ा हुआ है। अन्ना प्रथा का विषय सीधे मेरे लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा है। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए, तो इसके पूर्व में पूर्वांचल है, पश्चिम में कानपुर है, उत्तर में अवध क्षेत्र है और दक्षिण का भाग बुंदेलखंड से लगा हुआ है। यहां यमुना नदी है, जो हमें आपस में बांटती है। एक तरफ बुंदेलखंड और दूसरी तरफ दुआबा है।

जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो इसका मुख्य विषय था कि अन्ना प्रथा में लोग पशुओं को छोड़ते हैं। मैंने इस पर ध्यान दिया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो यह समस्या अब केवल बुंदेलखंड तक नहीं है। अन्ना पशुओं को लेकर बुंदेलखंड की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब लोग वहां से उससे मुक्ति पाने के लिए अपने सभी जानवरों को यमुना से पार करके मेरी लोक सभा क्षेत्र में भेज रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है। मेरे बगल के, बांदा के माननीय सांसद जी हैं। निश्चित रूप से यह समस्या केवल बुंदलेखंड की ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जिस तरह से भूजल स्तर गिर रहा है, उसके कारण ये समस्या धीरे-धीरे बढ़ेगी और विकराल होती जाएगी। माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल पर देश के 1592 ब्लॉकों को चिह्नित किया गया है, जिनमें 256 जिले हैं, जो इस जल संकट से जूझ रहे हैं, इसमें मेरा भी जनपद है। मेरी लोक सभा में 12 ब्लॉक्स हैं, इनमें 10 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति और भी खराब होगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है, उससे स्पष्ट है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इस विषय का संज्ञान भी है और चिन्ता भी है। मैं बुंदेलखंड के किसानों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो, किसान की आय बढ़े और बुंदेलखंड में वे सारी चीजें विद्यमान हैं। इसका बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। यह वीरों की भूमि है, जोत भी बड़ी है। सब कुछ होने के बावजूद आज बुंदेलखंड के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उसके मूल में जो कारण है, वह कारण कुछ और नहीं केवल जल है। माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए देश भर के किसानों को नीम कोटेड यूरिया समय पर उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करा रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है, उनको मिल रही है। लेकिन, बुंदेलखंड का किसान बेचारा क्या करे, वह फर्टिलाइजर लेकर क्या करेगा, क्योंकि पानी ही नहीं है तो वह खेती कहां से करेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एमएसपी का बुंदेलखंड के किसानों को तब मिलेगा, जब वे फसल पैदा करेंगे। उनकी फसल दिनोंदिन घटती जा रही है तो वे किसानी नहीं करेंगे। जब किसान अन्न पैदा ही नहीं करेगा तो कहां से उसे फसल का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय को लेकर चिंतित है। वर्ष 2014 में जब सरकार बनी तो माननीय प्रधान मंत्री ने देश भर में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की। उस योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे चाहकर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो मूल आवश्यकता पानी है, वह उनको नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी बुंदेलखंड के किसानों को नहीं मिल रहा है। चाहे फसल बीमा योजना हो, जब वे फसल पैदा नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो बीमा का लाभ उन्हें कहां से मिलेगा। निश्चित रूप से

बुंदेलखंड के किसानों की मूल समस्या जल है और यह समस्या अब केवल बुंदेलखंड की नहीं है। आज पूरे देश में इसका संकट है। मुझे लगता है कि ऐसे ही समय को देखते हुए रहिमान ने एक बार लिखा था-

“रहिमान पानी रखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूना।”

जब पानी ही नहीं है तो न मोती होगा, न मानुष बचेगा और न ही चून इसलिए पानी की आवश्यकता जितनी है, उतनी ही बुंदेलखण्ड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आने वाले समय में जल संकट को समझते हुए नदियों की शुरुआत की थी। ऐसा कार्य करने वाले वह देश के पहले प्रधान मंत्री थे और इसको समय पर किया जाता, इसकी समय पर शुरुआत होती तो मुझको लगता है कि आज बुंदेलखण्ड की जो समस्या विकराल हो गई है, उससे हम लोग बच सकते थे या उसमें थोड़ी कमी ला सकते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण आज किसान वहां पर केवल खेती के पानी के लिए ही नहीं, बल्कि उनको पीने के लिए भी शुद्ध जल मिल नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से बुंदेलखण्ड के एक साथी ने कहा कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बेटी को जब घरके काम से मुक्ति मिलेगी, समय मिलेगा तभी तो पढ़ाई करेगी। सबसे ज्यादा समय तो उनका पानी ले जाने में खर्च हो जाता है। देश की एक नहीं अनेक योजनाएं हो, चाहे महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या किसानों की बात हो ये सब जल पर निर्भर करती हैं। बुंदेलखण्ड के लिए कहा जाए तो पानी की जितनी आवश्यकता है, जितने में जीवन चल सकता है, कम से कम उतने पानी की तो व्यवस्था की जानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए चिंतित है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन मोड में लेकर देश में अभियान चलाया था, जिसके कारण आज देश स्वच्छता की ओर बढ़ा है। चारों ओर देश में स्वच्छता दिखाई पड़ती है।

17.00 hrs

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही जल की गंभीरता को महसूस करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय का नेतृत्व भी एक ऐसे प्रदेश के नेता को दिया, जो तेज तर्रार और युवा हैं, जिनके प्रदेश का पूरा जीवन जल संकट से जूझता रहा। इस बात के लिए मैं शर्मा जी को फिर जोड़ूंगा कि राजस्थान में जितनी चर्चा पानी के संकट की है, उससे ज्यादा पानी का संकट बुंदेलखण्ड में है। आज वहां गांव के गांव खाली हैं। वहां पर हमारे क्षेत्र से लगा हुए एक क्षेत्र है, जहां न तो रहने के लिए लोग बचे हैं और न ही पशु बचे हैं और जो पशु बचे भी हैं, वे पशु भी बेचारे चारा और पानी की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर घूम रहे हैं। उनसे एक नहीं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज वे लोगों के बीच में झगड़े का कारण बन रहे हैं, रोड पर आ जाए तो एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, तो ऐसी एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। निश्चित रूप से यह सामाजिक संकल्प जो लाया गया है, उस पर सरकार ध्यान देगी, लेकिन यह काम सरकार ही करे यह संभव नहीं है, क्योंकि जल किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकता, जल तो केवल और केवल उसके सदुपयोग से और उसका संरक्षण करके बचाया जा सकता है।

निश्चित रूप से मंत्री जी ने इस संबंध में सभी सांसदों को पत्र भी लिखा है और उनकी यह अपेक्षा है कि सभी सांसद और केवल सांसद ही नहीं, देश का बच्चा-बच्चा, देश का हर जागरूक नागरिक, देश के हर सम्भ्रांत नागरिक, सभी को इस चिन्ता होनी चाहिए। वे जब तक इसमें वाटर लीडर के रूप में काम नहीं करेंगे, इस जल संकट का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने भी सांसद बनने के बाद कुछ संकल्प लिए कि इसे कैसे किया जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में आठ ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं। आप कल्पना कीजिए कि आठ ब्लॉक्स डार्क जोन में हों तो वहां स्थिति कितनी भयावह होगी। लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र मां गंगा और

मां यमुना की अन्तर्वेदी में है, जिसके कारण सिंचाई के लिए कुछ पानी गंगा की कैनाल से मिल जाता है और कुछ यमुना की कैनाल से मिल जाता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। आने वाले समय में जिस तरह से डिमाण्ड बढ़ रही है, वे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे।

मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र में एक संकल्प लिया और यह तय किया कि जितनी भी बरसाती नदियां हैं, उन सब जितने चेक डैम बनाने की जरूरत है, उसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही रिपोर्ट बनाने और योजना बनाने के लिए कहा दिया कि आप इसकी रिपोर्ट बनाइए और एक योजना बनाइए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे मनरेगा से पैसा लेने की जरूरत होगी, चाहे सांसद निधि से पैसा देने की जरूरत पड़ेगी या जन-भागीदारी के माध्यम से हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जल को संरक्षित किए बिना हम इस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। जल के विषय में देखा जाए तो भारत का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। भारत की सभी सभ्यताओं का जन्म और विकास नदियों के किनारे हुआ, लेकिन जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, सरकार के प्रयास के अभाव में और जिस तरह से दिनों-दिन हमने जल का दोहन किया, उसके हिसाब से हमने जल का संरक्षण नहीं किया। हमने जल का दोहन ज्यादा किया गया और संरक्षण कम किया, जिसके कारण आज जल संकट देश के सामने खड़ा है।

मैंने एक सामाजिक संकल्प मूव किया है। वैसे जल राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जो संकल्प ला रहा हूं, उसमें मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि जल को केन्द्र सूची में रखा जाए, नहीं तो कम से कम इसे समवर्ती सूची में रखा जाए। जिस समय देश में जल का संकट नहीं था, उस समय यह बात समझ में आती थी कि इसे राज्य पर छोड़ा जाए, लेकिन अब जल संकट केवल राज्य ही नहीं, राष्ट्रव्यापी हो गया है। कई इतिहासकार और कई जानकार कहते हैं कि अगर अगला विश्वयुद्ध दुनिया में होगा तो वह जल के लिए होगा। निश्चित रूप से केवल सरकार पर

निर्भर रहकर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसमें हमें अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जब इसका बीड़ा उठाया है और जब इन्होंने इसे अपने हाथ में लिया है तो आज सरकार की इतनी विश्वसनीयता है कि यह संभव है।

मैंने पिछले भाषण में एक बात कही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, तब लोग हंस रहे थे, लेकिन आज सभी नेता, सभी वक्ता इस बात को कहते हैं कि देश में अगर मोदी है तो मुमकिन है। अगर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने इसका बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जल संकट से केवल बुंदेलखण्ड को ही मुक्त नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश को भी मुक्त करेंगे। हमें देश को जल मुक्त नहीं करना है, जल युक्त करना है। इस देश में पर्याप्त जल है, जल की कमी नहीं है। हमारे पास जल के एक नहीं, अनेक स्रोत हैं। वर्षा के कारण जल हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, हमारी छोटी-बड़ी नदियां हैं, जिनके माध्यम से हमें जल मिलता है, लेकिन आवश्यकता है उनका संरक्षण करने की, आवश्यकता है उसका नए ढंग से प्रबंधन करने की। गडकरी जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि 5 एमजीडी या 10 एमजीडी जल के लिए हमारी प्रदेश सरकारें आपस में लड़ती रहती हैं और उससे कई हजार गुना जल हम लोग समुद्र में जाने देते हैं।

जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, अगर हम लोग वहां समुद्र के मुहाने पर बांध बना कर नदियों के जल को पुनः प्रवाह के लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से देश को जल संकट से ही नहीं उबारेंगे, बल्कि आने वाले समय में यह केवल सोशल इंजीनियरिंग ही साबित होगा, यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स भी है। इससे बहुत बड़ा लाभ देश को हो सकता है। जब दुनिया में पानी के लिए हाहाकार मचेगा, तब हम पानी की बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के विधान सभा में एक बार बोला गया कि जब इस देश में डिब्बाबंद, बोतलबंद पानी की शुरुआत हुई, तो वहां पर

किसी ने कहा था कि दूध से महंगा पानी है। आज यह हालत है कि बोतलबंद पानी दूध से भी महंगा होता जा रहा है। आने वाले समय में इसकी स्थिति और खराब होगी।

सभापति महोदया, हम लोग यहां प्राइवेट मैम्बर बिल पर चर्चा करने के लिए रुके हुए हैं कि हमें पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त बात रखी जाएगी, क्योंकि यह संकट अब केवल बुंदेलखंड का संकट नहीं है, यह संकट पूरे देश का हो चुका है। मैं आपका पड़ोसी हूं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के बाद मेरा क्षेत्र ही प्रभावित होने वाला है। इसलिए मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके साथ अपने को जोड़ने के लिए भी खड़ा हूं और बुंदेलखंड की जो संवेदना है, वेदना है, जितनी वेदना और संवेदना के साथ आपने बुंदेलखंड की बात को रखा है, निश्चित रूप से यह पिछले सैंकड़ों साल से बुंदेलखंड की वेदना को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। आज देश में कहीं मजदूर मिलेंगे तो वे दो ही जगह के होंगे। वे बुंदेलखंड के होंगे या पूर्वांचल के होंगे। इत्तेफाक देखा जाए तो चाहे बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल हो, इनका बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। ये बहुत समृद्ध प्रदेश रहे हैं, लेकिन आज यहां के लोग छोटी-छोटी मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। छोटे-छोटे कामों के लिए अपने मां-बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हम लोगों को इसमें सरकार की अनेक योजनाएं का उपयोग उसको बढ़ावा देकर, भी कुछ समस्याओं को कम कर सकते हैं। चाहे वह स्प्रिंकल सिंचाई का माध्यम हो, जिसमें जितनी पानी की जरूरत है, ऐसे फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसकी वजह से पानी की बचत होगी।

साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड, जो भारत सरकार, देश के प्रधान मंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी बड़े पैमाने पर जागरूक किया जाए, लागू किया जाए, तो उससे भी पानी की बचत होगी।

मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग पीने के लिए जो पानी हैंड पम्प लगवाते हैं, वह हमारे यहां 30 हजार रुपये से 40 हजार रुपये में लग जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में वह हैंड पंप एक से डेढ़ लाख में भी नहीं लग पाता है। एक से डेढ़ लाख रुपये लगाने के बावजूद, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह हैंड पम्प सफल होगा, वहां पानी मिलेगा। यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ रही है। हम लोगों के यहां भी जल स्तर लगातार गिर रहा है।

सभापति महोदया, मैं सरकार को बधाई भी दूंगा कि वह बुंदेलखंड पर लगातार चिंता कर रही है। चाहे बुंदेलखंड के समग्र विकास की बात हो, बुंदेलखंड के पीने के पानी की बात हो या सिंचाई की बात हो। वह कैसे उपलब्ध हो, माननीय प्रधान मंत्री जी इसको लेकर चिंतीत हैं। 15 हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज बुंदेलखंड को दिया गया, जिससे आने वाले समय में वहां जल संकट के समाधान का रास्ता निकलेगा। बुंदेलखंड में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से शुरू की गई है, वहां पर्याप्त जमीन है।

वहां उद्योग की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। जिस डिफेंस कोरिडोर की शुरूआत की गई है, वह बुंदेलखंड तक आ रहा है। उसकी वजह से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए भी जल की आवश्यकता है। माननीय जल मंत्री सदन में हैं, इन्होंने योजना की शुरूआत की है। सबसे पहले बुंदेलखंड में केन और बेतवा नदी को जोड़ना चाहिए। यह कोई नई योजना नहीं है। अटल जी ने 37 परियोजनाओं की शुरूआत की थी। इन योजनाओं में यह योजना भी थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणविदों द्वारा लगातार सवाल खड़ा किया गया कि इससे इतने लाख पौधे खत्म हो जाएंगे, हमारा फारेस्ट रेंजर खत्म हो जाएगा। उसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है और मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने में कोई संकट है। एनजीटी से भी क्लीयरेंस मिली हुई है। सरकारों के बीच में

भी आम सहमति है। सरकारों के बीच में जल बंटवारे को लेकर समझौता है। यदि इस काम को शुरू करते हैं तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का जो सपना देखा था, उसके माध्यम से हम पुनः बुंदेलखंड को स्थापित कर पाएंगे और साथ ही साथ देश और दुनिया के सामने हम एक मॉडल भी स्थापित कर पाएंगे कि एक सफल रिवर लिंकिंग कैसे होता है।

महोदया, मैं फिर यही बात कहूंगा कि यदि मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। अगर मोदी जी न होते, तो शायद ये काम संभव ही नहीं होते, क्योंकि इतने लम्बे समय से जल का संकट देश में है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जहां जल का संकट न हो चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, बहुत प्रदेशों में जल का संकट है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। मोदी जी के विजन से यह चीज सफल होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब ये नदियां आपस में जुड़ेंगी, तो आने वाले समय में जल के संकट का समाधान होगा और बुंदेलखंड के लोगों को पुनः स्थापित करने का अवसर मिलेगा और देश की नदियों को जोड़ने का एक बढ़िया उदाहरण हम पेश कर पाएंगे, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदया, आपने मुझे कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल द्वारा प्रस्तुत संकल्प बुंदेलखंड में छुट्टा गोवंश, जिसे अन्न प्रथा कह रहे हैं और जल संकट पर लाया गा है, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बुंदेलखंड के बांदा की धरती से चुनकर आया हूँ। यह धरती भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से चलकर बारह साल तक वनवास में रहे। भगवान राम ने माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ बिंद बुंदेलखंड प्रांत में विचरण करने का काम किया, मैं उस धरती से चुनकर आया हूँ।

बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग-अलग तरह की मिट्टी है और अलग-अलग तरह की वाणी है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मिलाजुला क्षेत्र है। वहां की मिट्टी, वहां का पानी, वहां की वाणी, वहां की जलवायु बहुत स्वच्छ है। वहां पन्ना हीरा पाया जाता है। तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर वहां है। वहां कांतानाथ जी की तपोस्थली है। वहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। वह परिक्षेत्र जहां वीरांगना लक्ष्मी बाई जैसी महान विभूति का जन्म हुआ।

“खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।”

वह धरती है बुंदेलखंड की। आज वह आल्हा-ऊदल की धरती बुंदेलखंड है।

खट-खट, खट-खट तेगा बोलै,

बाजै छपक-छपक तलवारा।

वहाँ की जो परम्परा रही है, जिन्होंने अपना इतिहास बनाया है और वह राजा छत्रसाल की कर्मभूमि रही है।

इत यमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टौंस,
छत्रसाल से लड़न को ना काहु में धौंसा

वह बुंदेलखंड क्षेत्र, जहाँ के राजा छत्रसाल रहे हैं, वहाँ के पन्ना में आज भी हीरा पाया जाता है। वहाँ मराठाओं का भी साम्राज्य रहा है। मराठाओं द्वारा बनाए गए बहुत-से ताल-पोखरिया के पद-चिह्न आज भी वहाँ विद्यमान हैं। वहाँ चंदेल कालीन किले, मंदिर, तालाब हैं और बहुत-से सांस्कृतिक चिह्न विद्यमान हैं। खजुराहो मंदिर उस बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्यमान है। आज वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, पानी के अभाव में जीने के लिए मजबूर हैं। अपनी भूख-प्यास मिटाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आज वहाँ विकट समस्याएँ खड़ी हो रही हैं।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): I have a point of order. I think there is no quorum. ...(*Interruptions*)

श्री आर. के. सिंह पटेल: बुंदेलखंड में एक कहावत है- “कोस-कोस में पानी बदले और पाँच कोस में वाणी, बुंदेलों की यही कहानी।” बुंदेलखंड में कोस-कोस पर पानी बदलता है। कहीं पर 500 फीट नीचे पानी है, तो कहीं सौ फीट पर है, कहीं पर 50 फीट पर भी है। बुंदेलखंड में एक तरफ पंजाब जैसा क्षेत्र है, एक तरफ गुजरात जैसा क्षेत्र है, एक तरफ हिमाचल जैसा क्षेत्र है, तो एक तरफ माँ कामाख्या की गौहाटी जैसा क्षेत्र है, एक तरफ कश्मीर जैसा क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र आज पूरी तरह से विश्व के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके और जल संरक्षण करके 20 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अभियान चलाकर और गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके माननीय प्रधान मंत्री

जी एक सराहनीय कार्य किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी इस समस्या का निदान मिलेगा। मुझे यह पूरा भरोसा है।

गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में संचय करने की पहल की जा रही है। आज से कई वर्ष पूर्व तालाबों को भरने के लिए आपस में लोगों की एक समिति बनाई जाती थी। उस समिति के माध्यम से, मेरे बचपन के समय में, मुझे याद है, मैं गाँव के एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती-किसानी करता आया हूँ और आज भी करता हूँ। उस समय जब बरसात का पानी बरसता था, तो उस पानी को संचय करने के लिए हम फावड़े उठाते थे, जो बड़े-बड़े जमींदार और नम्बरदार हुआ करते थे, जो फावड़ा नहीं चला सकते थे, वे किसी श्रमिक को भेजकर उसको मजदूरी देकर यह कराते थे। खेतों का पानी बहकर नालों, नदियों, यमुना से समुद्र में जाता था, उन तालाबों के पानी को हम संचित करने का काम करते थे। आज यह परम्परा समाप्त हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, बहुत-से तालाब आज भी विद्यमान हैं।

अब उन तालाबों पर संचय करने की दिशा बदल गई है। वे नाले जो तालाबों पर आते थे, वे आज दूसरी तरफ डायवर्ट हो गए हैं और मैं अपनी भाषा में कह दूँ तो बम खटाखट हो गए हैं। बम खटा का मतलब है कि सूखे पड़े हैं। हमारे बुन्देलखण्ड में कहा जाता है कि पानी बिना जो सूखा पड़ा है, वहां बम खटाखटा तालाब सूखे पड़े हैं और बरसात का पानी किनारों से निकलकर नालों द्वारा नदियों में जा रहा है। इसके लिए गांव में फिर से माननीय मंत्री जी ने जागृति पैदा करने का अभियान चलाया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने गांव-गांव में इस अभियान को चलाकर उन तालाबों को भरे जाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, बुन्देलखण्ड की पानी की जो विकराल समस्या है और इस पानी का संचय करने के लिए केन बेतवा गठजोड़ की उस समय हमारे आदरणीय अटल बिहारी

वाजपेयी ने शुरुआत की थी, लेकिन बीच की सरकारों ने इस योजना पर कार्य नहीं किया। आज भी वह समस्या है। केन बेतवा से नदियों के गठजोड़ की स्वीकृति प्रदान होने के बाद काम हुआ होता और बजट फण्डिंग की गई होती तो आज काफी कुछ काम हो गया होता। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले पांच साल की सरकार में उन्होंने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें जो दिक्कतें थीं, उनके लिए बजट देकर, उनको हल करके उसकी शुरुआत करने का काम इस सरकार ने किया है।

महोदय, नदियों से नहरें निकालकर ताल, पोखरों तक छोटी-छोटी पहाड़ी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। बड़ी नदियों को तो हम लिंक कर रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी जो बरसाती नदियां हैं, उनको नहीं। मेरे क्षेत्र के बांदा और चित्रकूट में लगभग 25-30 छोटे-बड़े बंधे और बंधियां हैं। उन छोटी-बड़ी बंधियों को भरने के लिए उनको छोटी नदियों से लिंक करने की आवश्यकता है। जब बरसात का पानी आता है तो पानी उन नदियों और नालों से निकलकर बाहर बह जाता है और बंधे खाली रह जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि उन बंधियों को भरा जाना चाहिए।

हमारे यहां पैसुनी नदी है, जो मां सती अनुसुइया के वरदान निकाली गई थी। “माता सती अनुसुइया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना”। वह माता सती अनुसुइया का क्षेत्र है और वहां से पेसुनी नदी की अविरल धारा बहती रही है। आज वह पैसुनी की अविरल धारा बंद हो गई है। पूरे क्षेत्र के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और जल स्तर नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो हमारी तमाम नदियां हैं, उन नदियों जैसे पेसुनी नदी है, गुंता नदी है, ओहन नदी है, बागेन नदी है, केन नदी है, इनको केनबेतवा गठजोड़ से लिंक करने की जरूरत है। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगर एक क्षेत्र में बाढ़ आती है, जैसे मध्य प्रदेश के आदरणीय पटेल जी बैठे हैं, यदि उनके क्षेत्र में पानी बरसता है तो हम उस पानी को

डायवर्ट करके चित्रकूट, प्रयागराज तक की धरती तक जहां मेरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, हम वहां तक पानी को ले जा सकते हैं। इसलिए इनको आपस में लिंक करने की आवश्यकता है और इनको भरे जाने की आवश्यकता है। हमारा जो बांदा क्षेत्र है, वहां से केन नदी बहती है। केन नदी में बैराज बनाने की आवश्यकता है। बांदा में पीने के पानी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बांदा में हमारा कमिश्नरी मुख्यालय है और चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय है। बांदा में पानी की विकराल समस्या है। वहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या है। सिंचाई के लिए केन नदी से एक केन नहर निकाली गई थी। वहां मध्य प्रदेश की सीमा से रंगावा और बरियारपुर बांध निकाले गए थे। आज रंगावा और बरियापुर बांध पूरी तरह सिल्ट से भर गए हैं। उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है। पहले पूरे बांदा जिले को केन नदी से सिंचित करने का काम करते थे। केन नदी से जो नहर केनमाइनर नदी निकाली गई थी, वह माइनर ध्वस्त और जर्जर पड़ी है। उनमें पानी नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश में पानी आता था। वहां जल बंटवारे की जो संधि है, उस हिसाब से जो पानी आता है, उससे बांदा जिले के लिए सिंचाई के लिए पानी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी केन नदी पर एक बैराज बनाये जाने की आवश्यकता है। बांदा में एक बैराज बना दें तो उस बैराज से हमारा जल स्तर बढ़ेगा। मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि उन बैराजों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, क्योंकि ये नदियां पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं। अगर इन्हें पूरी तरह से बंद करके बांध बना देंगे तो सिल्ट भर जाएगी। अगर इनमें सिल्ट भर जाएगी तो धीरे-धीरे नदियों की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि बैराज इस तरह से बनाया जाए कि जब बरसात का पानी बाढ़ से आता है तो उस बाढ़ के पानी के लिए बीच से ऐसे फाटक लगाया जाए, ताकि वह सिल्ट बह जाए।

जैसे ही बाढ़ थोड़ा रुकती है, तो फिर से उसके फाटक को बंद कर दिया जाए, जिससे हमारे बैराज सक्सेस होंगे। इस तरह से बांदा में केन नदी पर बैराज बनाने की जरूरत है। बागिन नदी जो

बदोसा, बांदा के बगल से जाती है, उसको केन से जोड़ने की आवश्यकता है। बदोसा के पास बाघिन नदी पर बैराज बनाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पानी देने की योजना है। इस परियोजना से 50 प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश को, 25 प्रतिशत बिहार को और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देने की योजना है। यह परियोजना बहुत लम्बे समय से लंबित थी। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले लोक सभा चुनाव से पहले उन्होंने इसकी शुरुआत करके इसका लोकार्पण करने का काम किया है, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र को लाभ मिल सकता है। अतः मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि बाण सागर परियोजना को सतना और रीवां, जो मेरे बगल के क्षेत्र हैं, वहां तक इस परियोजना की नहरें आई हैं। प्रयागराज के मेजा, करछना क्षेत्र को उसमें शामिल किया गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को उसमें शामिल किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि चित्रकूट, बांदा का जो क्षेत्र है, बाण सागर परियोजना की जो नहरें हैं, वे वहां से होकर जाएं। चूंकि ऊपर से पहाड़ हैं, मध्य प्रदेश के हिस्से से सतना, रीवां से ऊपर का घाटीनुमा पहाड़ हमारे क्षेत्र की तरफ आता है, नहरें ढालनुमा हमारी तरफ चली आएंगी। इनकी टेल हमारे यहां यमुना नदी में आ जाएगा। अतः उनको हमारे यहां यमुना नदी तक टेल से जोड़ दिया जाए, तो जो हमारे छोटे-बड़े बंधे हैं, बाण सागर परियोजना से जब एक्स्ट्रा पानी होगा और जब वहां बरसात होगी तो बरसात का पानी भी आएगा। अतः मुझे लगता है कि आपके यहां से बांध जो परियोजनाएं आती हैं, उनसे निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिले के छोटे-बड़े बांधों को लिंक बनाकर जोड़ने से पानी की समस्या का निदान हो सकता है।

महोदया, बाण सागर परियोजना से चित्रकूट और बांदा जिले को जोड़ने की मैं आपसे मांग करता हूँ कि इसको शामिल करने का काम किया जाए जिससे हमारे चित्रकूट के पाठा की धरती जो प्यासी है, वह सिंचित हो सकती है, वहां की प्यास बुझ सकती है। सन् 1970 के करीब हमारे पाठा में एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई थी। हमारी जो परुष्णी नदी है, उस नदी से लिफ्ट करके पाठा पर एक जल योजना बनाई गई थी और पाठा क्षेत्र के पठारी भाग के गांव को पीने का पानी मिलता था, लेकिन आज परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पेयजल समस्या को हल करने के लिए बुन्देलखण्ड के लिए विशेष रूप से 9 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। प्रत्येक घर तक टोटी से पानी देकर के पाइप लाइन से पानी देकर प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधान मंत्री जी का है, हमारी सरकार का है और जल शक्ति मंत्री जी का है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि यह हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इन चीजों को करने की हमें जरूरत है। बुंदेलखण्ड में बहुत सैकड़ों छोटे बांध, बंधियां हैं, जो जर्जर पड़े हैं, उन जर्जर और ध्वस्त बंधे-बंधियों को कार्य योजना बनाकर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उनमें सिल्ट आ गई है। उस सिल्ट को हमें निकालने की आवश्यकता है।

सिप्रंकलर सिस्टम से सिंचाई करने की योजना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सिप्रंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई करना कम्प्लसरी किया जाए ताकि पानी की बर्बादी न हो। इससे निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है।

महोदया, अन्ना प्रथा से हमारा क्षेत्र विशेष रूप से परेशान है। यह अन्ना प्रथा आज की नहीं है। बुंदेलखंड में हमारे यहां कहावत हुआ करती थी – ‘बढ़ गयी होली और छूट गयी घोड़ी।’ चैत के महीने

में होली से पहले हमारे यहां फसल कट जाती थी। अन्ना मतलब आवारा जानवर से है। हम लोग उनको पगही बोलते हैं और उनको रस्सी से छोड़ने का काम हम लोग करते थे। आषाढ़ में जब पानी गिरता था और होली के टाइम में जानवर आवारा कर दिए जाते थे, अन्ना कर दिए जाते थे। जब नागपंचमी की गुढ़िया का समय आता था तो गांव में मुनादी होती थी, ढोल पीटा जाता था कि अपनी-अपनी लाठी उठाइए। लाठी उठाने का मतलब युद्ध करने से नहीं था, बल्कि अपने-अपने जानवरों को चराने और संरक्षित करने की परम्परा थी। आज वह परम्परा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आज 12 महीने के लिए लोगों ने अपने जानवरों को छुड़ा कर दिया है क्योंकि खेती घाटे की हो गई है। एक फसली खेती है, वह भी भगवान भरोसे है। अगर बादल बरसेगा तो खेती होगी, अगर बदल नहीं बरसा और पानी नहीं आया तो बुंदेलखंड में सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए खेती नहीं हो सकती है।

महोदया, पहले हमारा बैल उपयोगी हुआ करता था। मैं किसान हूं और सन् 1970 से 80 के बीच मेरे पास दस बैल थे। मैं उन बैलों से खेती करता था। मेरे पिताजी लगभग 50 गाय चराते थे। मुझे याद है सन् 1970 के करीब मेरा एक बछड़ा खो गया था। उस बछड़े को ढूँढ़ने में हम लोगों ने एक हफ्ता लगाया था क्योंकि उस समय बछड़े की उपयोगिता होती थी, बैल की उपयोगिता होती थी। आज बैल की उपयोगिता न होने के कारण बछड़ों को लोगों ने छुड़ा छोड़ दिया है। जब तक गाय दूध देती है, तब तक हमारी और उसके बाद सरकारी। अन्ना जानवर हो गया, उसको सरकार देखे। यह परम्परा बन गयी है और इस परम्परा से निजात पाने के लिए हमें जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

महोदया, जब किसान के घर रिश्तेदार आता था तो पूछा जाता था कि बाल-बच्चे ठीक-ठाक हैं, तो वह कहता था – हां, ठीक-ठाक हैं। दूध-दूहान होता है, वह कहता था – हां, दूध-दूहान होता है। खेती-बाड़ी ठीक-ठाक है, वह कहता था – हां, खेती-बाड़ी ठीक-ठाक है। आज दूध-दूहान गायब हो गए

हैं। आज किसान का बेटा खेत खलिहान में काम करने को तैयार नहीं है। आज उनके घरों में दूध नहीं बचा है। दूध वाली गाय सड़कों पर टहल रही है। अन्ना प्रथा हमारे लिए अभिशाप बन गयी है। अभी हमारे कौशाम्बी के सांसद साथी सोनकर जी कह रहे थे कि बांदा-चित्रकूट के लोग अपनी फसल को बचाने के लिए गाय-बछड़ों को यमुना नदी के सहारे दूसरी तरफ पार करा देते हैं। रात-दिन किसान लाठी लिए अपने खेतों पर दौड़ता रहता है, तब भी फसल नहीं बचा पाता है। आज हमारी फसलें नष्ट हो गयी हैं। किसान अपने खेत को बोनो को तैयार नहीं है। यह आज हमारे यहां अभिशाप हो गया है।

महोदया, पहले कर्मकांड में जन्म के समय बछिया दी जाती थी, मृत्यु के समय भी बछिया का दान-गोदान होता था। जब मेरी शादी हुई, उस समय मेरे बाबा जिंदा थे, उन्होंने कहा कि अच्छी और दुधारू गाय दहेज में चाहिए। उस समय दहेज में दुधारू गाय दी जाती थी। आज वह परम्परा बंद हो गयी है। आज गाय को कोई लेने को कोई तैयार नहीं है। हम किसी पंडित जी को गोदान में बछिया भी देते हैं तो वह नकद लेने को तैयार है, लेकिन गोदान की बछिया लेने को तैयार नहीं है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहां का यह मुद्दा है। मैं अभी असली मुद्दे पर तो आया ही नहीं हूँ।

माननीय सभापति: यह गलत है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप असली मुद्दे पर नहीं जाकर गलत कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल: सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के लिए कुछ सुझाव हैं कि गोसेवा भत्ता दिए जाने की कार्यवाही शुरू की जाए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के

आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आवार गोवंश को संरक्षित करने के लिए 30 रुपये प्रति गाय और बछड़े के हिसाब से एक दिन में चारा-भूसे की व्यवस्था करने का काम किया है। गांव सभावार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अस्थायी गोशाला खोलकर मनरेगा से गोवंश को संरक्षित करने वालों को गोसेवा भत्ता दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, जो आवारा-बेसहारा गोवंश हैं, उनको चराने के लिए मनरेगा से मजदूर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पशु आश्रय गृह खोले जाने की आवश्यकता है। उनको सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। गोवंश के गोबर और गोमूत्र को खरीदने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक बाजार बनाया जाना चाहिए। हम जीरो बजट खेती के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे जीवा मृत घोल और घन जीवा मृत घोल बनाकर किसानों के खेतों के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी, देशी गायों को पालने वाले किसानों को स्पेशल प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। यह बिल अन्ना प्रथा पर आया है, इसलिए पशु गणना कराकर जो बेकार नस्ल वाले बछड़े हैं, उनको चिह्नित करके उनका बधियाकरण कराया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड के किसानों को अच्छी नस्ल के बछड़े मुफ्त में दिए जाने की आवश्यकता है। आपने जो बछिया पैदा करने वाला बनाया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि वह 90 प्रतिशत बछिया पैदा करेगा। वह मुफ्त में किसानों को दिया जाना चाहिए, चूंकि 100 या 200 रुपये उसका रेट रखा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बछिया पैदा करने के लिए मुफ्त में दिया जाना चाहिए। जीरो बजट खेती पर बल दिया जाना चाहिए और जीरो बजट खेती पर किसानों को तैयारी करने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।...(व्यवधान) किसान को कम से कम 10 से 15 हजार रुपये जीरो बजट खेती पर दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पटेल जी, अब आपका समय समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदया, एक कवि घाघ हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि – जेकरे खेत पड़ा नहीं गोबर, सो किसान को समझो दूबर। जिस किसान के खेत में गोबर नहीं पड़ता था, उस जमाने में वह किसान दूबर होता था। इसका मतलब वह फसल पैदा नहीं कर सकता था। घाघ कवि की कहावतों के आधार पर हमारे बुंदेलखंड में दलहन, तिहलन और मोटे अनाजों की पैदावार होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोटे अनाजों और दलहन-तिलहन पैदा करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान) बुंदेलखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसको केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है। वहां पर जो दलहन-तिलहन की फसले हैं, उनको उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वह दलहन-तिलहन का हब है।

अतः आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : आदरणीय सभापति महोदया जी, आपका धन्यवाद। मैं आर. के. सिंह पटेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज अपना वक्तव्य थोड़ा समेट लिया है। वास्तव में, मैं प्रारंभ में ही हमारे पुष्पेन्द्र सिंह जी का इसके लिए अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय, इसका प्रवर्तन इस लोक सभा के अंदर कराया है। उन्होंने बेशक अपने क्षेत्र की समस्या बताई है, केन-बेतवा को जोड़ने के बताई है और अन्ना पशु के संबंध में चर्चा की है।

परंतु इस चर्चा के बहाने पानी की जो समस्या है, और आवारा पशुओं की जो समस्या है और जो आज बहुत सीमा तक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, उसके ऊपर चर्चा को उन्होंने प्रोत्साहित किया और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अध्ययन के साथ, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं सदन को उपलब्ध कराई हैं। पानी का क्या महत्व है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बुंदेलखण्ड ही है। हमारे उपनिषदों में तो कहा ही गया है कि जलम् वई जीवनम्। विज्ञान भी मानता है कि कहीं किसी गृह पर, उपग्रह पर कोई जल है तो समझ लीजिए कि जीवन जरूर होगा। यानी जो सभ्यता की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था, अत्यंत संपन्न क्षेत्र था, पानी की अपउपलब्धता के कारण से वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमको ध्यान में आता है कि पानी का वास्तव में हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, जो सामान्यतः आज भी जहां पानी उपलब्ध है, वहां बहुत से लोग जाग्रत नहीं हैं। अब मैं तो मेरठ से आता हूँ। मेरठ गंगा-यमुना का दोआबा है। वहां पर पानी की कठिनाई को कोई सोच भी नहीं सकता था। परंतु आज वहां भी पानी की कठिनाई है। मेरठ जिले के 13 में से सात ब्लॉक डार्क जोन बन चुके हैं। यह पानी के संकट की स्थिति है। मैं पुष्पेन्द्र जी का इसीलिए अभिनन्दन करता हूँ कि इस समस्या को उन्होंने इस स्तर के ऊपर उठाने में मदद की है। हमारी सरकार बहुत जाग्रत है, जागरूक है। नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक समग्र दृष्टि के साथ सभी समस्याओं का ध्यान रख के देश के अंदर योजनाओं को चला रहे हैं। पहली बार एक कैबिनेट मंत्री के साथ जल-शक्ति मंत्रालय का सृजन हुआ है। इसीलिए हुआ है कि जल से संबंधित

जो समस्याएं हैं, उनको समग्र रूप में देख कर उनका हल करने का प्रयास करें। जो विषय हमारे माननीय सांसद ने केन-बेतवा का या नदियों को जोड़ने का, मैं भी यह मानता हूँ, अभी हमारे अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि नदियों को जोड़ने से कुलमिला कर के पानी का संकट तो संभवतः खत्म नहीं होगा। यह जरूर है कि उससे सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा। यदि नदियां जुड़ जाएंगी, कुछ बीच में नहर जैसी चीजें हमें निर्माण करनी पड़ेंगी, तो उसके कारण से पानी की उपलब्धता ऐसे क्षेत्रों को हो जाएगी, जहां अभी तक वह नहीं थी। मैं फिर से यदि मेरठ का उदाहरण दूं तो हमारे यहां गंगा से इतनी नहरें निकली हुई हैं, उसकी जो उप-नहरें निकली हुई हैं कि संपूर्ण क्षेत्र सामान्यतः नहर के या गंगा जी के पानी से सिंचित होता है। भूगर्भ जल का भी अब तो प्रयोग होने लग गया है, लेकिन मूलतः इन नहरों की वजह से सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा, परंतु पानी का कुल जो संकट है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पृथ्वी की पानी को धारण करने की जो क्षमता धीरे-धीरे खत्म होनी चली जा रही है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय, मुझे ध्यान है कि सत्तर के दशक में मैं गांवों के अंदर जाता था। मेरी पृष्ठभूमि, मैं संघ का बहुत समय तक प्रचारक के रूप में कार्यकर्ता रहा हूँ तो गांवों में जाता था तो कहीं पर भी बरसात के दिनों में खास तौर से कुओं में एक डेढ़ हाथ लंबी रस्सी आप ले लीजिए और पानी निकाल लीजिए। परंतु अब यह संभव नहीं है। अब सारे कुएं सूखते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि क्रमशः पानी को धारण करने की जो क्षमता है, वह हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुएं सूख गए हैं। जो तालाब हैं, वे गाद से भर गए हैं, गंदगी से भर गए हैं। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक गांव के अंदर तालाब एक प्रकार से कूड़ा घर बन गया है। उसकी कभी सफाई नहीं होती है। उसकी वजह से पानी थोड़ी बरसात होने के बाद भी सारे गांव के अंदर पानी भर जाता है। हम अगर शहरों के अंदर भी देखें तो धारण क्षमता का आभाव इतन हो गया है, अब पानी के बरसने की मात्रा घट रही है, लेकिन पानी की वजह से थोड़ी बरसात होने के बावजूद भी दिल्ली में क्या हाल होता है, मुंबई में क्या हाल

होता है, कोलकाता में क्या हाल होता है। ये तो बड़े नगर हैं। मेरठ में या प्रयाग में या झांसी में, छोटे-छोटे स्थानों पर भी वॉटर लॉगिंग हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह जो संकट है, मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। कई बार जैसे अभी हमारे अनुराग जी इस बात को कह रहे थे कि इसका जो आईआरआर है, वह 10 प्लस है। मुझे लगता है कि इस बात की तरफ भी देखे जाने की जरूरत है कि पानी अनियंत्रित हो कर जब भरता है, सड़कों पर बहता है, उसके कारण से कितना नुकसान होता है। इसका आंकलन किया जाना चाहिए। यद्यपि हो सकता है कि यह हो सकता है कि सीधे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में न आता हो, परंतु सरकार के क्षेत्र में तो सारे विषय आते हैं।

इतनी सड़कें टूटती हैं, प्रत्येक वर्ष उन पर कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। यदि हम पानी की व्यवस्था कर लें तो शायद आर्थिक दृष्टि से, जहाँ हमको सिंचित क्षेत्र मिल जाएगा, पेयजल के लिए हमको जो व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, उससे हम थोड़ा बहुत बचेंगे। लेकिन जो नुकसान होता है, उससे भी हमको कुछ निजात मिल सकती है। इसलिए भी आंकलन किया जाना चाहिए। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सांसद आदर्श ग्राम का विषय निकला। मुझे ध्यान है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसके विषय में बताया और उसकी लॉन्चिंग की गई, उन्होंने एक बात कही कि हम एक गाँव लें और वहाँ देखें कि सरकारी योजनाएँ किस प्रकार से काम करती हैं। हम सीधे काम करेंगे तो हमें कुछ अनुभव मिलेंगे और उन अनुभवों के आधार पर हमारी काम कराने की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारी जानकारी बढ़ेगी, उन्होंने एक ऐसा विषय रखा था। हम लोगों ने गाँव लिए, हम जो कुछ भी कर सकते थे, हमने किया। अपनी निधि से भी कुछ काम करवाए, सरकारी योजनाओं से भी कुछ काम करवाए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या गाँव के अंदर ध्यान में आई, जिसका हमारे पास हल नहीं था, जिसके कारण से मैं यह भी

कह सकता हूँ कि कुछ अपयश भी मिलता था, गाँव के जो तालाब हैं, उनकी हम ठीक प्रकार से सफाई नहीं करवा पाए। कोई व्यवस्था नहीं थी। मनरेगा के अंतर्गत करें या कुछ पाँच, दस, बीस लोगों को इकट्ठा करके भी करें, कुछ तालाब बड़े भी हैं, उन पर कब्जे भी हुए हैं, लेकिन तालाब कुछ बड़े भी हैं, उनमें आप बिना मशीन के उनकी सफाई कर ही नहीं सकते। यह स्थिति है। मैं इस चर्चा के माध्यम से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तालाबों की सफाई प्राथमिकता पर है। मुझे ध्यान है, पिछले कार्यकाल के अंदर भी मेरे जिले के अंदर 100 तालाब चिह्नित किए गए थे कि इनकी सफाई की जाएगी। लेकिन किसी कारण से कुछ हो नहीं पाया। तालाबों की सफाई को मिशन मोड में लेकर, केवल मनरेगा पर सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, मिशन मोड में लेकर उनको मशीनों से भी साफ करा कर, यदि तालाब हम गहरे कराएँगे, साफ कराएँगे तो पानी की धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। हम लोग उससे स्थाई समाधान की ओर बढ़ेंगे।

वृक्षारोपण का विषय बड़ा पुराना है, मैं उस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं समझता। कुल मिलाकर मैं यह मानता हूँ कि नदी को जोड़ना, उससे सिंचित क्षेत्र का तो विस्तार होगा परन्तु धरती की पानी को रोकने की क्षमता है, जब तक वह नहीं बढ़ेगी तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी।

जो अन्ना पशुओं की बात है, यहाँ कारण दूसरा होगा, किसी अन्य क्षेत्र में कारण दूसरा होगा, लेकिन आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले चुनाव के अंदर इसके ऊपर थोड़ा बहुत मुद्दा भी बना। किसानों को तकलीफ थी, हम पर उनको भरोसा था, उनको यह लगता था कि हम इस समस्या का हल करने के लिए गम्भीरता के साथ प्रयासरत है। उन्होंने हम पर विश्वास किया। चुनाव का जो परिणाम आया, वह सब को पता ही है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह चुनौती भी है, यह एक समस्या है, यह एक बड़े समाधान की तरफ भी लेकर जाती है। आज स्थिति यह है कि हम ज़ीरो बजट खेती की बात करते हैं, उसका आधार मुख्य रूप से हम जैविक खेती की तरफ जाएँगे, तभी ज़ीरो

बजट खेती का कान्सेप्ट उसके अंदर आता है। जीरो बजट खेती होगी या कम बजट की खेती होगी, उसके अंदर हम जैविक की तरफ जाएँगे तभी वह हो सकता है। आज इसके इतने पहलू हैं, जो रासायनिक खाद प्रयोग करने की वजह से, पेस्टिसाइड्स प्रयोग करने की वजह से जहाँ धरती बीमार हुई है, पानी अशुद्ध हुआ है, पानी प्रदूषित हुआ है यानी हमारे सामने ये समस्याएँ हैं। धरती की जो उर्वरक क्षमता है, उसको नुकसान हुआ है। यदि समग्र दृष्टि से सोचें और इस सरकार की विशेषता है कि यह सरकार किसी भी समस्या पर आइसोलेटेड ढंग से विचार नहीं करती, उसके सारे पहलुओं पर विचार करती है। यदि हम गोबर का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाएं, यूरिया का या कृत्रिम रासायनिक खादों का प्रयोग धीरे-धीरे कम करते चले जाएं तो जहाँ एक ओर धरती की उर्वरक क्षमता सुधरेगी, जहाँ पानी शुद्ध बना रहेगा, जहाँ पर भोजन के अंदर जो तत्व हैं, वे अच्छे हो जाएँगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग बचपन में कहा करते थे कि सेब को बगैर छीले खाना चाहिए। छील कर नहीं खाना चाहिए। यदि कोई छील देता था, आपने भी ये बातें सुनी होंगी, मैं उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ, ये बातें सब को ध्यान होंगी कि सेब के बारे में कहा जाता था कि छिलका छील दिया तो वे कहते थे कि तुमने तो विटामिन निकाल दिए, ऐसा वे मजाक करते थे और बात मानी जाती थी कि सेब को छिलके सहित खाना चाहिए। हम बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुना करते थे- *An apple a day keeps doctor away.* लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि एक सेब छिलके के साथ खा लिया जाए, रोज़ खा लिया जाए तो महीने भर के अंदर उसको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। उसको कोई भी रोग या बीमारी हो सकती है। इसकी लगभग गारंटी उसके हो जाती है। जो खाद्य सामग्री है, वह प्रदूषित हो रही है। जल है, वह प्रदूषित हो रहा है, धरती है, वह प्रदूषित हो रही है और इसलिए ये जो हमारे पशु हैं, जैसा कि अभी योगी जी की सरकार का जिक्र हमारे आर.के. सिंह पटेल साहब कर रहे थे कि इनके लिए चारागाह बनाए जाए।

17.55 hrs**(Hon. Speaker in the Chair)**

इनके लिए ऐसे स्थान सुनिश्चित किए जाएं, जहाँ पर ये पाले जाएं। जैसे हम लोग रासायनिक खाद के ऊपर सब्सिडी देते हैं, सरकार इसको भी सब्सिडाइज करे, वहाँ पर उस प्रकार की खाद बनाई जाए, वहाँ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो और उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकता है। कुल मिलाकर यदि समग्र रूप से हम इसका विचार करेंगे, तो हमारी धरती भी अच्छी हो जाएगी, पशुओं की भी चिंता का हल निकलेगा, खाद का निर्माण भी हो जाएगा, हम केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को भी कम कर सकेंगे और हमारी खाद्य सामग्री भी ठीक हो जाएगी। यदि हम इस चुनौती का उपयोग अवसर के रूप में करें, तो मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग होगा। मैं इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक बार पुनः चंदेल जी को धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि बहुत कम समय में अपनी बात पूरी कर सकूँ... (व्यवधान) अभी एक वक्ता और हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं सभा की कार्यवाही 2-3 घंटे तक बढ़ा सकता हूँ।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल):
महोदय, जितने मंत्री यहाँ बैठे हैं, उतने तो सांसद भी यहाँ नहीं हैं।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मुझे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश का एक बहुत ही अहम विषय, सबसे पहले उन्होंने 2014 से 2019 तक स्वच्छता अभियान के द्वारा देश को जागरूक करने का काम किया और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का आगाज किया था। वह भी एक महत्वपूर्ण विषय था और देश की जनता के दिलों को छूने वाला विषय था। उससे देश जागरूक हुआ।

अब आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाकर इस विषय में देश को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इससे आने वाले समय के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान के अंदर पूरा देश जुटा, जागरूक हुआ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर देश जागरूक हुआ, उसी प्रकार से इस जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भी देश जागरूक होगा। देश के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाले समय के अंदर जल के संबंध में आने वाली है। इसकी चिंता आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश के समक्ष रखी और जल शक्ति मंत्रालय बना कर लोगों को जागरूक करने और इस समस्या का समाधान करने का कार्य कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी पिछले वर्ष हमारे यहां पर सरस्वती नदी का प्रवाह, जो विलुप्त हो चुकी थी, परन्तु नासा की रिपोर्ट के अंदर भी उस सरस्वती नदी का प्रवाह नीचे दिखाया गया था। उसके ऊपर काम भी चला और जब आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा के अंदर सरकार बनी, तो अलग से उसका एक बोर्ड भी बनाया गया – सरस्वती हैरिटेज बोर्ड। वह बोर्ड बनाकर के उस सरस्वती नदी के ऊपर काम चालू किया गया। आदरणीय नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री थे, आदि बंदी जहां सरस्वती नदी का उदगम स्थल है, वे वहां आए थे और वहां पर एक बांध की उन्होंने घोषणा की थी। यहाँ पर यह बांध बनेगा और

सरस्वती के ऊपर जो काम लग रहा है, यह नदी हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के बीच से यह नदी निकलती है, उसके अंदर 12 महीने पानी उस बांध के माध्यम से मिलेगा।

18.00 hrs

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर उस काम को थोड़ा जल्दी करके तेजी से काम चालू किया जाएगा तो वह नदी प्रवाह में आ जाएगी। इससे हरियाणा के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, July 22, 2019/Ashadha 31, 1941 (Saka).*
